

PRESENTED TO
M.P. VIDHAN SABHA

28 MAR 2003

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष का

वाणिज्यिक

मध्यप्रदेश सरकार

http://cagindia.org/states/madhya pradesh/2001-2002

विषय-सूची

	पैरा	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		**vi**
विहंगावलोकन		**ix-xiii**
अध्याय 1		**1-15**
सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	1.2	2-9
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश	1.2.1	2-4
बजट से दी गई राशियाँ अनुदान/आर्थिक सहायताऐं, गारंटियाँ, बकाया, दायित्वों का त्यजन और ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन	1.2.2	4-5
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना	1.2.3	5-6
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम	1.2.4	6-8
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	1.2.5	9
विद्युत क्षेत्र में सुधार	1.2.6	9
सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम	1.3	10-11
सांवधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखने की स्थिति	1.4	12
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	1.5	12
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	12-14

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु अनुशंसायें	1.7	14-15
निरीक्षण प्रतिवेदनों प्रारूप कंडिकाओं और समीक्षाओं के प्रत्युत्तर	1.8	15
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.9	15-16
619-बी कम्पनियाँ	1.10	16
अध्याय-2		
सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा		**17-37**
मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित के कार्यकलाप	**2**	**17-37**
मुख्यांश		17-18
प्रस्तावना	2.1	18
संगठनात्मक संरचना	2.2	18-19
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.3	19
पूंजी संरचना एवं उधारियाँ	2.4	20
वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	2.5	20
कार्यचालन निष्पादकता	2.6	20-31
व्यापारिक गतिविधियाँ	2.7	31-32
सेवा संबंधी गतिविधियाँ	2.8	32
निवेश	2.9	32
आर्थिक सहायता का व्यपवर्तन	2.10	33-34
बायोगैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना	2.11	34-35
वित्तीय प्रबंधन	2.12	35-36
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन न होना	2.13	36
स्कंध प्रबंधन	2.13	36-37
आंतरिक लेखापरीक्षा	2.15	37
निष्कर्ष		37

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय-3		
सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षाऐं	**3**	**39-53**
मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में निधि प्रबंधन	**3क**	**39-49**
मुख्यांश		39-40
प्रस्तावना	3क.1	40
संगठनात्मक संरचना	3क.2	41
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3क.3	41
उधारियाँ	3क.4	41-43
ब्याज एवं वित्त प्रभार	3क.5	43-45
अवास्तविक आकलन के आधार पर क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को निधियाँ जारी की जाना	3क.6	45-46
बैंक द्वारा प्रेषण	3क.7	46-49
निधियों का उपयोग न किये जाने के कारण ब्याज की हानि	3क.8	49-50
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों की ब्याज मुक्त अग्रिम	3क.9	50-51
रोकड़ एवं बैंक शेष	3क.10	51-52
उपसंहार		52-53
विद्युत क्षेत्र में सुधार सहमति पत्र के निबंधनों का कार्यान्वयन	**3ख**	**54-61**
प्रस्तावना	3ख.1	54
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3ख.2	54
मध्यप्रदेश सरकार की वचनबद्धताएं	3ख.3	55
भारत सरकार की वचनवद्धताएं	3ख.4	55-56
वित्त व्यवस्था	3ख.5	56-57
सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	3ख.6	57-61
उपसंहार	3ख.6	61

	संदर्भ	
	कंडिका	**पृष्ठ**
अध्याय-4		63-87
सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों से संबंधित विविध रूचिकर प्रकरण		
सरकारी कम्पनियाँ		
आप्टेल टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड	4क.1	63-69
मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	4क.2	70-76
दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने तथा दावे दायर करने में विलम्ब के कारण हानि	4क.2.1	70-71
मोटे अनाज के निवर्तन हेतु अनुपयुक्त योजना के कारण हानि	4क.2.2	71-72
सोयाबीन की अधिप्राप्ति में विलम्ब तथा कम दरों पर उसके निबटान के कारण हानि	4क.2.3	73-74
संग्रहण तथा बिक्रीधन को समय पर जमा करने के परिवीक्षण में हुई विफलता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय	4क.2.4	75-76
मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	**4क.3**	**76-78**
अनुचित निर्णय के कारण निवेश/ब्याज की हानि	4क.3.1	76-77
ब्याज की अनियमित छूट	4क.3.2	77-78
मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम मर्यादित	**4क.4**	**79-81**
निविदा शर्तों के आधार मे परिवर्तन के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ तथा राजस्व की हानि	4क.4.1	79-81
मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, मर्यादित	**4क.5**	**81**
सामग्री के विलंबित प्रदाय के परिणामस्वरूप शास्ति का परिहार्य भुगतान	**4क.5.1**	**81**
सांविधिक निगम	**4ख**	**82-87**
मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	**4ख.1**	**82-84**
हाईस्पीड डीजल तेल के क्रय पर परिहार्य व्यय	4ख.1.1	82
वाहन बेड़े का उचित आकलन न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	4ख.1.2	83-84

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल		**4ख.2**	**84-87**
उच्चदाब उपभोक्ताओं को अनुचित रियायत		4ख.2.1	84-85
ब्याज की कम दर पर ऋण प्राप्त करने मे विफल रहने के कारण अतिरिक्त दायित्व		4ख.2.2	85-86
लाइन का समय से वहुत पहले निर्माण		4ख.2.3	86-87
क्र.	**परिशिष्ट**		
1	सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजटाधीन प्राप्त ऋण/अंशपूंजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2002 को बकाया ऋणों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2	89-92
2	सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश	1.2.3, 1.2.4, 1.2.4.1.1, 1.2.5, 1.3.4, 1.3.5	93-97
3	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता ऋण गारंटियाँ, दायित्वों को छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन तथा मार्च 2002 के अंत तक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.2.2, 1.3.2	98-101
4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.2.4	102-103
5	सांविधिक निगमों की कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.2.4	104-105
6	सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.2.4.2.3	106-108
7	विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.)	1.8	109
8	अनुत्तरित विभागवार प्रारूप कंडिकायें/समीक्षाऐं दर्शाने वाला विवरण	1.8	110

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
10	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित भोपाल की वित्तीय स्थिति	2.5	112
11	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल के कार्यचालन परिणाम	2.5	113
12	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित भोपाल में मानदण्डों के संदर्भ में फसल उत्पादन के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण	2.6क(ii)	114-115
13	मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल में उप्पादित एवं विक्रीत जैब खाद्य के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.6.च	116
14	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल में निधियों के अंतरण में विलम्ब के कारण हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.12(ख)	117
15	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित भोपाल में कृषि उपकरण के उत्पादन एवं विक्रय निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.14(क)	118
16	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों द्वारा माँग की गई निधियाँ तथा मुख्यालय में वापस उनके प्रेषण दर्शाने वाला विवरण पत्र	3क.6	119
17	बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, भोपाल के खाते में आगम जमा करने में विलम्ब के कारण हुआ अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्र	4क.2.4	120

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जिन सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं, वे निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं :

(i) सरकारी कम्पनियां

(ii) सांविधिक निगम, तथा

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

यह प्रतिवेदन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल सहित सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (रिविल) मध्यप्रदेश सरकार में समाविष्ट किए गए हैं ।

सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल जो कि सांविधिक निगम हैं, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। राज्य वित्त निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से निगम द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उन लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भी अधिकार है। मध्यप्रदेश राज्य भण्डारगृह निगम के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखापरीक्षा करने का भी उनको अधिकार प्राप्त है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथक रूप से प्रेषित किए जाते हैं ।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित किए गए हैं जो वर्ष 2001-02 के दौरान लेखापरीक्षा में ज्ञात हुए और वे भी जो विगत वर्षों में प्रकाश में आए किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में समाविष्ट नहीं किया गया। जहां कहीं आवश्यक समझा गया 2001-02 की उत्तरवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी समाविष्ट किए गए हैं ।

1. सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

31 मार्च 2002 को राज्य में 29 सरकारी कम्पनियों तथा 4 सांविधिक निगमों सहित 33 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। 29 सरकारी कम्पनियों में से 23 कार्यशील कम्पनियां थीं जबकि अन्य अकार्यशील सरकारी कमपनियां थीं। सभी चारो सांविधिक निगम कार्यशील निगम थे । इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अंतर्गत 31 मार्च 2002 को एक कम्पनी थी ।

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में कुल निवेश 31 मार्च 2001 के 8642.54 करोड़ रुपए से घटकर 31 मार्च 2002 को 8473.97 करोड़ रुपए रह गया। इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में कुल निवेश 13.97 करोड़ रुपए से घटकर 13.93 करोड़ रुपए रह गया ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूंजी, ऋणों एवं अनुदानों/ आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया बजटीय योगदान 2000-01 के 613.97 करोड़ रुपए से बढ़कर 2001-02 में 706.75 करोड़ रुपए हो गया। राज्य सरकार ने 2001-02 के दौरान एक अकार्यशील सरकारी कम्पनी को भी अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए जारी किए। 2001-02 के दौरान राज्य सरकार ने कुल 1703.81 करोड़ रुपए के ऋणों की गारंटी दी। राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों की कुल लम्बित राशि 31 मार्च 2001 के 5629.14 करोड़ रुपए से घटकर 31 मार्च 2002 को 3874.12 करोड़ रुपए हो गई।

दो कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2001-02 के अपने लेखाओं को अन्तिम रूप दिया है किन्तु एक भी सांविधिक निगम ने अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया है। शेष 21 कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा चारों सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2002 को एक वर्ष से पांच वर्ष की अवधि तक लम्बित थे । दो अकार्यशील सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2001-02 के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया तथा शेष चार अकार्यशील सरकारी कम्पनियों के लेखे 30 सितम्बर 2002 को 3 से 12 वर्षों की अवधि तक लम्बित थे ।

अन्तिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 14 कार्यशील उपक्रमों (12 सरकारी कम्पनियों तथा 2 सांविधिक निगमों) ने कुल 27.68 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। तथापि किसी भी सरकारी कम्पनी ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया। दूसरी ओर अन्तिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार सावर्जनिक क्षेत्र के 13 कार्यशील उपक्रमों (11 सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों) को कुल 1580.64 करोड़ रुपए की हानि हुई। हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से छः कम्पनियों की संचित हानियां कुल 126.16 करोड़ रुपए की थीं जो उनकी 48.33 करोड़ रुपए की कुल प्रदत्त पूंजी से अधिक थीं । हानि उठाने वाले दो सांविधिक निगमों की संचित हानियां 2254.55 करोड़ रुपए थीं जो उनकी 413.52 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी से अधिक थी।

नौ कार्यशील सरकारी कम्पनियों के अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इन कम्पनियों की वार्षिक कुल बिक्री उनके अद्यतन अन्तिम रूप से पूर्ण लेखाओं के अनुसार पूर्ववर्ती पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए से भी कम थी। इसी प्रकार दो कार्यशील सरकारी कम्पनियां उनके अद्यतन अन्तिम रूप से पूर्ण लेखाओं के अनुसार निरन्तर पांच वर्षों से हानि उठा रहीं थीं जिससे निवल पूंजी में ऋणात्मक प्रभाव हुआ। तदनुसार उक्त 11 सरकारी कंम्पनियों के कार्यचालन में सरकार को या तो सुधार करना पड़ेगा अथवा उन्हें बन्द करने पर विचार करना होगा।

(कंडिकायें 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 एवं 1.10)

2. सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा

2 *मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित*

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित (कम्पनी) की स्थापना मार्च 1969 में राज्य में कृषि, मछली पालन, मुर्गीपालन आदि के लिए आवश्यक संयंत्रों एवं उपकरणों के निर्माण तथा कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धन के लिए राज्य में कृषि उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से की गई थी। तथापि समीक्षाधीन अवधि के विगत पांच वर्षों के दौरान कम्पनी ने केवल दो इकाइयों की स्थापना में सहयोग किया किन्तु उसने अपनी कोई उत्पादन इकाई स्थापित नहीं की जबकि इसके विपरीत अपनी दो कार्यशील इकाइयां यह दर्शाते हुए बंद कर दी कि संवर्धन क्रियाकलापों में इनकी बहुत ही सीमित भूमिका थी ।

इसकी छः कार्यशील इकाइयों में से चार इकाइयां हानि उठा रहीं थीं । बाबई स्थित इसके मशीनीकृत कृषि प्रक्षेत्र को 1996-2001 के दौरान कम उत्पादन के कारण 2.96 करोड़ रुपए की हानि हुई ।

(कंडिकायें 2.6 व 2.6क (ii))

तैयार भोज्य सामग्री संयंत्र बाड़ी द्वारा विक्रय कर का आरोपण न करने के परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रुपए की हानि हुई ।

(कंडिका 2.6ग (iii))

तैयार भोज्य पदार्थ निर्माणी, रायगढ़ द्वारा पंजीरी के प्रदाय में बढ़ी हुई दर पर वसूली हेतु अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में कम्पनी को 0.93 करोड़ रुपए के दावे अपलेखित करने पड़े ।

(कंडिका 2.6घ)

अपने उत्पाद के विक्रय हेतु बाजार विकसित किए बिना दो जैविक खाद संयंत्रों की स्थापना करने के परिणामस्वरूप 35.98 लाख रुपए की हानि के अतिरिक्त एक इकाई को बंद भी करना पड़ा।

(कंडिका 2.6च)

किराया प्रथा और नलकूप खुदाई हेतु परिचालन लागत को ध्यान में रखे बिना सेवा प्रभारों का निर्धारण करने के कारण 2.63 करोड़ रुपए की हानि हुई ।

(कंडिका 2.8)

मांग को निर्धारण किए बिना बैलों से चलने वाले कृषि उपकरणों के मनमाने/ असुनियोजित उत्पादन के परिणामस्वरूप 1.81 करोड़ रुपए की धनराशि अवरुद्ध रहीं ।

(कंडिका 2.14(क))

3. सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षाएं

3क मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

निधि प्रबन्धन

निधियों का कुशल प्रबन्धन किसी संगठन में रोकड़ एवं साख नियंत्रण की सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करने में सहायक होता है। मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में लेनदेनों पर प्रभावी नियंत्रण के अभाव में निधियों का प्रबन्धन कमजोर स्थिति में था। तथापि दोषपूर्ण निधि प्रबन्धन के कारण मण्डल अपने भुगतान दायित्वों को सुचारू रूप से नियोजित करने हेतु अपनी प्राप्तियों का परिवीक्षण करने में विफल रहा।

ऊर्जा वित्त निगम से निश्चित तिथियों पर कर्जों की प्राप्ति न करने के कारण मण्डल को 5.47 करोड़ रुपए के वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान करना पड़ा ।

(कंडिका 3क.4.1)

मार्च 2001 को समाप्त चार वर्षों के दौरान वित्त एवं ब्याज प्रभार 810.79 करोड़ रुपए से बढ़कर 1336.89 करोड़ रुपए हो गए।

(कंडिका 3क.5)

क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों द्वारा विलम्ब से निधियों का हस्तांतरण करने के कारण केवल तीन क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के प्रकरण में ही 3.86 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3क.5.2(क))

अतिशेष निधियों को बैंकों के नकद साख खातें में अंतरित न किए जाने के परिणामस्वरूप नकद साख खाते पर 2.37 करोड़ रुपए के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा ।

(कंडिकायें 3क.5.2(ख) एवं (ग))

अन्य तीन क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के प्रकरण में " सममूल्य " पर उपलब्ध सुविधा प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप 0.90 करोड़ रुपए के परिहार्य कमीशन प्रभारों का भुगतान करना पड़ा ।

(कंडिका 3क.7.3)

क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के चालू खातों मं निधियां अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखने के परिणामस्वरूप नकद जमा पर 2.08 करोड़ रुपए के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा ।

(कंडिका 3क.8)

3ख. विद्युत क्षेत्र में सुधार - सहमति पत्र के निबंधनों का क्रियान्वयन

ऊर्जा क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से सुधारों के लिये संयुक्त प्रतिबद्धता के बतौर मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर मई 2000 में हस्ताक्षर हुए। बाद में ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों को गैर-राजनैतिक करने तथा उनके क्रियान्वयन को गति देने के लिये मुख्य मंत्रियों/उर्जा मंत्रियों के मार्च 2001 में सम्पन्न सम्मेलन में भी सर्वसम्मति व्यक्त की गई।

(कंडिका 3ख)

4. विविध रुचिकर प्रकरण

4क सरकारी कम्पनियां

नई परियोजना के क्रियान्वयन में विफलता, अपने संयंत्रों में उत्पादन गतिविधिआं बंद कर देने, अपर्याप्त वित्तीय प्रबन्धन, माल एवं प्राप्तियों के अप्रभावी प्रबन्धन के साथ ही निजी क्षेत्र के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा विक्रय मूल्य में तद्परिणामी गिरावट के कारण ऑप्टेल टेलिकम्युनीकेशन्स लिमिटेड को 1997-98 से भारी हानियां हुईं और उसकी संचित हानियां 31 मार्च 2001 को 70.07 करोड़ रुपए की रहीं ।

(कंडिका 4क.1)

भारतीय खाद्य निगम को चमकविहीन गेहूं के लिए पूर्ण विवरण सहित दावे प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित को 2.01 करोड़ रुपए की हानि वहन करनी पड़ी ।

(कंडिका 4क.2.1)

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा एक न्यास में अविवेकपूर्ण निवेश के निर्णय और वह भी अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक के परिणामस्वरूप 0.75 करोड़ रुपये तक का निवेश क्षरित हुआ एवं साथ ही निगम को 0.58 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

(कंडिका 4क.3.1)

मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम मर्यादित द्वारा निविदा शर्तों में अनुचित परिवर्तन किये जाने तथा उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार न किये जाने के परिणामस्वरूप एक ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया और कम्पनी को 1.01 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिकायें 4क.4.1(क) एवं (ख))

4ख सांविधिक निगम

मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा रियायती कर पर हाई स्पीड डीजल क्रय करने में विफलता के कारण 43.69 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

(कंडिका 4ख.1.1)

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा तीन वर्ष के बजाय एक वर्ष के विद्युत देयकों की मांग के परिणामस्वरूप विद्युत की चोरी में लिप्त पाए गए दो उच्चदाव उपभोक्ताओं को 8.59 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया ।

(कंडिका 4ख.2.2)
2.1

अध्याय - 1

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2002 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 29 सरकारी कम्पनियां (23 कार्यशील तथा छः अकार्यशील कम्पनियां*) और चार सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थे जबकि 31 मार्च 2001 को 30 सरकारी कम्पनियां (24 कार्यशील तथा छः अकार्यशील कम्पनियां) और चार सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थे। एक सरकारी कम्पनी अर्थात् औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड को नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया है जिसकी लेखापरीक्षा भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जा रही है। सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक करते हैं जिन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा भी इनके लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	निगम का नाम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्थापन
1.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल	विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69(2)	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्णतया लेखापरीक्षा
2.	मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्णतया लेखापरीक्षा
3	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग	मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2001 की धारा 43(2)	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्णतया लेखापरीक्षा
4	मध्यप्रदेश वित्त निगम	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
5	मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम	राज्य भंडार अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

* *अकार्यशील कम्पनियां वे कम्पनियां हैं जो परिसमापन/ बंद होने/ संविलियन की प्रक्रिया के अधीन है ।*

1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम

1.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2001 को सार्वजनिक क्षेत्र के 28 कार्यशील उपक्रमों (24 सरकारी कम्पनियों तथा चार सांविधिक निगमों) और 31 मार्च 2002 को सार्वजनिक क्षेत्र के 27 कार्यशील उपक्रमों (23 सरकारी कम्पनियों तथा चार सांविधिक निगमों) में कुल निवेश निम्नानुसार था :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश			
		अंशपूंजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	योग
2000-01	28	645.13	111.77	7885.64	8642.54
2001-02	27	638.48	111.77	7723.72	8473.97

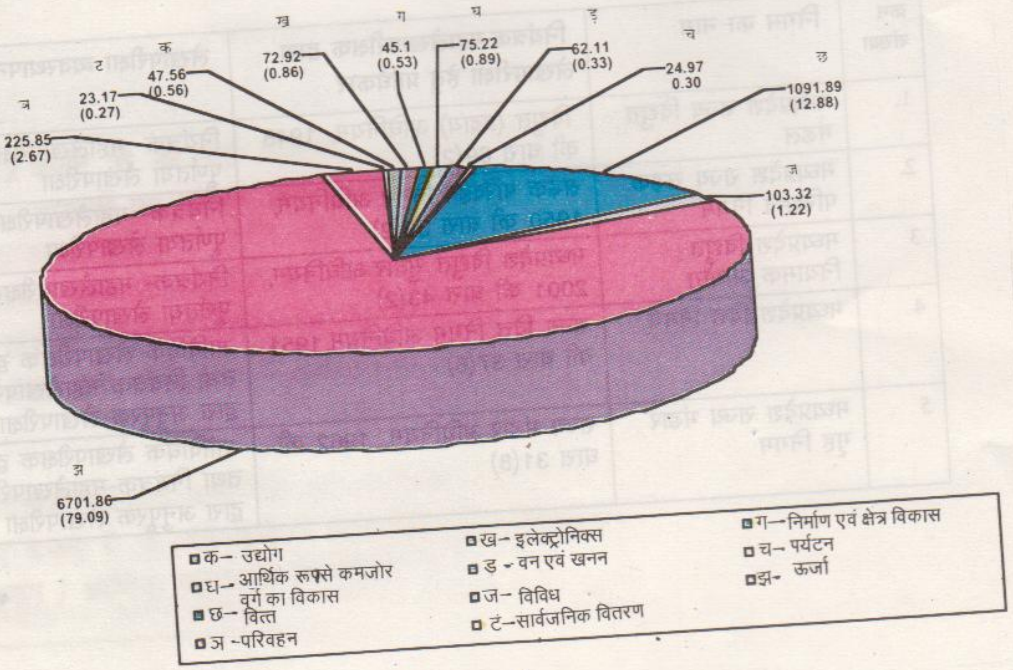
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण निम्नांकित कंडिकाओं में दिया गया है।

मार्च 2002 तथा मार्च 2001 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूंजी और दीर्घावधि ऋण) तथा उनके प्रतिशत निम्नांकित वृत आरेख में दिए गए हैं ।

31 मार्च 2002 को कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

(कोष्ठक में दर्शित आंकड़े निवेश का प्रतिशत इंगित करते है)

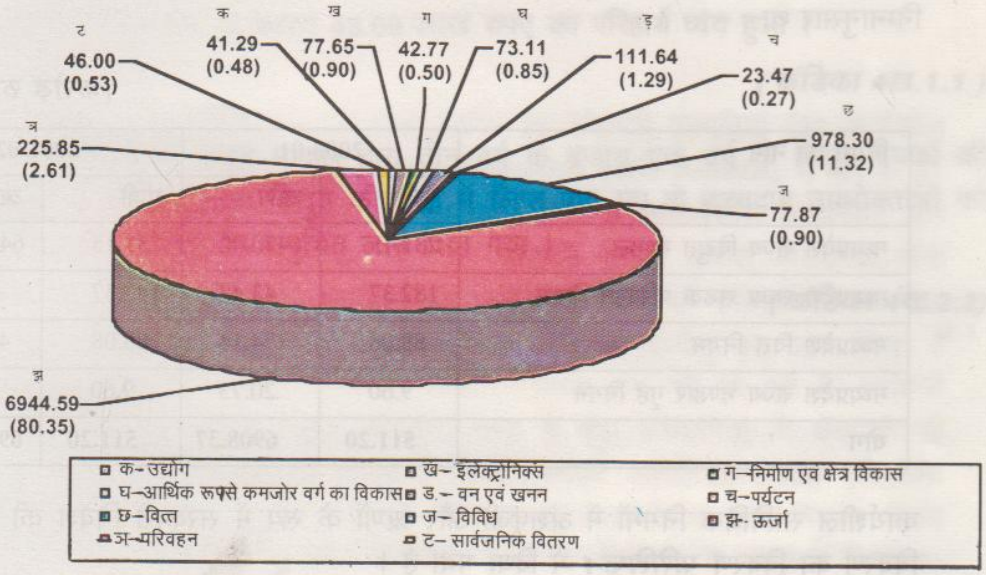
(करोड़ रुपयों में)



31 मार्च 2001 को कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

(कोष्ठक में दर्शित आंकड़े निवेश का प्रतिशत इंगित करते है)

(करोड़ रुपयों में)



टिप्पणी * विविध में कृषि, वस्त्र उद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प सम्मिलित है ।

1.2.1.1 कार्यशील सरकारी कम्पनियां

मार्च 2001 के अंत में 24 कार्यशील सरकारी कम्पनियां तथा मार्च 2002 के अंत में 23 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कार्यशील सरकारी कम्पनियों की संख्या	कार्यशील सरकारी कम्पनियों में निवेश			
		अंशपूंजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	योग
2000-01	24	241.55	4.14	734.54	980.23
2001-02	23	234.91	4.14	760.32	999.37

कार्यशील सरकारी कम्पनियों में अंशपूंजी और ऋण के रूप में सरकारी निवेश सारांशित विवरण ***परिशिष्ट-1*** में दिया गया है ।

31 मार्च 2002 को कार्यशील सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश में 23.92 प्रतिशत अंशपूंजी तथा 76.08 प्रतिशत ऋण समाविष्ट थे जबकि 31 मार्च 2001 को क्रमशः 25.06 प्रतिशत तथा 74.94 प्रतिशत का कुल निवेश था ।

वित्त, वस्त्र उद्योग, निर्माण एवं उद्योग क्षेत्रों के दीर्घावधि ऋणों में वृद्धि के कारण कार्यशील सरकारी कम्पनियों के ऋण अंशपूंजी अनुपात में 2000-01 में 2.99:1 से 2001-02 में 3.18:1 तक वृद्धि हुई ।

1.2.1.2 कार्यशील सांविधिक निगम

मार्च 2002 तथा मार्च 2001 के अंत में चार कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नानुसार था :

(करोड़ रुपयों में)

निगम का नाम	2000-01		2001-02	
	पूंजी	ऋण	पूंजी	ऋण
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	231.15	6470.02	231.15*	6470.02*
मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	182.37	43.48	182.37	43.48
मध्यप्रदेश वित्त निगम	88.08	374.14	88.08	448.49
मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम	9.60	20.73	9.60	1.41
योग	**511.20**	**6908.37**	**511.20**	**6963.40**

कार्यशील सांविधिक निगमों में अंशपूंजी और ऋणों के रूप में सरकारी निवेश की सारांशित विवरण का विवरण ***परिशिष्ट-1*** में दिया गया है ।

ऋण अंशपूंजी अनुपात 2000-01 में 13.99:1 से कम होकर 2001-02 में 13.62:1 रह गया।

1.2.2 बजट से दी गई राशियां, अनुदान/ आर्थिक सहायताऐं गारंटियां, बकाया दायत्वों का त्यजन और ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन

कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के लिए राज्य सरकार के बजट से दी गई राशियों, अनुदान/ आर्थिक सहायताओं, जारी गारंटियों, बकाया दायित्वों को छोड़ देने और राज्य द्वारा जारी ऋणों में अंशपूंजी में परिवर्तन संबंधी ब्यौरे ***परिशिष्ट-1 व 3*** में दिए गए हैं ।

कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को 2001-02 तक के तीन वर्षों के लिए बजट से दी गई राशियां (अंशपूंजी तथा ऋणों के रूप में) और राज्य सरकार से अनुदान / आर्थिक सहायताएं निम्नानुसार हैं :

* *चूंकि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने 2001-02 के आंकड़े प्रेषित नहीं किए हैं इसलिए चालू वर्ष के लिए भी पिछले वर्ष के आंकड़ें दर्शाए गए हैं ।*

(राशि : करोड़ रुपयों में)

	1999-2000				2000-01				2001-02			
	कम्पनियां		निगम		कम्पनियां		निगम		कम्पनियां		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से प्राप्त अंशपूंजी	4	3.11	1	1.80	2	2.00	--	--	1	1.50	--	--
बजट से दिए गए ऋण	4	16.82	1	218.31	4	30.69	1	216.31	3	33.69	2	193.08
अन्य अनुदान/ आर्थिक सहायता	5	18.68	1	0.78	10	23.83	1	341.14	6	75.81	4	402.67
कुल व्यय	10*	38.61	2*	220.89	14*	56.52	1*	557.45	12*	111.00	4*	595.75

वर्ष 2001-02 के दौरान सरकार ने दो कार्यशील सरकारी कम्पनियों (36.00 करोड़ रुपए) तथा एक कार्यशील सांविधिक निगम (1667.81 करोड़ रुपए) को प्राप्त कुल 1703.81 करोड़ रुपए के ऋणों की गारंटी दी थी । विगत वर्ष के अंत में आठ कार्यशील सरकारी कम्पनियों (159.21 करोड़ रुपए) तथा तीन कार्यशील सांविधिक निगमों (5469.93 करोड़ रुपए) के कुल बकाया 5629.14 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष मार्च 2002 के अंत में 10 कार्यशील सरकारी कम्पनियों (141.89 करोड़ रुपए) तथा तीन कार्यशील सांविधिक निगमों (3732.23 करोड़ रुपए) के विरुद्ध कुल 3874.12 करोड़ रुपए की गारंटियां बकाया थीं। मार्च 2002 के अंत में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को भुगतान किये जाने वाला गारंटी कमीशन क्रमशः 1.59 करोड़ रुपए तथा 0.71 करोड़ रुपए था ।

1.2.3 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

प्रत्येक वित्त विर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों के लेखाओं को कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 166, 210, 230, 619 व 619-बी के साथ ही नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19 के अनुसार संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति से 6 माह के भीतर अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक होता है । उन्हें वित्त वर्ष की समाप्ति से 9 माह के भीतर विधानसभा में भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है । इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखाओं को अंतिम रूप देकर लेखापरीक्षा करने के उपरान्त सांविधिक निगमों के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं ।

तथापि जैसा कि परिशिष्ट-2 से देखा जा सकता है कि 23 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से केवल दो कम्पनियों ने ही अपने 2001-02 के लेखे निर्धारित अवधि के भीतर तैयार किए तथा चार सांविधिक निगमों में से किसी भी निगम ने उक्त वर्ष के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया । अक्टूबर 2001 से सितम्बर 2002 अवधि के दौरान 16 कार्यशील सरकारी

यह उन कम्पनियों/ निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्होनें संबंधित वर्षों में राज्य सरकार से अंशपूंजी, ऋण, अनुदान तथा आर्थिक सहायता के रूप में बजटाधीन सहयोग प्राप्त किया है ।

कम्पनियों ने पिछले वर्षों के 23 लेखे अंतिम रूप से तैयार किए । इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने पिछले वर्षों के तीन लेखे अन्तिम रूप से तैयार किए ।

21 कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा चार सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2002 को एक वर्ष से पांच वर्षों तक की अवधि हेतु बकाया थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	कार्यशील कम्पनियों/ निगमों की संख्या		अवधि जिसके लेखे बकाया हैं	वर्षों की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ	
	सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगम			सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगम
1	2	3	4	5	6	
1.	1	--	1997-98 से 2001-02	5	क-17	--
2.	1	--	1998-99 से 2001-02	4	क-8,	--
3.	4	--	1999-2000 से 2001-02	3	क-2,18, 21 एवं 22	--
4.	6	--	2000-01 से 2001-02	2	क-1, 7,10,13,15 एवं 20	
5	9	4	2001-02	1	क-3,4, 9, 11, 12 ,14, 16, 19 एवं 23	ख-1,2, 3 एवं 4
	21	4				

प्रशासनिक विभागों का उत्तरदायित्व यह निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाकर अंगीकृत किए जाएं । यद्यपि संबंधित प्रशासनिक विभागों और सरकारी अधिकारियों को लम्बित लेखाओं को अंतिम रूप देकर संवरित करने हेतु महालेखाकार द्वारा हर तिमाही अवगत कराया गया तथापि सरकार ने कोई प्रभावी उपाय नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किए गए निवेश का लेखापरीक्षा में मूल्यांकन नहीं किया जा सका ।

1.2.4 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

अद्यतन अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों (सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों) के वित्तीय परिणामों का सारांश ***परिशिष्ट-2*** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त निगमों, जिन्होनें अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया, के अद्यतन तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक और कार्यचालन परिणाम क्रमशः ***परिशिष्ट-4 एवं 5*** में दिए गए हैं ।

23 कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा चार सांविधिक निगमों के अद्यतन अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 11 कम्पनियों तथा दो निगमों को क्रमशः 41.94 करोड़ रुपए तथा 1538.70 करोड़ रुपए की सकल हानि हुई और 12 कम्पनियों तथा दो निगमों ने क्रमशः 10.79 करोड़ रुपए और 16.89 करोड़ रुपए का सकल लाभ अर्जित किया।

1.2.4.1 कार्यशील सरकारी कम्पनियां

1.2.4.1.1 लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील कम्पनियां और लाभांश

राज्य सरकार ने अंशपूंजी के 12 प्रतिशत न्यूनतम लाभांश के भुगतान के लिए एक लाभांश नीति बनाई थी (जुलाई 1998)। दो कार्यशील सरकारी कम्पनियों, जिन्होनें सितम्बर 2002 तक वर्ष 2001-02 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया, में से किसी ने भी लाभ अर्जित नहीं किया । इस प्रकार सभी कार्यशील सरकारी कमपनियों में239.05 करोड़ रुपए के कुल अंशपूंजी निवेश पर राज्य सरकार ने वर्ष मार्च 2002 की समाप्ति पर कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया ।

इसी प्रकार 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों, जिन्होनें सितम्बर 2002 तक पिछले वर्षों के अपने लेखे अंतिम रूप से तैयार किए थे, में से आठ कम्पनियों ने 8.98 करोड़ रुपए का सकल लाभ अर्जित किया और केवल पाँच कम्पनियों ने दो अथवा दो से अधिक वर्षों में लाभ अर्जित किया । तीन कम्पनियों ने वर्ष के दौरान विगत वर्षों के लिए 0.67 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित किया ।

1.2.4.1.2 हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियां

हानि उठाने वाली 11 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से 6 कम्पनियों को 126.16 करोड़ रुपए की कुल संचित हानि हुई जो उनकी 48.33 करोड़ रुपए की कुल प्रदत्त पूंजी से अधिक थी ।

खराब कार्य निष्पादन और प्रदत्त पूंजी के पूर्णतः अपक्षरण के उपरान्त भी राज्य सरकार ने इन कम्पनियों को अंशपूंजी, और ऋण देने, ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन, आर्थिक सहायता आदि के रूप में वित्तीय सहयोग देना जारी रखा । उपलब्ध जानकारी के अनुसार 12 कम्पनियों को 2001-02 के दौरान अंशपूंजी, ऋणों, अनुदान एवं आर्थिक सहायता के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त 111.00 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय सहयोग में से 39.02 करोड़ रुपए उन 4 कम्पनियों से संबंधित थे जिनकी संचित हानि प्रदत्त पूंजी से अधिक थी ।

1.2.4.2 कार्यशील सांविधिक निगम

1.2.4.2.1 लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगम और लाभांश

चार सांविधिक निगमों में से वर्ष के दौरान किसी ने भी 2001-02 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया । मध्यप्रदेश वित्त निगम के मामलें में राज्य सरकार ने राज्य वित्त निगम अधिनियम,1951 की धारा 4 के अधीन लाभांश के भुगतान की गारंटी दी थी । सितम्बर 2000 में राज्य वित्त निगम अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप लाभांश घोषित करने की कोई गारंटी नहीं रही । भुगतान योग्य लाभांश (संचयी) 31 मार्च 2002 को 47.29 करोड़ रुपए संगणित किया गया। संचित हानि के कारण विगत वर्ष 2000-01 तक निगम ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया । 31 मार्च 2001 के अनुसार उसे 134.03 करोड़ रुपए की संचित हानि हुई जो उसकी 88.08 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी से अधिक थी।

इसी प्रकार लाभ अर्जित करने वाले दो सांविधिक निगमों, जिन्होने सितम्बर 2002 तक पिछले वर्षों के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया, में से मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम ने 14.86 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया और उसे दो अथवा अधिक उत्तरवर्ती वर्षों में भी लाभ हुआ । वर्ष के दौरान उसने 2000-01 के लिए 1.64 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित किया ।

1.2.4.2.2. हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

हानि उठाने वाले दो सांविधिक निगमों में से दोनों (मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल तथा मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) को 2254.55 करोड़ रुपए की कुल संचित हानि हुई जो उनकी 413.52 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी से अधिक थी ।

खराब कार्य निष्पादन के बाद भी राज्य सरकार ने दोनों निगमों को ऋण, अनुदान एवं आर्थिक सहायता के रूप में 2001-02 के दौरान 592.22 करोड़ रुपए की राशि का वित्तीय सहयोग प्रदान किया ।

1.2.4.2.3 कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन

कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन ***परिशिष्ट-6*** में दिया गया है । कार्यचालन निष्पादन के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए ।

1 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

पारेषण एवं वितरण हानियां 1998-99 में 19.36 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 31.62 प्रतिशत हो गई । यद्यपि विक्रय हेतु उपलब्ध विद्युत में 1998-99 में 33058.623 मेगा किलोवाट आवर से 1999-2000 में 34434.407 मेगा किलोवाट आवर तक वृद्धि हुई तथापि विक्रीत विद्युत में उसी अवधि के दौरान 26658.609 मेगा किलोवाट आवर से 23546.856 मेगा किलोवाट आवर तक कमी हुई ।

2 मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

यद्यपि वाहनों के उपयोग की प्रतिशतता 1998-99 में 76 से बढ़कर 2000-01 में 77 प्रतिशत हो गई तथापि उसी अवधि के दौरान वाहनों के उपयोग का प्रतिशत 68 प्रतिशत से घटकर 62 प्रतिशत रह गया ।

3 मध्यप्रदेश वित्त निगम

यद्यपि कुल आवेदित ऋणों में 1999-2000 में 111.93 करोड़ रुपए से 2001-02 में 166.49 करोड़ रुपए तक वृद्धि हुई तथापि उसी अवधि में संवितरित ऋण 71.95 करोड़ रुपए से कम होकर 66.05 करोड़ रुपए रहे ।

1.2.5 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

अन्तिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं (सितम्बर 2002 तक) के अनुसार 23 कार्यशील कम्पनियों में नियोजित पूंजी* 948.16 करोड़ रुपए संगणित की गई और उस पर कुल प्रतिफल+ की राशि 41.23 करोड़ रुपए (4.35 प्रतिशत) थी जो विगत वर्ष (सितम्बर 2001 तक तैयार लेखे) में 49.09 करोड़ रुपए (6.13 प्रतिशत) थी। इसी प्रकार कार्यशील सांविधिक निगमों के मामले में उनके अन्तिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं (सितम्बर 2002 तक) के अनुसार नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिफल क्रमशः 5861.73 करोड़ रुपए और (-)517.94 करोड़ रुघए परिगणित किया गया जबकि विगत वर्ष (सितम्बर 2001 तक तैयार लेखें) में कुल प्रतिफल (-)408.25 करोड़ रुपए था । कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के संबंध में नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिफल के विवरण ***परिशिष्ट-2*** में दिए गए हैं ।

1.2.6 विद्युत क्षेत्र में सुधार

(क) राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच सहमति पत्र के क्रियान्वयन की स्थिति

ऊर्जा क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से सुधारों के लिये संयुक्त प्रतिबद्धता के बतौर मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर मई 2000 में हस्ताक्षर हुए। बाद में ऊर्जा क्षेत्र के सुधारो को गैर-राजनैतिक करने तथा उनके क्रियान्वयन को गति देने के लिये मुख्य मंत्रियों/ ऊर्जा मंत्रियों के मार्च 2001 में सम्पन्न सम्मेलन में भी सर्वसम्मति व्यक्त की गई।

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

राज्य में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 (अधिनियम) की धारा 17 के अधीन विद्युत शुल्क के निर्धारण, विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण आदि से संबंधित मामलों में परामर्श देने के उद्देश्य के साथ अगस्त 1998 में किया गया था । आयोग एक कारपोरेट निकाय है जिसमें अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते है । आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा मध्यप्रदेश विद्यत सुधार अधिनियम, 2001 की धारा 43(2) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है । आयोग ने अभी तक (सितम्बर 2002) अपने प्रथम लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

* *नियोजित पूंजी निवल स्थाई परिसम्पत्तियां (प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्य सहित) तथा कार्यचालन पूंजी को दर्शाती है । यह वित्त कारोबार कम्पनियों एवं निगमों को छोड़कर है जिनमें यह प्रदत्त पूंजी, निर्बाध आरक्षित निधियों एवं उधारियों (पुनर्वित सहित) के आरंभिक तथा अंतिम शेषों के योग का औसत दर्शाती है ।*

\+ *नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की गणना हेतु उधार ली गई निधियों पर ब्याज को निवल लाभ में जोड़ा गया है । हानि से घटाया गया है जैसा कि लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है ।*

1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम

1.3.1 सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश

सार्वजनिक क्षेत्र के छः अकार्यशील उपक्रमों (सभी सरकारी कम्पनियों) में मार्च 2001 तथा मार्च 2002 के अंत में कुल निवेश क्रमशः निम्नानुसार था :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश			
		अंशपूंजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	योग
2000-01	6	13.74	0.19	0.04	13.97
2001-02	6	13.74	0.19	---	13.93

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :

(राशि : करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का स्तर	कम्पनियों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश	
			अंशपूंजी♣	दीर्घावधि ऋण
(i)	समापनाधीन	4	7.39	--
(ii).	बंद होने वाले	1	1.54	--
(iii)	संविलियन के अंतर्गत	--	--	--
(iv)	अन्य	1	5.00	--
	योग	**6**	**13.93**	

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपरोक्त उपक्रमों में से पांच सरकारी कम्पनियां 7 से 19 वर्षों से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन परिसमापन अथवा बंद होने के कगार पर थीं और इन कम्पनियों में 8.93 करोड़ रुपए का प्रचुर निवेश अंतर्निहित था । इन कम्पनियों के शीघ्र परिसमापन अथवा पुनरोद्धार के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है ।

1.3.2 बजट से दी गई राशियाँ, अनुदान/ आर्थिक सहायता, गारंटियाँ, दायित्व छोड़ देना तथा ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों को बजट के अंतर्गत प्रदत्त राशियों, अनुदानों/आर्थिक सहायता, निर्गमित गारंटियों, बकाया दायित्वों को छोड़ देने तथा ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन करने संबंधी विवरण ***परिशिष्ट-1 व 3*** में दिए गए हैं ।

राज्य सरकार ने 2001-02 के दौरान मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम को अनुदान के रूप में 10.00 लाख रुपए का बजटाधीन सहयोग दिया है ।

♣ *अंशपूंजी के अंतर्गत एक कम्पनी से संबंधित 0.19 करोड़ रुपए की अंश आवेदन राशि सम्मिलित है ।*

1.3.3 सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों पर कुल स्थापना व्यय

2001-02 तक के अंतिम तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों (सरकारी कम्पनियों) पर कुल स्थापना व्यय और उनकी वित्त व्यवस्था के स्रोतों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं :

(राशि : लाख रुपयों में)

वर्ष	सरकारी कम्पनियों की संख्या	कुल स्थापना व्यय	वित्त व्यवस्था के स्रोत	
			सरकार से निम्न माध्यम से अनुदान	अन्य@
1999-2000	5	0.50	--	0.50
2000-2001	6	72.88	60.00	12.88
2001-2002	6	36.26	10.00	26.26
योग	--	**109.64**	**70.00**	**39.64**

राज्य सरकार ने समापनाधीन छः कम्पनियों के स्थापना व्ययों पर अभी तक 1.10 करोड़ रुपए का व्यय किया है। इन कम्पनियों पर और अनुत्पादक व्यय को टालने के लिए इनको बंद करने हेतु त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है ।

1.3.4 सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देना

चार अकार्यशील कम्पनियों के तीन वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि के लेखे 30 सितम्बर 2002 तक अंतिम रूप से संवरण हेतु बकाया थे जैसा कि ***परिशिष्ट-2*** से दृष्टव्य है ।

1.3.5 सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

तैयार अद्यतन लेखाओं के अनुसार अकार्यशील सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट-2*** में दर्शाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों के अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी, निवल पूंजी, नकद हानि/लाभ तथा संचित हानि/लाभ के संक्षिप्त वर्षवार विवरण निम्नानुसार है

(राशि : करोड़ रुपयों में)

विवरण	प्रदत्त पूंजी	निवल पूंजी©	नकद हानि(-)/ नकद लाभ(+)π	संचित हानि (-) / संचित लाभ (+)
अकार्यशील कम्पनियां	13.11	(+)5.44	(-)1.11	(-)7.88

(टिप्पणी : अंशपूंजी में मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम की 1.04 करोड़ रुपए की अंशपूंजी सम्मिलित हैं)

@ वित्त व्यवस्था के अन्य स्रोत बैंकों से प्राप्त आय तथा अनुदानों में हुए व्यपवर्तन हैं ।

© *निवल पूंजी, प्रदत्त पूंजी एवं निर्बाध आरक्षित निधियों के योग में से संचित हानि घटाकर दर्शाई गई है ।*

π *नकद हानि/ लाभ, वर्ष के हानि लाभ में वर्ष का मूल्य ह्रास जोड़कर दर्शाया गया है।*

1.4 सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखने की स्थिति

निम्नांकित तालिका में सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सरकार द्वारा विधान सभा के पटल पर रखने की स्थिति दर्शाई गई है :

सांविधिक निगम का नाम	वह वर्ष जब तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में रखे गए	वर्ष जिनके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा के समक्ष नहीं रखे गए		
		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधान सभा के पटल पर रखने में विलम्ब के कारण
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	1999-2000	2000-01	लेखापरीक्षा अभी जारी है	--
मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1998-99	1999-2000	15-4-2002	मुद्रण के अंतर्गत है
मध्यप्रदेश वित्त निगम	2000-01	2001-02	लेखे अभी प्रतीक्षित है	--
मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम	1999-2000	2000-01	1-7-2002	--

1.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार ने 2001-02 के दौरान अपने किसी भी सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन नहीं किया है ।

1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम

अक्टूबर 2001 से सितम्बर 2002 तक की अवधि के दौरान 23 सरकारी कम्पनियों (18 कार्यशील व 5 अकार्यशील) तथा 3 सांविधिक निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का चयन समीक्षा के लिए किया गया था । सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निवल प्रभाव निम्नानुसार रहा :

क्रम संख्या	विवरण	लेखाओं की संख्या				(राशि : लाख रुपयों में)			
		सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम		सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम	
		कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील	अकार्यशील
(i)	लाभ में कमी	5		--		3038.25		--	
(ii)	लाभ में वृद्धि	1		--		4.95		--	
(iii)	हानि में वृद्धि	4		2		81.64		44094.21	
(iv)	हानि में कमी	--		1		--		6484.12	
(v)	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	4		2		7819.70		29251.07	
(vi)	वर्गीकरण की त्रुटियां	5	1	2		689.98	8.67	1669.09	

उपरोक्त कतिपय कम्पनियों और सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान पाए कुछ महत्वपूर्ण दोष एवं चूकों का नीचे उल्लेख किया गया है :

1.6.1 सरकारी कम्पनियों के मामले में पाए गए दोष एवं चूकें

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित (1999-2000)

वर्ष 1990-91 से पूर्व के डूबत ऋणों हेतु प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वर्ष में 66.90 लाख रुपए तक की चालू परिसम्पत्तियां, कर्जे एवं पेशगियां तथा लाभ अधिक बताए गए ।

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित (1999-2000)

लाभ-हानि लेखे में विज्ञापन व्यय (5.65 लाख रुपए), पचमढ़ी उत्सव (1.63 लाख रुपए), परिवहन व्यय- वाहन भाड़ा प्रभार (2.26 लाख रुपए) तथा सम्पत्ति कर संबंधित प्रशासनिक व्यय (4.58 लाख रुपए) सम्मिलित नहीं किए गए। उक्त व्यय हेतु प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप 14.12 लाख रुपए तक के प्रावधान एवं हानि कम बताई गई ।

1.6.2 सांविधिक निगमों के मामले में पाए गए दोष एवं चूकें

मध्यप्रदेश वित्त निगम (2000-01)

भूमि के पट्टा मूल्य की उत्सर्जन व्यवस्था न करने के परिणामस्वरूप 21.57 लाख रुपए (गत वर्ष : 19.11 लाख रुपए एवं चालू वर्ष : 2.46 लाख रुपए) तक लाभ अधिक बताया गया तथा इसी सीमा तक अचल परिसम्पत्तियों (पट्टे पर भूमि) को अधिक दर्शाया गया।

1.6.2.1 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा मूल्यांकन

2000-01 तक के तीन वर्षों के लिए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के कार्यचालन परिणामों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन पर आधारित तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई प्रमुख अनियमितताओं एवं चूकों और राज्य सरकार से प्राप्य आर्थिक सहायता/ आर्थिक सहयोग को लेखाकरण में ध्यान में न रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की नियोजित पूंजी पर निवल आधिक्य/ कमी तथा प्रतिफल की प्रतिशतता निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	लेखा पुस्तकों के अनुसार निवल आधिक्य/ (-) कमी	116.93	(-)1371.29	(-)1473.81
2.	राज्य सरकार से आर्थिक सहायता	1723.65	313.12	279.46
3.	राज्य सरकार से आर्थिक सहायता के पूर्व निवल आधिक्य/ (-)कमी (1-2)	(-)1606.72	(-)1684.41	(-)1753.27
4.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के कारण निवल आधिक्य/ (-) कमी में निवल वृद्धि/ कमी	(-)6.18	(-)71.49	लेखापरीक्षा जारी है
5.	राज्य सरकार से आर्थिक सहायता से पूर्व तक एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निवल आधिक्य/ (-)कमी (3-4)	(-)1612.90	(-)1755.90	--
6.	**नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल***	767.63	(-) 402.09	(-) 520.49

1.6.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताएं और प्रणालीगत कमियां

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

(i) मण्डल ने स्थाई परिसम्पत्तियों यथा स्थान, मात्रा, मूल्य, अधिष्ठापन तिथि, मूल्यह्रास प्रभार आदि के विवरण दर्शाते हुए परिसम्पत्तियों (मण्डल के अस्पताल को छोड़कर) की निर्धारित पंजियों का संधारण नहीं किया । परिणामस्वरूप लेखाओं में प्रदर्शित मूल्य का लेखापरीक्षा में प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका । परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया ।

(ii) दोषपूर्ण सामग्री, मरम्मत न की जा सकने योग्य सामग्री तथा अपरम्परागत शेष[$] जिन्हें स्टॉक, के अन्तशेष में सम्मिलित करना जारी रखा गया, के परिणामस्वरूप स्टॉक का अधिक मूल्यांकन किया गया ।

(iii) लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई नौ इकाइयों[*] के परिप्रेक्ष्य में मार्च 1999 के बैंक समाधान विवरण-पत्र में 1997-98 और इससे आगे की अवधि से संबंधित 95.62 करोड़ रुपए की कुल राशि का अंतर देखा गया ।

मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(i) परिसम्पत्तियों (बेड़े के अतिरिक्त) का भौतिक सत्यापन 1975-76 से नहीं किया गया है ।

(ii) परिसम्पत्तियों का विवरण यथा अधिग्रहण की तिथि, स्थान, स्थिति आदि दर्शाते हुए परिसम्पत्ति-पंजी का संधारण नहीं किया गया ।

(iii) प्रगत्यधीन निर्माण कार्य चालू परिसम्पत्तियों की बजाय स्थाई परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था । प्रगत्यधीन निर्माण-कार्य के विवरण अर्थात प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान वृद्धि, स्थाई परिसम्पत्तियों के पक्ष में अंतरित राशि तथा प्रति वर्ष के अंत में प्रत्येक परिसम्पत्ति का अंतशेष, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत यथा-अपेक्षित लेखाओं में नहीं, दर्शाए गए ।

(iv) अग्रिमों एवं जमाओं के वर्षवार, पक्षवार विववरण नहीं बनाए गए ।

$ *अपरम्परागत शेष स्टॉक लेखे में नामे शेष के स्थान पर जमा शेष प्रदर्शित करते हैं ।*

* *(बीरसिंहपुर, बिलासपुर, मुरैना, देवास, सिरमौर, भोपाल, जबलपुर (केन्द्रीय लेखा इकाई), मुख्यालय तथा सीधी)*

1.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु अनुशंसाएं

नौ सरकारी कम्पनियों (कार्यशील)[Φ] के अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी उनका वार्षिक टर्न ओवर अंतिम रूप से संवरित लेखाओं के पूर्ववर्ती पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष पाँच करोड़ रुपए से कम था । इनके अतिरिक्त दो सरकारी कम्पनियां (कार्यशील)[**] निरन्तर पांच वर्षों से हानि उठा रही थीं । जिससे उनकी पूंजी नकारात्मक रही । अत्यल्प टर्नओवर एवं निरन्तर हानियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार या तो इन 11 सरकारी कम्पनियों के निष्पादन में सुधार के उपाय करे अथवा इनको बन्द करने पर विचार करे ।

1.8 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और समीक्षाओं के प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आई और उसी दौरान निराकृत न की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को सूचित की जाती हैं । सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को छःसप्ताहों के भीतर विभागों के संबंधित प्रमुखों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर प्रेषित करना होते हैं । 32 सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित मार्च 2002 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 1880 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 5207 कंडिकाएं सितम्बर 2002 के अंत तक निराकृत नहीं हुई । इनमें से 1714 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 4682 कंडिकाओं के उत्तर 1 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त नहीं हुए थे । 30 सितम्बर 2002 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट-7*** में दिया गया है ।

इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यचालन पर प्रारूप कंडिकाएं एवं समीक्षाएं संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र के साथ तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि तथा छःसप्ताहों के भीतर उन पर उनकी अभ्युक्तियां प्राप्त करने के लिए अग्रेषित की गई थी। तथापि मई 2001 से जुलाई 2002 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रेषित 15 प्रारूप कंडिकाओं एवं चार प्रारुप समीक्षाओं में से ***परिशिष्ट-8*** में दर्शाए अनुसार 14 प्रारूप कंडिकाओं और तीन प्रारूप समीक्षाओं के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे ।

यह अनुशंसा की जाती है कि (क) जो अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदनों/ प्रारूप कंडिकाओं/ समीक्षाओं के उत्तर निर्धारित अवधि में देने में विफल रहे है, उनके विरुद्ध सरकार कार्रवाई करने की प्रक्रिया की विद्यमानता, (ख) हानि/ बकाया अग्रिमों/ अधिक भुगतान की वसूली हेतु समयबद्ध कार्रवाई तथा (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की पद्धति में पुनः सुधार सुनिश्चित करें ।

Φ *मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण मर्यादित, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल), (इन्दौर), (जबलपुर), (रीवा), (ग्वालियर)। भविष्य निधि निवेश कम्पनी मर्यादित तथा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम मर्यादित ।*

** *मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम मर्यादित*

1.9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

सितम्बर 2002 के अंत में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों(वाणिज्यिक) पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा हेतु बकाया समीक्षाओं/ कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शित समीक्षाओं और कंडिकाओं की संख्या		चर्चा हेतु बकाया समीक्षाओं/ कंडिकाओं की संख्या	
	समीक्षाएं	कंडिकाएं	समीक्षाएं	कंडिकाएं
1999-2000	04	20	04	16
2000-2001	02	15	02	15

1.10 619-बी कम्पनियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अधीन आने वाली " मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र मर्यादित" नाम की एक कम्पनी है, जो अकार्यशील है। उपलब्ध अद्यतन लेखाओं के आधार पर इसकी प्रदत्त पूंजी, अंशपूंजी, ऋणों एवं अनुदानों में निवेश के स्रोतों तथा कार्यचालन परिणामों का सारांश ***परिशिष्ट-9*** में दर्शाया गया है।

अध्याय - 2

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित के कार्यकलाप

मुख्यांश

यह कम्पनी, राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धन एवं कृषि, मछलीपालन, मुर्गीपालन आदि के लिए आवश्यक यंत्रों एवं उपकरणों के निर्माण तथा कृषि उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से मार्च 1969 में निगमित की गई थी ।

(कंडिका 2.1)

इसकी छः कार्यशील इकाइयों में से चार इकाइयां हानि उठा रहीं थीं । बाबई स्थित इसके मशीनीकृत कृषि प्रक्षेत्र को 1996-2001 के दौरान कम उत्पादन के कारण 2.96 करोड़ रुपए की हानि हुई ।

(कंडिका 2.6 व 2.6क (ii))

जैव उर्वरक उत्पादन के विक्रय हेतु उपयुक्त विपणन रणनीति अपनाने में विफलता के परिणामस्वरूप जैव उर्वरक संयंत्र, भोपाल को 1.00 करोड़ रुपए की हानि हुई ।

(कंडिका 2.6ख (i)(ख))

तैयार भोज्य सामग्री संयंत्र, बाड़ी द्वारा विक्रय कर का आरोपण न करने के परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रुपए की हानि हुई ।

(कंडिका 2.6ग (iii))

तैयार भोज्य पदार्थ निर्माणी, रायगढ़ द्वारा पंजीरी के प्रदाय में बढ़ी हुई दर के लिए अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में कम्पनी को 0.93 करोड़ रुपए के दावे अपलेखित करने पड़े ।

(कंडिका 2.6घ)

अपने उत्पाद विक्रय हेतु बाजार विकसित किए बिना दो जैविक खाद संयंत्रों की स्थापना करने के परिणामस्वरूप 35.98 लाख रुपए की हानि के अतिरिक्त एक इकाई बंद भी करनी पड़ी ।

(कंडिका 2.6च)

परिचालन लागत को ध्यान में रखे बिना भाड़े पर उपकरण देने और नलकूप खुदाई हेतु सेवा प्रभारों का निर्धारण करने के कारण 2.63 करोड़ रुपए की हानि हुई ।

(कंडिका 2.8)

अनुबंध में व्यवस्था के बावजूद परियोजना की प्रगति के परिवीक्षण में कम्पनी की विफलता, विनिवेश में विलम्ब तथा निवेश पर ब्याज की मांग करने में विफलता, के परिणामस्वरूप 0.69 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई ।

(कंडिका 2.9)

मांग का आकलन किए बगैर बैल चलित कृषि उपकरणों के मनमाने/अनियोजित उत्पादन के परिणामस्वरूप 1.81 करोड़ रुपए की धनराशि अवरुद्ध रही ।

(कंडिका 2.14(क))

2.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित (कम्पनी) राज्य एवं केन्द्र सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में राज्य में कृषि, मछलीपालन, मुर्गीपालन आदि के लिए आवश्यक यंत्रों एवं उपकरणों के निर्माण तथा ऐसी ही इकाइयों को वित्तीय एवं प्रबंधकीय सहायता प्रदान कर कृषि उद्योगों के विकास के लिए कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मार्च 1969 में निगमित किया गया था ।

वर्तमान में कम्पनी के क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

(i) संयुक्त क्षेत्र में तथा अपने स्वयं के कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना एवं संवर्धन;

(ii) उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों, यंत्रों, बैटरीज, टायरों, कलपुर्जों आदि का व्यापार

(iii) कृषि उपकरणों का निर्माण एवं ढलाई कृषि-यंत्रों की मरम्मत, डोजरों तथा मशीनरी को किराए पर देना ; तथा

(iv) वायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना का क्रियान्वयन

कम्पनी ने उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई कारपोरेट योजना तैयार नहीं की है ।

2.2 संगठनात्मक संरचना

कम्पनी का प्रबंधन केन्द्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से गठित संचालक मण्डल में निहित है । 31 मार्च 2002 को संचालक मंडल में नौ संचालक थे जिनमें से सात संचालक (अध्यक्ष और एक प्रबंध संचालक सहित) राज्य सरकार द्वारा तथा दो संचालक केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए गये थे ।

प्रबंध संचालक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, कार्य में जिसकी सहायता एक मुख्य महाप्रबंधक और तीन महाप्रबंधक करते हैं।

तथापि प्रबंध संचालकों के बारंबार बदले जाने के कारण प्रबंधन में निरंतरता नहीं थी । मार्च 2002 तक के विगत पांच वर्षों के दौरान कम्पनी में सात प्रबंध संचालक रहे जिनका कार्यकाल 1.5 माह से 23 माह के बीच था । प्रबंध संचालकों के बार-बार परिवर्तित होने के

कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण से कम्पनी वंचित रही । यद्यपि कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 3.30 करोड़ रुपए थी फिर भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383 (क) के अधीन यथा अपेक्षित कम्पनी सचिव की नियुक्ति नहीं की गई।

कम्पनी के नौ क्षेत्रीय कार्यालय तथा 45 शाखा कार्यालय हैं ; प्रत्येक कार्यालय में प्रमुख के रूप में क्रमशः एक क्षेत्रीय प्रबंधक तथा एक शाखा प्रबंधक होता है । इसके अतिरिक्त कम्पनी की आठ* उत्पादन इकाइयां थी जिनमें से दो** इकाइयां अब बंद हो चुकी हैं ।

2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

कम्पनी के क्रियाकलापों की विगत समीक्षा 1994-95 वर्ष के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सम्मिलित की गई थी । सार्वजनिक उपक्रम समिति ने मार्च 2000 में अपनी अनुशंसाए दी थीं । अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (अप्रैल 2002)।

सार्वजनिक उपक्रम समिति की प्रमुख अनुशंसाओं में यह सम्मिलित था कि जैविक खाद का पर्याप्त प्रचार कर विक्रय बढ़ाया जाना चाहिए, कीटनाशकों एवं जैविक खाद की गुणवत्ता मे एवं विपणन तकनीक में सुधार किया जाए, तैयार भोज्य पदार्थों का निर्माण सुनियोजित किया जाए, विशेषज्ञों की सहायता से कृषि प्रक्षेत्रों के मानदंड निश्चित किए जाए तथा उक्त कृषि प्रक्षेत्रों के विकास हेतु सुविधाऐं बढ़ाकर संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। तथापि इन अनुशंसाओं पर कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसका उल्लेख आगामी कण्डिकाओं में किया गया है।

मार्च 2002 को समाप्य विगत पांच वर्षों के कम्पनी के क्रियाकलापों को आबद्ध करते हुए वर्तमान समीक्षा नवम्बर 2001 से मई 2002 के दौरान की गयी थी। जिसमें 45 में से 15 शाखा कार्यालयों#, छः उत्पादन इकाइयों$ तीन क्षेत्रीय कार्यालयों*** तथा कम्पनी के मुख्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी। निष्कर्षों का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

* *तैयार भोज्य सामग्री संयंत्र, बाड़ी और रायगढ़, जैविक खाद संयंत्र भोपाल एवं ग्वालियर, कीटनाशक निर्माण संयंत्र, बीना, कर्मशाला, भोपाल तथा मशीनीकृत कृषि प्रक्षेत्र, बाबई जिनमें प्रत्येक और इकाई में एक प्रबंधक एवं जैविक खाद संयंत्र भोपाल में एक उप महाप्रबंधक प्रमुख होता है।*

** *तैयार भोज्य पदार्थ निर्माणी, रायगढ़ अप्रैल 2001 में तथा जैविक खाद संयंत्र, ग्वालियर जुलाई 2000 में बंद हो गए हैं ।*

\# *शाखा कार्यालय जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, धार, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम व खरगोन*

$ *जैविक खाद संयंत्र भोपाल, तैयार भोज्य सामग्री संयंत्र बाड़ी, जैविक खाद संयंत्र भोपाल, कीटनाशक निर्माण संयंत्र बीना, यंत्र चलित कृषि प्रक्षेत्र बाबई तथा केन्द्रीय कर्मशाला भोपाल*

*** *जबलपुर, ग्वालियर व उज्जैन*

2.4 पूंजी संरचना एवं उधारिया

31 मार्च 2002 को कम्पनी की अधिकृत अंशपूंजी 5 करोड़ रुपए तथा प्रदत्त पूंजी 3.30 करोड़ रुपए थी जो राज्य सरकार (2.10 करोड़ रुपए) और केन्द्र सरकार (1.20 करोड़ रुपए) के द्वारा सहयोजित थी । अपनी कार्यचालन पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम्पनी ने राज्य सरकार से ऋण प्राप्त किए थे ।

कुल 1.97 करोड़ रुपए के ऋणों पर संचित एवं देय ब्याज और दांडिक ब्याज 4.11 करोड़ रुपए था।

31 मार्च 2002 को कुल बकाया ऋणों की राशि 1.97 करोड़ रुपए थी जिस पर संचित एवं देय ब्याज और दांडिक ब्याज 4.11 करोड़ रुपए था ।

2.5 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

कम्पनी ने 1999-2000 तक के अपने लेखाओं को अन्तिम रूप दिया है । मार्च 2000 को समाप्य पांच वर्षों की कम्पनी की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणामों के विवरण क्रमश: ***परिशिष्ट-10 और 11*** में दिए गए हैं ।

निम्नांकित सारणी में कम्पनी द्वारा 1995-2000 के दौरान अर्जित लाभ दर्शाया गया है।

(लाख रुपयों में)

वर्ष	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
कर पूर्व लाभ	12.14	74.35	58.40	84.96	82.62
कर हेतु प्रावधान	8.56	55.73	36.95	37.96	37.12
कर उपरांत लाभ	3.58	18.62	21.45	47.00	45.50
विगत वर्ष का समायोजन	(-)2.48	(-)11.45	(-) 7.81	(-) 9.68	(-) 14.20
शुद्ध लाभ	**1.10**	**7.17**	**13.64**	**37.32**	**31.30**

31.30 लाख रुपए का लाभ मुख्यत: 2.13 करोड़ रुपए की अव्यावसायिक आय के कारण था।

वर्ष 1999-2000 का 31.30 लाख रुपए का लाभ मुख्यत: 1.15 करोड़ के अव्यावसायिक आय का लेखांकन करने तथा 1999-2000 में भारत सरकार से प्राप्त 1997-98 हेतु 0.98 करोड़ रुपए की ब्याज आर्थिक सहायता के कारण था न कि कम्पनी के सामान्य क्रियाकलापों से ।

2.6 कार्यचालन निष्पादकता

उत्पादन इकाइयों की निष्पादकता

मार्च 1996 को कम्पनी की आठ उत्पादन इकाइयां थी जिनमें से दो अब बंद हो चुकी हैं । निम्नांकित तालिका में 31 मार्च 2001 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान आठ उत्पादन इकाइयों का लाभ (+) एवं हानि (-) दर्शाई गई है ।

(लाख रुपयों में)

उत्पादन इकाई का नाम	वर्ष 2000-01 के लिए कुल लाभ (+) / हानि (-)
यंत्रचालित कृषि प्रक्षेत्र, बाबई	(-) 152.18 (मार्च 2000 तक)
जैविक खाद संयंत्र, भोपाल	(-) 2.77
जैविक खाद संयंत्र, ग्वालियर (जुलाई 2000 में बंद हुआ)	(-) 33.21
कीटनाशक निर्माण संयंत्र, बीना	(-) 8.07 (मार्च 2000 तक)
तैयार भोज्य सामग्री संयंत्र, बाड़ी	(+) 369.68
केन्द्रीय कर्मशाला, भोपाल	(-) 37.10
बायो उर्वरक संयंत्र, भोपाल	(+) 517.10
तैयार भोज्य पदार्थ निर्माणी संयंत्र रायगढ़ (अप्रैल 2001 में बंद हुआ)	(-) 56.15

छः कार्यशील इकाइयों* के निष्पादन की समीक्षा से प्रकट हुआ कि एक इकाई निरन्तर हानि उठा रही है, तीन संयंत्रों के कार्यचालन के फलतः निवल हानि हुई तथा केवल दो संयंत्र ही लाभ अर्जित कर रहे थे ।

इन इकाइयों के उत्पादन निष्पादन का नीचे उल्लेख किया गया है :

2.6क मशीनीकृत कृषि प्रक्षेत्र, बाबई

बाबई (जिला होशंगाबाद) में कम्पनी का एक मशीनीकृत कृषि प्रक्षेत्र है जो उत्तम किस्म का बीज उत्पादन कर किसानों को वितरण करने, कृष्य प्रदर्शन और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग दर्शाने तथा कृषकों एवं कृषि कर्मियों हेतु प्रशिक्षण के रूप में कार्य करने के प्रयोजन से कार्यरत है । इस कृषि प्रक्षेत्र के कार्यप्रणाली की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए :

2.6क(i) क्षमता का न्यून उपयोग

निम्नांकित तालिका में 31 मार्च 2001 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान कृषि हेतु कुल उपलब्ध क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र और उपयोग की प्रतिशतता दर्शाई गई है ।

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
उपलब्ध भूमि (एकड़)	1964	1964	1964	1964	1964
बोनी क्षेत्र (एकड़)	1384	1541	1961	1269.50	1340
उपयोग का प्रतिशत	70.46	78.46	99.84	64.64	68.23

उपयोग की प्रतिशतता 65 से 99 के मध्य रही तथा 1998-99 में 100 से 2000-01 में 68 तक गिरावट हुई। कम्पनी ने भूमि के उपयोग में गिरावट की प्रवृत्ति के कोई कारण नहीं बताये।

* *मशीनीकृत कृषि प्रक्षेत्र बाबई, जैविक खाद संयंत्र भोपाल, कीटनाशक निर्माण संयंत्र बीना, तैयार भोज्य सामग्री संयंत्र बाड़ी, केन्द्रीय कर्मशाला भोपाल, बायो उर्वरक संयंत्र भोपाल*

2.6क(ii) कम उत्पादन

गेंहू, धान, तूअर और आलू का कम उत्पादन होने के कारण प्रक्षेत्र को 2.96 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी।

1996-2001 के दौरान जहां तक मानदंड की तुलना में वास्तविक उत्पादन का प्रश्न है, धान, गेंहू, तूअर एवं आलू की खेती में कम उत्पादन के कारण प्रक्षेत्र को 2.96 करोड़ रुपए की हानि हुई जैसा कि ***परिशिष्ट-12*** में वर्णित है ।

परिशिष्ट-12 से यह दृष्टव्य है कि गेंहू का वास्तविक उत्पादन 14.285 क्विंटल प्रति एकड़ के मानदंड के 50 प्रतिशत तक भी कभी नहीं पहुंचा और वह 5.18 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ के बीच रहा । तुअर के संबंध में वास्तविक उत्पादन और भी खराब रहा जो 4.08 क्विंटल प्रति एकड़ के मानदंड की तुलना में केवल 0.112 क्विंटल प्रति एकड़ से 1.28 क्विंटल प्रति एकड़ के बीच (अर्थात मानदंड के 2.75 से 31.37 प्रतिशत) रहा तथापि प्रक्षेत्र में 1996-97 और 1999-2000 में तुअर बोई ही नहीं गई तथा 1996-97 और 2001-2002 में आलू नहीं उगाया गया जिसके लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं दर्शाये गये थे । धान के उत्पादन के 16.326 क्विंटल प्रति एकड़ के मानदंड की तुलना में वास्तविक उत्पादन 11.63 से 16.00 क्विंटल प्रति एकड़ के बीच रहा ।

प्रक्षेत्र में बाबई स्थिति क्षेत्र में आलू भी बोया जाता था । कृषि विभाग ने वाणिज्यिक आलू के संबंध में 35 क्विंटल प्रति एकड़ तथा मूल आलू बीज के मामले में 12.245 क्विंटल का उत्पादन निर्धारित किया है। तथापि प्रक्षेत्र ने 31 मार्च 2002 तक के पांच वर्षों में किसी भी वर्ष मानदंड का स्तर प्राप्त नहीं किया और कम उत्पादन के कारण 24.42 लाख रुपए की हानि हुई।

1996-2000 के दौरान प्रक्षेत्र को 1.52 करोड़ रुपए तक की कार्यचालन हानियां हुई। कम्पनी ने न तो हानि के कारणों का विश्लेषण किया और न ही कोई सुधारात्मक उपाय किए।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि :

(क) कम्पनी ने खेती के लिए उपयुक्त फसलों की खास तौर से पहचान नहीं की थी जैसा कि प्रक्षेत्र आयोजना की जांच से स्पष्ट है ।

(ख) कम्पनी ने विस्तृत क्षेत्र में कृषि कार्य करने के पूर्व आवश्यक मिट्टी परीक्षण/ वैज्ञानिक अध्ययन भी नहीं कराया जैसा कि 14 वर्षों से भी अधिक अवधि में केवल दो बार ही मिट्टी परीक्षण कराये जाने से स्पष्ट है ।

(ग) कम्पनी ने बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी लागत सामग्री के वितरण तथा फसल पकने, काटने, ढोने, भूसा अलग करने एवं भंडारण जैसे क्रियाकलापों हेतु आंतरिक नियंत्रण की प्रभावी और उचित प्रणाली को भी विकसित नहीं किया । इस प्रकार लेखापरीक्षा में यह जांच नहीं की जा सकी कि जारी की गई बताई गई लागत सामग्री वास्तव में, आवश्यकता के अनुरूप और यथोचित समय पर खेती में उपयोग की गई थी ।

(घ) छः इकाइयों के प्रभारी अधिकारी कृषि कार्य तकनीक में अर्हता प्राप्त एवं प्रशिक्षित नहीं थे और वे विगत 16 वर्षों से अस्थाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे ।

(ड.) केवल एक ही उप प्रबंधक प्रक्षेत्र की 3364 एकड़ तक विस्तृत भूमि के समस्त क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण कर रहा था और इसके अतिरिक्त भंडार और लेखाओं के समग्र प्रभार भी देख रहा था ।

कम्पनी ने बताया (फरवरी 2002) कि मिट्टी परीक्षण किया गया था, पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था तथा उपयोगिता के आधार पर और स्थापना व्ययों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की तैनाती कर पर्यवेक्षकीय नियंत्रण किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसा कोई अभिलेख नहीं रखा गया जिससे यह प्रकट हो कि प्रशिक्षण दिया गया था और यह कि इकाई के प्रभारी अधिकारी दक्षता प्राप्त थे । इसके अतिरिक्त लगाया गया कर्मचारी अमला केवल अस्थाई था ।

2.6क(iii) विक्रय मूल्य कम होने के कारण हानि

आलू की उत्पादन लागत तथा इसके विक्रय मूल्य की समीक्षा से प्रकट हुआ कि विक्रय मूल्य हमेशा ही उत्पादन लागत से कम मिला, जिसके परिणामस्वरूप 1999-2001 में नीचे दर्शाए अनुसार 21.23 लाख रुपए की हानि हुई।

वर्ष	उत्पादित मात्रा (क्विंटल)	उत्पादन लागत (लाख रुपयों में)	विक्रीत मात्रा (क्विंटल)	विक्रय मूल्य (लाख रुपयों में)	विक्रय में हानि (लाख रुपयों में)	नष्ट हुई मात्रा (क्विंटल)	नष्ट होने के कारण हानि (लाख रुपयों में)
1997-98	2035.15	13.84	1949.05	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	86.10	0.59
1998-99	1260.00	10.89	1144.75	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	115.25	1.00
1999-2000	3918.43	29.06	2599.00 784.50	5.09 5.82	14.18	167.53 367.40	1.24 2.72
2000-01	2565.19 278.00	12.58 4.81	2137.19 –	3.43 –	7.05 –	400.00 39.80	1.96 0.69
2001-02	निरंक	निरंक	–	–	–	–	–
योग	**10056.77**	**71.18**	**8614.49**	**14.34**	**21.23**	**1176.08**	**8.20**

गेहूँ, धान एवं तूअर की लाभदायकता के विश्लेषण के आंकड़े पृथक से उपलब्ध नहीं थे ।

2.6क(iv) आलू की नाशवानता

यद्यपि इकाई अनेक वर्षों से आलू की खेती तथा विक्रय कर रही थी तथापि नाशवानता के कारण होने वाली हानि कम करने के लिये आवश्यक पूर्वोपाय नहीं किये गये और 31 मार्च 2002 को समाप्य पांच वर्षों के दौरान कुल उत्पाद के 11.69 प्रतिशत आलू , जिनका मूय 8.20 लाख रुपये था, खराब हो गये। कम्पनी ने उत्पादन पर उचित नियंत्रण के लिये नाशवानता के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये थे ।

कम्पनी के आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार आलू के कम उत्पादन तथा नाशवानता की बजह से हानि मुख्यतः अनुपयुक्त भूमि पर खेती, संक्रमित बीज के उपयोग के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में नाशवानता, नर्सरी में विलम्ब से बुआई के कारण बीजों के असंतोषजनक अंकुरण के प्रतिकूल प्रभाव के कारण थी।

कम्पनी ने इन निष्कर्षों के आधार पर कोई विस्तृत जांच नहीं की और न हानियों के लिये कोई उत्तरदायित्व ही निर्धारित किया ।

इकाई ने उत्तर दिया (मार्च 2002) कि वर्षा की कमी के फलस्वरूप कम मांग के कारण बीज के रूप में आलू बेचा नहीं जा सका। असामान्य नाशवानता के कारण जानने के लिये केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला को प्रेषित आलू पर नमूना जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच रिपोर्ट प्राप्त करने में विफलता का एक मात्र कारण प्रयोगशाला जांच शुल्क के 13000 रुपये का भुगतान न करना था और इस बजह से कारण जानने तथा उपचारी उपाय करने में विलम्ब हुआ । कम्पनी को आलू उत्पादन में वृद्धि/ परिरक्षण और आलू की खेती में सुधार कर उत्पादन हानियों से बचाव के लिये व्यापक योजना बनानी चाहिये ।

2.6ख जैव उर्वरक संयंत्र, भोपाल

2.6ख(i) कम्पनी ने जैव उर्वरक के उत्पादन तथा विकास खण्ड कार्यालयों एवं सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों में उसके वितरण के लिये 0.67 करोड़ रुपये की लागत पर 1986 में भोपाल में एक जैव उर्वरक संयंत्र की स्थापना की। 1996-2001 के दौरान उत्पादित, वितरित, एवं शाखाओं के माध्यम से विक्रीत,शाखाओं द्वारा वापस किये गये एवं उनके पास पड़े हुए जैव उर्वरक का विवरण निम्नानुसार है :

(मात्रा लाख पैकेटों में)

वर्ष	उत्पादित मात्रा	वितरित मात्रा	विक्रीत मात्रा	वितरण की तुलना में विक्रय का प्रतिशत	शाखाओं द्वारा वापस किये गये स्टाक में
1996-97	23.557	23.524	19.430	82.60	4.094
1997-98	29.113	28.979	22.785	78.63	6.194
1998-99	37.654	37.593	26.190	69.67	11.403
1999-2000	38.662	38.607	29.215	75.67	9.392
2000-01	36.292	35.956	25.00	69.53	10.956
	165.278	**164.659**	**122.62**	**74.47**	**42.039**

लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुये :

(क) कोपू की इस अनुशंसा के बावजूद भी कि विक्रय वृद्धि के प्रयास किये जांय और कृषकों को प्रोत्साहित किया जाय, टर्न ओवर का स्तर 1996-97 मे 83 प्रतिशत से 2000-2001 में घटकर 70 प्रतिशत रह गया ।

कम्पनी ने जैव उर्वरकों की उपयोगिता समाप्ति के कारण 1 करोड़ रुपए की हानि उठाई।

(ख) संयंत्र द्वारा वितरित संवर्धित उर्वरक के 1.65 करोड़ पैकेटों में से शाखाएं केवल 1.23 करोड़ पैकेट ही बेच सकीं और 42.04 लाख पैकेट (मूल्य : 1.08 करोड़ रुपए) जिनके उपयोगी रहने का 6 माह का समय निकल चुका था, उन्होनें वापस कर दिये। संवर्धित उर्वरक के पुनः संशोधन की प्रकिया अपनानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप 1.00 करोड़ रुपये की हानि हुई । इस प्रकार मांग के अनुसार उत्पादन नियोजित करने और उत्पादन के विक्रय के लिये उपयुक्त विपणन नीति विकसित करने में संयंत्र की विफलता के परिणामस्वरूप एक करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(ग) यद्यपि कम्पनी के पास उत्पादित तथा वितरित मात्रा के 150 ग्राम एवं 250 ग्राम के पैकेटवार ब्यौरे उपलब्ध थे, तथापि उसने बिना यह दर्शाए कि कतने पैकेट 150 ग्राम और कितने 250 ग्राम के थे, विक्रय एवं स्टॉक का हिसाब केवल पैकेटों की संख्या के आधार पर रखा था। अतः अन्तिम स्टॉक विश्वसनीय नहीं था और जैव उर्वरक छुट-पुट चोरी/ कमी से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

प्रबंधन ने सूचित किया (अप्रैल 2002) कि अविक्रीत संवर्धित उर्वरक पीस कर एवं जीवाणु रहित बनाने के उपरान्त, उसमें से लिगनाइट निकाल लिया गया और उसे पुनः संशोधित नहीं किया गया । परियोजना आरंभ करते समय 30 प्रतिशत विक्रय वापसी की प्रत्याशा की गई थी ।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंक लिगनाइट का मूल्य घटाने के पश्चात् ही 1 करोड़ रुपये की हानि निकली है । लेखापरीक्षा में नमूना जांच से भी प्रकट हुआ कि विक्रय वापिसी भोपाल, सीहोर, रायसेन एवं विदिशा जिलों में 30 प्रतिशत से अधिक थी । यदि विपणन के लिये प्रभावी कदम उठाये गये होते तो संयंत्र में अविक्रीत स्टॉक पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता था ।

2.6ख(ii) निष्क्रिय मशीन

14.40 लाख रुपये में क्रय की गई पैकिंग मशीन निष्क्रिय रही।

जैव उर्वरकों की पैकिंग में 95 से 100 प्रतिशत तक भार की विशुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कम्पनी ने एक स्वचालित फार्म फिल पैकिंग मशीन क्रय करने के लिये राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली से 23.81 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया (जून 1996)। यद्यपि इस उद्देश्य के लिये गठित टास्क फोर्स समूह ने ऐसी मशीन की उपयुक्तता के विषय में आशंका व्यक्त की थी (फरवरी 1997), तथापि कम्पनी ने सुपुर्दगी पूर्व निरीक्षण के बिना ही आई.सी.एम.सी.कॉरपोरेशन, त्रिची, तमिलनाडु से एक मशीन क्रय की और लगाई (मार्च 1998) और आपूर्तिकर्ता को 14.40 लाख रुपये (मूल्य का 80 प्रतिशत) का भुगतान किया। मशीन का परीक्षण चालन असफल रहा परन्तु कम्पनी ने मशीन बदलने या भुगतान की गई राशि वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। कम्पनी के पास मशीन बिल्कुल निष्क्रिय रही (मार्च 2002) और कम्पनी जैव उर्वरकों का पैकिंग हाथों से करवाती रही।

इस प्रकार उसकी अप्रमाणित प्रोद्योगिकी से परिचित होने के उपरान्त भी कम्पनी द्वारा सुपुर्दगी-पूर्व निरीक्षण के बिना मशीन को स्वीकार करने और प्रदत्त राशि वसूल करने में उसकी विफलता के परिणामस्वरूप 14.40 लाख रुपये मूल्य की मशीन पांच वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय रही।

कम्पनी ने तथ्यों को मान्य करते समय सूचित किया (मई 2002) कि मशीन की मरम्मत के लिये कार्यवाही की जायगी।

2.6ग [illegible]

2.6ग(i) कम्पनी ने 1.21 करोड़ रुपये की लागत से 6000 मैट्रिक टन पंजीरी की अधिष्ठापित क्षमता के साथ बारी में एक रेडी-टु-ईट फूड फेक्ट्री लगाई (जून 1995)।

उत्पादित पंजीरी राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के स्वामित्व तथा नियंत्रण वाली विभिन्न आंगन बाड़ियों को आपूरित की जाती थी ।

निम्नांकित तालिका 31 मार्च 2002 तक के पांच वर्षों में उत्पादित, विक्रीत पंजीरी की मात्रा तथा क्षमता का उपयोग दर्शाती है :

(क्षमता 6000 मैट्रिक टन)

वर्ष	उत्पादित मात्रा (मैट्रिक टन)	विक्रीत मात्रा (मैट्रिक टन)	क्षमता का उपयोग (प्रतिशत)
1997-98	4000.175	3856.95	66.67
1998-99	4525.425	4704.42	75.42
1999-2000	4362.125	4253.57	72.70
2000-01	4439.75	4585.37	74.00
2001-02	4708.89	4708.77	78.48

यह पाया गया कि क्षमता का कम उपयोग नियंत्रण योग्य घटकों के कारण था जिसके परिणामस्वरूप नीचे दी गई तालिका में यथादर्शित 0.56 करोड़ रुपये का सम्भावित लाभ नही हुआ :

नियंत्रण योग्य घटकों के कारण क्षमता के कम उपयोग के परिणामस्वरूप 0.56 करोड़ रुपये के सम्भावित लाभ की हानि।

निम्नांकित के प्रकार में उत्पादन को कमियां	मशीन न चलने के दिनों की संख्या	उत्पादन में कमी (मैट्रिक टन में)	लाभ की हानि की वसूली (लाख रुपये में)
कच्चा माल	354	1888	21.81
श्रम	28	149	1.72
अपर्याप्त रख रखाव	347	1851	21.38
ऊर्जा	172	917	10.59
उप-योग	**901**	**4805**	**55.50**
अन्य कारण	298	1589	18.35
योग	**1199**	**6394**	**73.85**

लेखापरीक्षा से यह भी प्रकट हुआ कि कम्पनी ने पुनरादेश स्तर निर्धारण के बावजूद अपेक्षित कच्चा माल नहीं रखा, कम्पनी के पास अपर्याप्त क्षमता का जनरेटर सेट था तथा निवारक रखरखाव कार्यक्रम का पालन नहीं किया। अतिरिक्त 4805 मैट्रिक टन पंजीरी का उत्पादन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप कम्पनी को 0.56 करोड़ रुपये के लाभ से वंचित रहना पड़ा ।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (मार्च 2002) कि 63 के.वी.ए. रेटिंग का स्थापित जनरेटर पर्याप्त क्षमता का नहीं था क्योंकि वह पंजीरी उत्पादन के लिये आवश्यक आटा पीसने के लिये चक्की चलाने लायक नहीं था । कम्पनी का उत्तर अपने लाभ में अधिकतम वृद्धि के उपलब्ध अवसर के सर्वोत्तम संभव उपयोग करने के लिये तैयार न होने का सूचक है ।

2.6ग (ii) विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

कम्पनी ने स्थापित संयंत्र तथा मशीनरी से संबंधित भार के संदर्भ में विद्युत ऊर्जा का निर्धारण किये बिना आर.टी.ई., बारी के लिये 250 के.वी.ए. की संविदा मांग के साथ विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिये मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के साथ अनुबंध किया (अप्रैल 1994)। अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान था कि इकाई मण्डल

को संतुष्ट करने पर संविदा मांग घटाने का प्रयत्न कर सकती है और इकाई को 90 प्रतिशत से अधिक औसत पावर फैक्टर बनाये रखना चाहिये जिसमें विफल होने पर अर्थदण्ड का निर्धारित दर से भुगतान करना था ।

संविदा मांग घटाने में विफलता के परिणामस्वरूप 13.66 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि यद्यपि कम्पनी ने आरंभ से 2002 तक 32 एवं 108 के.वी.ए. के मध्य अधिकतम मासिक विद्युत मांग का उपभोग किया तथापि इकाई ने अनुबंध के अनुसार न्यूनतम 188 के.वी.ए. (250 के.वी.ए. संविदा मांग का 75 प्रतिशत) के लिये मासिक मांग प्रभार का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप 9.83 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ। 90 प्रतिशत पावर फैक्टर के विरुद्ध इस अवधि के दौरान वास्तविक पावर फैक्टर मात्र 22 एवं 89 प्रतिशत के मध्य रहा जिसके लिये दाण्डिक प्रभार के रूप में 3.83 लाख रुपये भुगतान करने पड़े ।

इस प्रकार आवश्यकता की सीमा तक संविदा घटाने तथा 90 प्रतिशत तक पावर फैक्टर बनाये रखने में कम्पनी के विफल रहने के परिणामस्वरूप 13.66 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ ।

इकाई ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2001) कि संविदा भार में घटाने के बारे में संतुष्ट न होने के कारण मण्डल ने 250 के.वी.ए. से 150 के.वी.ए. तक संविदा मांग घटाने का कम्पनी का अनुरोध नहीं माना। यह तथ्य अपनी जगह है कि कम्पनी के प्रयास के उपरान्त भी उसने 188 के.वी.ए. के विद्युत प्रभार का भुगतान करना जारी रखा ।

2.6ग (iii) विक्रय कर की वसूली न करना

कम्पनी ने राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख से कोई औपचारिक अनुबंध नहीं किया था बल्कि इसकी शाखाओं ने जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष के साथ अनुबंध किये थे, और कम्पनी इन शाखाओं के माध्यम से 12,500 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से पंजीरी बेच रही थी। ऐसे अनुबंधों में करों/ करों की वसूली/ प्रतिपूर्ति हेतु कोई प्रावधान नहीं था। पंजीरी पर 8 प्रतिशत विक्रय कर लागू किये जाने पर कम्पनी ने पंजीरी के मूल्य में 12500 से 13650 रुपये प्रति मैट्रिक टन की वृद्धि कर बिल प्रस्तुत किये जिनमें विक्रय कर (मार्च 2002 तक) के 1.05 करोड़ रुपये भी सम्मिलित थे। तथापि महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह कह कर बिल निरस्त कर दिया कि विक्रय कर में छूट का एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया है और कि अनुबंध में कर के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है ।

विक्रय कर के संग्रहण हेतु अनुबंध में प्रावधान सम्मिलित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई ।

इस प्रकार अनुबंध में आरोपित कर की वसूली के लिये उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप विक्रय कर के रूप में प्रदत्त (मार्च 2002 तक) 1.05 करोड़ रुपये वसूल नहीं हुये ।

कम्पनी ने सूचित किया (अप्रैल 2002) कि प्रदत्त कर की प्रतिपूर्ति के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यवाही कर रहा है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकार ने कम्पनी को विक्रय कर के भुगतान से छूट देने से इंकार कर दिया था। पूर्व में प्रदत्त कर की प्रतिपूर्ति कम्पनी अब तक प्राप्त नहीं कर सकी।

2.6(ब) [illegible] रायगढ़

रायगढ़ स्थित अपनी उत्पादन इकाई के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग को 0.50 रुपये प्रति 60 ग्राम के पैकेट (8333 रुपये प्रति मैट्रिक टन) की दर से पंजीरी प्रदाय कर रही थी।

मार्च 1994 में मूल्य के पुनरीक्षण हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने स्वीकार कर लिया (अप्रैल 1995)।

मूल्य वृद्धि के समर्थन में सरकार के आदेश प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप 0.93 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

कम्पनी ने इस विषय में सरकार के औपचारिक आदेश जारी होना सुनिश्चित किये बिना फरवरी 1994 से की गई आपूर्ति के लिये 12167 रुपये प्रति मैट्रिक टन की संशोधित दर से दावा प्रस्तुत किया। विभाग ने सरकार के इस आशय के आदेशों के अभाव में वृद्धित दरों पर कम्पनी का दावा स्वीकार नहीं किया । औपचारिक आदेश जारी करने के लिये अनुपालन कार्यवाही करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 0.93 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई ।

प्रबंधन ने सूचित किया (मई 2002) कि राशि की वसूली के लिये प्रयास किये जा रहे है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी राशि वसूल नहीं कर पाई और उसे अपलेखित कर दिया गया।

2.6ङ. कीटनाशक निर्माण संयंत्र, बीना

कम्पनी के पास तरल बनाने योग्य गुणवत्ता वाला डस्टिंग पाउडर तथा तरल उत्पादन निर्माण कर कृषकों को उचित मूल्य पर वितरण के लिये बीना में एक कीटनाशक निर्माण संयंत्र था। निम्नांकित तालिका में 2001-2002 तक के पांच वर्षों में उत्पादित, विक्रीत मात्रा तथा प्रयुक्त क्षमता के विवरणों का उल्लेख किया गया है :

उत्पादन	1997-98	1998-99	[illegible]	[illegible]	2001-2002
I तरल बनाने योग्य डस्टिंग पाउडर					
(क) स्थापित क्षमता (मैट्रिक टन)	2640	2640	1500	1500	1500
उत्पादन					
(ख) थायरम 75% (मैट्रिक टन)	74.755	2.305	13.891	28.370	30.76
(ग) क्षमता का उपयोग (प्रतिशत)	2.83	0.09	0.93	1.89	2.05
(घ) विक्रय (मैट्रिक टन)	50.47	2.80	19.582	22.925	3.60
II- तरल					
(क) स्थापित क्षमता (किलोलीटर)	500	500	500	500	500
(ख) उत्पादन					
बूटाक्लोर 50% (किलोलीटर)	2.625	निरंक	3.829	निरंक	0.93
(ग) क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)	0.53	निरंक	0.77	निरंक	0.19
विक्रय (किलोलीटर में)	0.89	0.39	1.25	1.64	2.50

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि क्षमता का उपयोग नगण्य (तीन प्रतिशत से भी कम) हुआ। कम्पनी की उत्पादन क्षमता तरल पदार्थों के सम्बन्ध में भी नगण्य (1 प्रतिशत से कम) रही।

लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि कम उत्पादन का प्रमुख कारण विक्रय में विवशतायें था। यद्यपि संयंत्र दो दशकों से चल रहा था तथापि कम्पनी ने अपने उत्पाद के विपणन के लिये दीर्घकालीन रणनीति नहीं बनाई थी।

यह भी पाया गया कि कम्पनी अपने उत्पादन के अतिरिक्त अन्य प्रायवेट कम्पनियों द्वारा उत्पादित कीटनाशक भी बेच रही थी। कीटनाशकों के कुल विक्रय की तुलना में कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के कीटनाशकों का विक्रय 9.4 से 21.1 प्रतिशत के मध्य था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	कीटनाशकों के विक्रय का कुल मूल्य	कम्पनी द्वारा उत्पादित कीटनाशकों का विक्रय मूल्य	[illegible]
1	2	3	[illegible]
	(लाख रुपयों में)		
1996-97	176.92	20.74	11.7
1997-98	199.58	42.16	21.1
1998-99	235.90	22.28	9.4
1999-2000	179.44	27.38	15.3

सार्वजनिक उपक्रम समिति ने यह अनुशंसा की थी कि विस्तृत मांग को देखते हुए बाजार की स्थिति के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य तथा इसके विपणन-प्रबंधन की कमी को दूर करने के प्रयास किये जाय और विक्रय में वृद्धि की जाये। तथापि कम्पनी अपने स्वयं के कीटनाशकों की तुलना में अन्य प्रायवेट कम्पनियों द्वारा उत्पादित कीटनाशकों का अधिक मात्रा में विक्रय करते समय किसानों की प्राथमिकता की पहचान करने और बाजार का रुझान समझने एवं तदनुसार उपयुक्त रणनीति बनाने में विफल रही। कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप न सिर्फ संयंत्र की स्थापना और कृषकों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशकों के वितरण का उद्देश्य विफल हुआ बल्कि 1999-2000 तक के चार वर्षों के दौरान इकाई ने 8.07 लाख रुपये की हानि भी उठाई ।

कम्पनी ने बताया (मई 2002) कि यद्यपि व्यवसाय में वृद्धि के लिये प्रयास किये गये थे तथापि सफलता नहीं मिली। संयंत्र को बेचने के लिये उठाये गये कदम भी कारगर सिद्ध नहीं हो सके क्योंकि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। अतः संयंत्र न्यूनतम व्यय पर चलाया जा रहा है ।

उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि कीटनाशकों का प्रयोग कृषि संबंधी क्रियाकलापो का अभिन्न अंग है और इसलिये विपणन में सुधार के लिये कम्पनी द्वारा प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये थे ताकि संयंत्र को व्यवहार्य बनाये रखा जा सकता तथा उसकी स्थापना का उद्देश्य भी साकार किया जा सकता।

2.6 जैविक खाद संयंत्र

कम्पनी ने 50 प्रतिशत उत्पादन लेने को सहमत एक्सेल इन्टस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई के साथ तकनीकी सहयोग से अक्टूबर 1993 में दो जैविक खाद संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया।

परियोजना प्रतिवेदन में यह उल्लेख था कि वाणिज्यिक आधार पर संयंत्र स्थापित करने से पूर्व (क) उत्पादन इकाई के चारों ओर बाजार का विकास किया जावे ताकि बाह्य परिवहन व्यय कम किया जा सके, (ख) चूंकि जैविक खाद के नियमित उपयोग से भूमि के उपजाऊपन में सुधार होता इसलिये शासकीय अभिकरणों के माध्यम से इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये था, और (ग) चूंकि रासायनिक उर्वरकों की तुलना में इसका प्रभाव धीमा है इसलिये इसके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिये सधन प्रोत्साहन आवश्यक था।

उत्पाद के उपयोग को बढ़ावा दिये बिना तथा इसके लिए बाजार विकसित किये बिना ही कम्पनी ने भोपाल (दिसम्बर 1993) तथा ग्वालियर (सितम्बर 1995) में एक एक अर्थात दो संयंत्र स्थापित किये । प्रत्येक संयंत्र की कुल लागत 1.94 करोड़ रुपये और अधिष्ठापित क्षमता 4000 मैट्रिक टन थी।

परिशिष्ट-13 में दी गई तालिका में मार्च 2002 तक के अन्तिम पांच वर्षों में इन दो इकाइयों द्वारा उत्पादित, विक्रीत तथा उपयोग की गई क्षमता जैविक खाद से संबंधित ब्यौरों को सारांश दिया गया है ।

परिशिष्ट-13 से यह देखा जा सकता है कि दोनों संयंत्रों में क्षमता का उपयोग 50 प्रतिशत से भी कम था और उत्पादित खाद की इस सीमित मात्रा तक का पूर्ण विक्रय इकाइयां नहीं कर पा रही थी । कुल स्टॉक की तुलना में विक्रय का प्रतिशत भोपाल इकाई में 1997-98 में 74.1 से 2001-02 में 47.00 तक और ग्वालियर इकाई में 1998-99 में 78.47 से 2000-01 में मात्र 8.5 तक घट गया था जो विपणन के अपर्याप्त प्रयासों का सूचक था।

क्षमता के कम उपयोग तथा न्यून टर्न ओवर के कारण संयंत्रों को 35.95 लाख रुपये की हानि हुई ।

क्षमता के कम उपयोग, न्यून टर्न ओवर तथा आवश्यक से अधिक इन्वेट्री के कारण इकाई ने 31 मार्च 2001 तक के अन्तिम पांच वर्षों में 35.98 लाख रुपये की हानि उठाई और परिणामस्वरूप ग्वालियर स्थित इकाई जुलाई 2000 में बन्द हो गई ।

लेखापरीक्षा में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये :

(i) सहयोगकर्ता ने 1997-98 को छोड़कर 50 प्रतिशत भी उत्पाद नहीं उठाया। सहयोगकर्ता को स्टॉक की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 0.56 करोड़ रुपये मूल्य के 4453.51 मैट्रिक टन उत्पाद के विक्रय से वंचित रहना पड़ा। ।

(ii) सार्वजनिक उपक्रम समिति ने चाहा था कि जैविक खाद के उपयोग को प्रचारित करने तथा इसके विपणन के सुदृढ़ीकरण के लिये कदम उठाये जायें जिससे कि उसके उपयोगी रहने की अवधि के दौरान विक्रय तथा उपयोग संभव बनाया जा सके। तथापि उपयोगी रहने की अवधि (छःमाह) से परे भण्डारण की दीर्घ अवधि के कारण कम्पनी को खाद को पुनः

संसाधित करना पड़ा और 15.49 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

इस प्रकार उत्पाद को बढ़ावा देने तथा बाजार का विकास करने में कम्पनी की विफलता के कारण इकाइयों को हानि उठानी पड़ी और एक इकाई बन्द हो गई इसके अतिरिक्त परियोजना से प्रत्याशित सामाजिक आर्थिक लाभ भी पूर्णतः प्राप्त नहीं हुये।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए कम्पनी ने बताया (अप्रैल 2002) कि जैविक खाद के उपयोग के लिये किसान उत्साहित नहीं थे। उत्तर केवल इस बात का सूचक है कि उत्पाद को विकसित करने तथा इसके उपयोग को प्रत्साहित करने के लिये कम्पनी द्वारा किये गये प्रोत्साहन तथा विपणन प्रयास पर्याप्त नहीं थे ।

2.7 व्यापारिक गतिविधियां

2.7क निम्नांकित तालिका मार्च 2001 तक के अन्तिम पांच वर्षों में कम्पनी की विक्रय निष्पादकता दर्शाती है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल विक्रय	आर्थिक सहायता प्राप्त मदों का विक्रय	स्तम्भ 2 की तुलना में स्तम्भ 3 का प्रतिशत	स्वयं के उत्पाद का विक्रय	स्तम्भ 2 की तुलना में स्वम्भ 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1996-97	150.30	137.13	91.2	9.75	6.5
1997-98	238.72	224.23	93.9	12.20	5.1
1998-99	192.45	177.09	92.0	14.74	7.7
1999-2000	195.76	183.31	93.6	13.84	7.1
2000-01	166.69	147.90	88.7	9.77	5.9

अपने विक्रय के लिये कम्पनी आर्थिक सहायता प्राप्त मदों पर निरन्तर निर्भर रही।

कम्पनी ने कम वर्षा, प्रायवेट फर्मों से स्पर्धा, तथा भारत सरकार द्वारा 2000-01 के दौरान उर्वरकों पर आर्थिक सहायता बन्द कर देना, घटते हुये विक्रय का कारण बताया। तथापि कम्पनी अपने टर्न ऑवर के लिये आर्थिक सहायता प्राप्त मदों पर पूर्णतया निर्भर थी और पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से अस्तित्व में रहने के बावजूद कम्पनी ने अन्य मदों के विक्रय में सुधार के लिये तथा अपने स्वयं के उत्पाद के विक्रय के लिये भी उपयुक्त तथा प्रभावी विपणन रणनीति नहीं विकसित की थी।

2.7ख विशिष्ट आदेश के बिना दलिया एवं खिचड़ी की आपूर्ति

दलिया (गेहूँ की कणिकाएं) तथा खिचड़ी (चावल तथा मूंग की दाल का मिश्रण) अनपकाए खाद्यान्न है और इसलिये वे रेडी-टू-ईट मदें नहीं है । राज्य सरकार ने आदेश जारी किये थे (मई 1999) कि महिला एवं बाल विकास विभाग केवल वे मदें ही क्रय करे जो कम्पनी के संयंत्रों में तैयार किये जाये। यह भी कि महिला एवं बाल विकास विभाग को दलिया एवं खिचड़ी की आपूति के लिये कम्पनी राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करे। तथापि कम्पनी ने राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश प्राप्त किये बिना 12.84 लाख रुपये मूल्य की 102.75 लाख मैट्रिक टन खिचड़ी और 6,25 लाख रुपये मूल्य का 50 मैट्रिक टन दलिया सीहोर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रदाय किया (मई 1999)। चूंकि दलिया तथा खिचड़ी की आपूर्ति के आदेश नहीं थे, अतः आपूर्तियों के लिये कम्पनी के बिल विभाग ने अभी तक स्वीकार नहीं किये हैं (जून 2002)। कम्पनी ने न तो सरकार से आदेश

प्राप्त करने और न ही विभाग से दलिया एवं खिचड़ी का मूल्य वसूल करने के लिये कोई कदम उठाये हैं । इस प्रकार विशिष्ट आदेशों के बिना इन मदों की आपूर्ति और आगे की कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप 19.09 लाख रुपये की वसूली नहीं हो सकी।

2.8 सेवा सम्बन्धी गतिविधियां

नलकूप खुदाई एवं भाड़े पर उपकरण देने संबंधी गतिविधि

कम्पनी ने परिचालन संबंधी उच्च व्यय के कारण नलकूप खुदाई तथा उपकरण भाड़े में 2.63 करोड़ रुपये की हानि उठाई ।

कृषि संबंधी गतिविधियों के बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में कम्पनी ने राज्य में नलकूप खुदाई तथा भाड़े पर उपकरण देने जैसी गतिविधियां आरंभ की थी । इसमें किसानों की जमीन पर नलकूपों की खुदाई और बांध निर्माण में सहायता के लिये तकनीकी कर्मचारियों सहित डोजर, बोरिंग मशीन तथा एयर कम्प्रेशर जैसे उपकरण भाड़े पर देने की गतिविधियां सम्मिलित कीं गईं थीं । भाड़े की दरें संयुक्त समिति द्वारा तय की गईं थीं ।

लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि उपकरण भाड़े तथा नलकूप खुदाई पर किये गये 7.61 करोड़ रुपये के व्यय के विरुद्ध कम्पनी ने मात्र 4.98 करोड़ रुपये की आय अर्जित का, परिणामस्वरूप निम्नांकित कारणों से 2.63 करोड़ रुपये की हानि हुई :

(i) यद्यपि उपकरण भाड़े की दरों में नवम्बर 1996 में 30 रुपये प्रति फुट से सितम्बर 1998 में 33 रुपये प्रति फुट और नवम्बर 1999 में 37 रुपये प्रतिफुट की वृद्धि समय-समय पर की गई थी तथापि ऐसा संशोधन करने से पूर्व लागत अनुमान तैयार नहीं किये गये थे । इस प्रकार दरों में संशोधन करने के पूर्व परिचालन लागत के साथ सेवा प्रभारों को संबद्ध करने और परिचालन की लागत घटाने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 2.63 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(ii) दरों में वृद्धि के बाबजूद ऐसी गतिविधियों से आय में 1996-97 में 1.18 करोड़ रुपये से 1999-2000 में 1.04 करोड़ रुपये तक कमी हुई । यह सूचित करता है कि इन गतिविधियों के परिचालन को वर्तमान स्तर पर बनाये रखने तक में कम्पनी विफल रही।

2.9 निवेश

परिवीक्षण की कमी तथा विनिवेश में विलम्ब के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

संवीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने दो कृषि आधारित उद्योंगों की स्थापना में सहयोग दिया था । रशेल एग्रोटेक प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर (प्रवर्तक) के प्रकरण में महू (इन्दौर जिला) स्थित 15.67 करोड़ रुपये लागत वाली बटन मशरूम की खेती तथा इसकी प्रोसेसिंग के लिये उनकी प्रस्तावित परियोजना में कम्पनी ने इक्विटी के रूप में 50 लाख रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 1995)। कम्पनी द्वारा जुलाई 1996 में किये गये अंश-भागीदारी अनुबंध के अनुसार निम्नांकित परिस्थितियों, में से जो भी पहले घटित हो, तभी कम्पनी के समस्त इक्विटी शेयरों की प्रवर्तकों द्वारा पुनर्खरीद की जानी थी :

(i) संस्वीकृति की तिथि से 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद (16 जनवरी 1996), अथवा

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से तीन वर्ष बाद, अथवा

(iii) विवरणिका में उल्लिखित अवरोध अवधि के पूर्ण होने पर तत्काल अथवा

(iv) पब्लिक इश्यू के बन्द होने के 30 दिन बाद यदि प्रस्तावित शेयरों के कम से कम 90 प्रतिशत शेयर नहीं खरीदे जाते है, अथवा

(v) एक माह का नोटिस दिये जाने पर

शेयरों की पुनर्खरीद, उनके घोषित उच्चतम मूल्य, अथवा उनके अंकित मूल्य में (निवेशित राशि पर) 19.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर तथा उन पर प्राप्त लाभांश को घटाकर प्राप्त मूल्य अथवा अन्तिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुस्तमूल्य में से अधिकतम मूल्य पर की जानी थी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रवर्तकों के संचालक मण्डल में एक संचालक नियुक्त करने की पात्रता भी कम्पनी को थी।

कम्पनी ने 50 लाख रुपये की इक्विटी विमोचित की (जुलाई 1996) और बदले में उसे 10 रुपये प्रत्येक के 5,00,000 पूर्णतया प्रदत्त शेयर आवंटित किये गये(अक्टूबर 1996)। खराब वित्तीय स्थिति के कारण प्रवर्तकों ने इकाई स्थापित नहीं की और बाद में उसे छोड़ दिया। प्रवर्तकों के संचालक मण्डल में कम्पनी के अपने मनोनीत संचालक के होने के बावजूद भी उसे केवल मध्यप्रदेश वित्त निगम जिसने अपने स्वयं के निवेश को वापस ले लिया था, से ही परियोजना के छोड़ दिये जाने की जानकारी मिली (जुलाई 1999)। तत्पश्चात शेयरों की पुनर्खरीद के लिये कम्पनी ने प्रवर्तकों से सम्पर्क किया (दिसम्बर 1999) तथा ब्याज का आग्रह किये बिना कम्पनी ने और समय दिया। दिसम्बर 1999 से जनवरी 2002 के दौरान कम्पनी ने अन्तिम रूप से 50 लाख रुपये बिना ब्याज के प्राप्त किये। परियोजना की प्रगति के परिवीक्षण में कम्पनी की विफलता, विनिवेश में विलम्ब, तथा अनुबंध में प्रावधान के बावजूद निवेश पर ब्याज के लिये आग्रह में विफलता के परिणामस्वरूप उसे 0.69 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

विनिवेश में विलम्ब के परिणामस्वरूप 0.69 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

कम्पनी द्वारा उत्तर दिया गया (मई 2002) कि ब्याज के लिये दावा प्रबंधन के विचाराधीन है।

2.10 आर्थिक सहायता का व्यपवर्तन

(क) कम्पनी ने भूमि, जल एवं बीज के परीक्षण के लिये प्रयोगशाला की स्थापना के लिये 1997 में 16.55 लाख रुपये और जैव उर्वरक संयंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए मार्च-अप्रैल 1999 में 20 लाख रुपये लिये केन्द्र सरकार की सहायता के रूप में राज्य सरकार के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त की। यह राशि पूर्ण रूप से उसी उद्देश्य के लिये प्रयुक्त की जानी थी जिसके लिये इसे प्रदान किया गया था और यदि कोई राशि अप्रयुक्त रहे तो उसे केन्द्र सरकार को वापस किया जाना था ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (मार्च 2002) कि अपनी कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कम्पनी ने 36.10 लाख रुपये व्यपवर्तित किये थे जिससे आर्थिक सहायता देने का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो गया ।

कम्पनी ने बताया (मई 2002) कि प्रशिक्षित व्यक्तियों का पता लगाने के बाद प्रयोगशालाएं स्थापित की जायगीं। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि तीन से पाँच वर्ष पूर्व उसे प्राप्त

आर्थिक सहायता का उपयोग कम्पनी ने अभी तक उस उद्देश्य के लिये नहीं किया था जिसके लिये वह प्राप्त हुई थी ।

(ख) 1995-97 के दौरान कम्पनी ने कृषि विभाग के माध्यम से भारत सरकार से गन्ने के विकास के लिये 29.46 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। योजना के अधीन हितग्राहियों की पहचान कृषि विभाग द्वारा की गई थी और उन्हें आपूरित बैल द्वारा खींचे जाने वाले एवं ट्रैक्टर द्वारा खीचें जाने वाले उपस्करों की लागत का समायोजन करने हेतु कम्पनी को आर्थिक सहायता दी गई थी। इस राशि का उपयोग उसी वित्त वर्ष में किया जाना था और अव्ययित राशि कृषि विभाग को वापस की जानी थी।

कम्पनी ने गन्ने के विकास के लिये केवल 7.00 लाख रुपये का उपयोग किया तथा शेष 22.46 लाख रुपये की राशि को अपनी कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिये व्यपवर्तित कर लिया। 22.46 लाख रुपये के व्यपवर्तन ने आर्थिक सहायता का मुख्य उद्देश्य ही विफल कर दिया

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2002) कि विभाग से हितग्राहियों की सूची कम्पनी ने प्राप्त नहीं की थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राशि प्राप्त करने के बाद या तो कम्पनी को हितग्राहियों की सूची प्राप्त करनी थी अथवा शेष राशि विभाग को वापस करनी थी जो नहीं की गई।

2.11 बायोगैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना

अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार की एक केन्द्र प्रवर्तित योजना " बायोगैस के विकास पर राष्ट्रीय परियोजना" के कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार ने कम्पनी को नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया था। कम्पनी को बायोगैस संयंत्र लगाने थे और राज्य कृषि विभाग द्वारा पहचाने गये हितग्राहियों को आर्थिक सहायता का वितरण करना था। अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय आर्थिक सहायता का संवितरण बायोगैस संयंत्र के पूर्ण निर्माण के उपरान्त ही किया जाना था और आर्थिक सहायता के दावे केवल अधिष्ठापित संयंत्रों के संबंध में ही तैयार किये जाने थे।

1996-2001 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले वस्तुतः निर्मित संयंत्रों, प्राप्त आर्थिक सहायता, तथा ऐसे संयंत्रों, जिनके पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नही किये गये, को दर्शाती है :

वर्ष	लक्ष्य	निर्मित संयंत्रों की संख्या	प्राप्त आर्थिक सहायता (लाख रुपयों में)		संयंत्रों की संख्या जिनके पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये	1800/- रुपये प्रति संयंत्र की दर से आर्थिक सहायता (लाख रुपयों में)
			केन्द्र से	राज्य से		
1996-97	17500	16506	365.64	108.20	1138	20.48
1997-98	17000	12559	290.81	निरंक	1004	18.07
1998-99	11500	12034	255.76	निरंक	931	16.76
1999-2000	13000	12084	270.72	निरंक	1615	29.07
2000-01	13000	12317	278.95	निरंक	3805	68.49
					8493	**152.87**

सरकार के दिशा निर्देशों के विरुद्ध 1.53 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता संवितरित की गई ।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 8493 संयंत्रो, जिनके लिये केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्राप्त की गई थी, के संबंध में कम्पनी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे। यह भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था अतः इन प्रकरणों में निहित 1.53 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की राशि वापस करने के लिये कम्पनी उत्तरदायी थी जो उसने वापस नहीं की।

कम्पनी ने पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विलम्ब होना स्वीकार किया ।

2.12 वित्तीय प्रबन्धन

कम्पनी नियमित रूप से बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं कर रही थी। लेखापरीक्षा में नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 10 शाखाओं तथा मुख्यालय ने कुछ बैंकों के विवरण पत्रक तैयार नहीं किये थे परिणामस्वरूप 31 मार्च 2000 को कम्पनी के पास 1983-84 से 0.55 करोड़ रुपये का समाधान न किया गया शेष विद्यमान था। समय-समय पर बैंक समाधान विवरण तैयार न किये जाने की बजह से निधि के दुर्विनियोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

अपनी निधि संबंधी स्थिति के आकलन के लिये और यदि कोई निधि आधिक्य है, तो वित्तीय प्रबंधन के प्रभावी औजार के रूप में उसका अधिक लाभदायक ढंग से उपयोग करने के लिये कम्पनी नकद/ निधि प्रवाह विवरण भी तैयार नहीं कर रहीं थी ।

इन विवरणों के तैयार न करने के परिणामस्वरूप अन्तरित/ जमा निधियों का अप्रभावी परिवीक्षण हुआ और उसके फलस्वरूप विलम्बित जमाओं की पहचान नहीं हुई। नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य सामने आये :

2.12(क) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्टों के जमा करने में विलम्ब के कारण हानि

कम्पनी की उज्जैन शाखा का केन्द्रीय सहकारी बैंक में चालू खाता था। पंजीकृत सहकारी समितियों से प्राप्त उर्वरकों का विक्रय धन, केन्द्रीय सहकारी बैंकों की विभिन्न शाखाओं पर आहरित डिमाण्ड ड्राफ्टों के माध्यम से स्वीकार किया जाता था और उन्हें कम्पनी के खाते में क्रेडिट करने के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंक उज्जैन में जमा किया जाता था ।

जमा किये गये और क्रेडिट किये गए डिमाण्ड ड्राफ्टों की लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सहकारी बैंक कम्पनी के खातों को 3 से 129 दिनों के विलम्ब से क्रेडिट कर रहे थे। मई 1997 से जनवरी 2001 के दौरान 20.32 करोड़ रुपये के कम्पनी के जमाओं में विलम्ब के परिणामस्वरूप ब्याज के 20 लाख रुपये की हानि हुई। इस प्रकार डिमाण्ड ड्राफ्ट अपने खाते में जमा कराने के परिवीक्षण कार्य में कम्पनी की विफलता के कारण उसे ब्याज की हानि हुई ।

निधियां जमा कराने में परिवीक्षण में विफलता के परिणामस्वरूप विलम्ब हुआ और ब्याज के 20 लाख रुपये की हानि हुई ।

यह उत्तर दिया गया (मई 2002) कि चूंकि सहकारी समितियों के समस्त लेन-देन केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किये जाते हैं इसलिये कम्पनी केन्द्रीय सहकारी बैंक में खाता चलाने के लिये बाध्य है और वह 35 दिनों के भीतर क्रेडिट प्राप्त कर रही है । यह भी कि वह केन्द्रीय सहकारी बैंक पर तुरन्त भुगतान करने के लिये दबाब भी नहीं डाल सकती । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डिमाण्ड ड्राफ्टों को समय पर क्रेडिट करने के लिये कम्पनी ने

केन्द्रीय सहकारी बैंक पर कभी भी जोर नहीं डाला और अनेक प्रकरणों में 35 दिनों से भी अधिक विलम्ब हुआ जिसका प्रभावी परिवीक्षण से परिहार किया जा सकता था/ जिसे कम किया जा सकता था ।

2.12(ख) तार द्वारा अन्तरण/ जमाओं को खाते में क्रेडिट करने में विलम्ब के कारण हानि

निधियों के विलम्ब से अन्तरण के कारण 9.35 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई ।

कम्पनी की शाखाएं तार द्वारा अन्तरण के माध्यम से मुख्यालय में आगे कम्पनी के खाते में भेजने के लिये निधियों का प्रेषण करती है । कम्पनी की 8 शाखाओं की लेखापरीक्षा में नमूना जांच से प्रकट हुआ कि कम्पनी के खाते में राशियां जमा करने में बैंको द्वारा उन प्रकरणों में, जिनकी सूची ***परिशिष्ट-14*** में दी गई है, 4 माह से 204 माह तक का समय लगा। अन्तरण कार्य के प्रभावी परिवीक्षण में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 2.91 लाख रुपये जो कम्पनी के खाते में जमा ही नहीं हुये, की हानि के अतिरिक्त ब्याज के 9.35 लाख रुपये की भी हानि हुई (जुलाई 2002)।

कम्पनी ने तथ्य स्वीकार करते समय सूचित किया (मई 2002) कि ब्याज वसूल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

2.13 स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना का कार्यान्वयन न करना

अपनी कर्मचारी संख्या घटाने की दृष्टि से कम्पनी ने 8 मई 2000 अन्तिम तिथि दर्शाते हुए अपने उन कर्मचारियों से अप्रैल 2000 में आवेदन मांगे जिन्होनें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अधीन सेवा निवृति का विकल्प चाहा था । उसने 47 आवेदन पत्र प्राप्त किये जिसमें से 35 की स्वीकृति के लिये पहचान की गई और भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति 1.35 करोड़ रुपये निर्धारित की गई तथापि उसने योजना के कार्यान्वयन के राज्य सरकार से तीन करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया ।

स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना कार्यान्वित न करने के परिणाम-स्वरूप 27.68 लाख रुपये का निवल परिहार्य व्यय हुआ ।

चूंकि राज्य सरकार से राशि प्राप्त नहीं हुई इसलिये स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना कार्यान्वित नहीं की गई । कम्पनी की निधियों की स्थिति की संवीक्षा से प्रकट हुआ (जून 2002) कि इसके पास 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान 10.25 से 12.50 प्रतिशत तक की भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर मियादी जमाओं में निवेश के रूप में 10 करोड़ रुपये थे । यदि उसने इन निधियों का उपयोग स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना में किया होता तो वह 35 कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 0.54 करोड़ रुपये (अक्टूबर 2000 से मार्च 2002 तक) के व्यय का परिहार कर सकती थी अर्थात् ब्याज 25.07 लाख रुपये की हानि के विरुद्ध उसने 27.68 लाख रुपये बचाये होते ।

2.14 स्कंध प्रबन्धन

31 मार्च 2000 को कम्पनी के पास एक माह के विक्रय के बराबर 16.37 करोड़ रुपये मूल्य का स्टॉक था । लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि कम्पनी ने रखे जाने वाले भण्डार एवं स्टॉक का न्यूनतम/ अधिकतम/ पुनः आदेश स्तर निर्धारित नहीं किया । यह भी कि बैलों से खीचें जाने वाले उपस्करों की स्टॉक होल्डिंग सदा ही बहुत अधिक रही थी जो 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 में क्रमशः 9.8, 8.73, 6.9 और 7.1 माहों के टर्न-ऑवर के बराबर तक थी। ।

लेखापरीक्षा में निम्नांकित तथ्य सामने आये :

कृषि उपस्करों के अनियोजित उत्पादन के परिणामस्वरूप 1.81 करोड़ रुपये का स्टॉक इकट्ठा हो गया।

(क) बैलों से खीचें जाने वाले उपस्करों की अधिक होल्डिंग का कारण हस्तगत स्टॉक के लेखे में लिये बिना उपस्करों का मनमाना/ अनियोजित उत्पादन था जिसके परिणामस्वरूप 1.81 करोड़ रुपये अवरुद्ध रहे जिनका विवरण ***परिशिष्ट-15*** में दिया गया है ।

(ख) 1984-85 से पड़े हुये पुराने, रद्दी माल तथा नॉन मूविंग स्टॉक (मूल्य : 0.82 करोड़ रुपये) का विक्रय नहीं किया गया (मार्च 2002) परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध हुई ।

(ग) 1970-71 के दौरान आयातित ट्रेक्टरों के अतिरिक्त पुर्जों के अनुपयोगी स्टॉक (मूल्य : 24.75 लाख रुपये) का भी विक्रय नहीं हुआ (मार्च 2002)।

2.15 आन्तरिक लेखापरीक्षा

1999-2000 से कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग ही कर रहा है । लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे उर्वरकों का व्यापार, निधियों का अन्तरण, अभियांत्रिकी, एच.आर.डी., विपणन, सचिवालय, दायित्वों की वसूली को आन्तरिक लेखापरीक्षा में समाविष्ट नहीं किया गया । आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी मण्डल को प्रस्तुत नहीं किये गये । आन्तरिक लेखापरीक्षा की अपर्याप्तता पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा निरन्तर टिप्पणियां की जाने के बावजूद भी उसको कारगर बनाने/ सुदृढ़ करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये (जून 2002)।

निष्कर्ष

कम्पनी का मुख्य उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना एवं स्थापना करना तथा ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिये वित्तीय एवं प्रबंधन सहायता प्रदान करना है। तथापि कम्पनी ने मार्च 2002 को समाप्य अन्तिम पांच वर्षों के दौरान केवल 2 इकाइयों की सहायता की जिनमें से एक इकाई उठ नहीं पाई। यह भी कि कम्पनी की छः उत्पादन इकाइयों में से चार इकाइयां क्षमता के बहुत कम उपयोग तथा प्रभावी विपणन प्रयासों के अभाव में हानि उठा रहीं थीं । कम्पनी ने अपने स्वयं के कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना नहीं की और इसके विपरीत अन्तिम पांच वर्षों के दौरान अपनी दो इकाइयां बन्द कर दी।

उत्पादन इकाइयों को जीवन्त बनाने के लिये कम्पनी की विपणन क्षमताओं में सुधार तथा सुदृढ़ीकरण और कृषि आधारित उद्योगों के उन्नयन तथा विकास हेतु यथार्थ उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कम्पनी द्वारा समवेत प्रयास करने की आवश्यकता है अन्यथा कम्पनी को बन्द करने के विषय में विचार किया जानां चाहिये।

उपरोक्त प्रकरण की सूचना कम्पनी/सरकार को जुलाई 2002 में दी गई । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2002)।

अध्याय - 3

खण्ड - 3क

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में निधि प्रबंधन

मुख्यांश

निधियों का कुशल प्रबंधन किसी संगठन में रोकड़ एवं साख नियंत्रण की सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करने में सहायक होता है मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में निधियों का प्रबंधन लेन-देनों पर प्रभावकारी नियंत्रण के अभाव में कमज़ोर स्थिति में था।

(कंडिका 3क.1)

कर्जों की आहरण सूची के अनुसार ऊर्जा वित्त निगम से कर्जे प्राप्त न करने के कारण मण्डल को 5.47 करोड़ रुपए के बचनबद्धता प्रभारों का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 3क.4.1)

मार्च 2001 के समाप्त चार वर्षों के दौरान वित्त एवं ब्याज प्रभार 810.79 करोड़ रुपए से बढ़कर 1336.89 करोड़ रुपए हो गए।

(कंडिका 3क.5)

क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों द्वारा विलम्ब से निधियों का हस्तांतरण करने के कारण केवल तीन क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के प्रकरण में ही 3.86 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3क.5.2(क))

अतिशेष निधियों को बैंक में नकद साख खाते में अंतरित न किए जाने के परिणाम स्वरूप नकद साख खातों पर 2.37 करोड़ रुपए के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिकाये 3क.5.2(ख)एवं (ग))

अवास्तविक आकलन के आधार पर क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को निधियां जारी करने के परिणामस्वरूप प्रतिमाह 0.78 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3क.6)

अन्य तीन क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के प्रकरण में " सममूल्य पर" उपलब्ध सुविधा का लाभ न लेने के परिणामस्वरूप 0.90 करोड़ रुपए के परिहार्य कमीशन प्रभारों का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 3क.7.3)

क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों के चालू खातों में अनावश्यक रूप से निधियां अवरुद्ध होने के परिणामस्वरूप नकद साख खाते पर 2.08 करोड़ रुपए के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 3क.8)

3क.1 प्रस्तावना

कुशल निधि प्रबंधन नकद♦ एवं साख नियंत्रण की ऐसी सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था करता है जो अतिशेष निधियों के निवेश, उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग, तथा सर्वाधिक अनुकूल शर्तों पर उधारियों हेतु निर्णय लेने का एक साधन बनती है। मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल* (मण्डल) की निधि का आगम मुख्यतः विद्युत विक्रय से वसूल राजस्व, राज्य सरकार, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से कर्जे तथा राज्य सरकार से आर्थिक सहायता से होता है, जबकि निर्गम पूंजीगत कार्यों, प्रचालन एवं संधारण कार्यों, मूलधन के पटाने तथा कर्जों पर ब्याज चुकाने, स्थापना व्यय, ईंधन, विद्युत एवं भंडार क्रय इत्यादि से होता है।

मण्डल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इत्यादि को विभिन्न प्रकार के बंधपत्र जारी कर तथा बैंक अधिवकर्ष द्वारा जुटाता रहा है, जिनके लेखे बैंक एवं रोकड़ प्रबंधन अनुभाग में रखे जाते है।

♦ *इस अध्याय में यथा प्रयुक्त " स्कद " शब्द में वैद्य मुद्रा सिक्के, नोट, चैक, अनुसूचित बैंकों की मांग पर जमा की रसीद, मांग पर भुगतान योग्य ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर एवं स्टाम्प (केवल डाक विभाग के, राजस्व के चिपकाए जाने वाले स्टाम्प) समाविष्ट हैं ।*

* *मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का 15.4.2001 से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के रूप में विभाजन किया गया।*

3क.2 संगठनात्मक संरचना

मण्डल में छः सदस्य है जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है ।

सदस्य (वित्त एवं स्रोत संघटन) वित्त एवं लेखा शाखा का प्रमुख होता है जिसकी सहायतार्थ एक संचालक (वित्त) एवं एक संचालक (लेखा) तथा शाखा के क्रियाकलापों के समन्वय हेतु अन्य सहायक कर्मचारीगण होते हैं । संचालक (वित्त) के नियंत्रण में वित्त समूह के बैंक एवं रोकड़ प्रबंधन अनुभाग का प्रभारी एक अतिरिक्त संचालक होता है।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में राज्य के पुनर्गठन से पूर्व एकीकृत राज्य के विभिन्न भागों में स्थित 40 लेखा इकाइयां स्थित थीं। 15 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के गठन के उपरांत मण्डल में 32 लेखा इकाइयां थीं प्रत्येक के प्रमुख क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/ वरिष्ठ लेखा अधिकारी थे ।

3क.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

मार्च 2001 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि को समाविष्ट करते हुए प्रस्तुत समीक्षा दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 के दौरान की गई जो मण्डल के जबलपुर स्थित मुख्यालय एवं (32 में से) 14 क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों • के अभिलेखों की नमूना जांच करते हुए पूरी की गई जिनके परिणामों का आगामी कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है।

3क.4 उधारियां

31 मार्च 2001 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान मण्डल ने ऊर्जा वित्त निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा जीवन बीमा निगम इत्यादि जैसे विभिन्न स्रोतों से कर्जे प्राप्त किए। उधारियों से सम्बद्ध कुशल रोकड़ प्रबंधन में परियोजना कार्यों की सुचारू प्रगति एवं दाण्डिक ब्याज के भुगतान तथा वचनबद्धता प्रभारों से बचने हेतु कर्जों का समयबद्ध आहरण, मूलधन की समयबद्ध अदायगी एवं ब्याज के समयबद्ध भुगतान के लिए निधियों की व्यवस्था समाविष्ट रहते है ।

नमूना जांच के दौरान दृष्टिगत वित्तीय पक्षों के प्रबंधन में मण्डल की ओर से हुई विफलताओं का संक्षेप में उल्लेख निम्नानुसार है ।

• *सागर, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, मुरैना, रतलाम, उज्जैन, छिन्दवाड़ा, सारणी, धार, इन्दौर, जबलपुर, केन्द्रीय लेखा इकाई (सी.ए.यू.) जबलपुर एवं खरगोन*

3क.4.1 परिहार्य वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान

निर्धारित समय पर कर्जों का आहरण न किए जाने के कारण वचनबद्धता प्रभारों के रूप में 5.47 करोड़ रुपए का परिहार्य भुगतान करना पड़ा ।

मण्डल को अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऊर्जा वित्त निगम ने कर्जे दिए हैं । कर्ज अनुबंध की शर्तों एवं अनुबंधों के अनुसार यदि उधार ग्रहीता द्वारा प्राप्य राशि आगे की तिमाहियों में प्राप्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में जिस तिमाही में राशि का आहरण निश्चित किया गया है उसके प्रथम दिन से वस्तुतः आहरण के दिनांक तक ऊर्जा वित्त निगम 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वचनबद्धता प्रभार की वसूली करेंगा। निर्धारित दिनांकों को ऊर्जा वित्त निगम से कर्ज प्राप्त न किए जाने के कारण 31 मार्च 2001 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान मण्डल ने कुल 5.47 करोड़ रुपए[$] के वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान किया।

3क.4.2 दाण्डिक ब्याज पर परिहार्य व्यय

मण्डल ने प्रत्येक संवितरण के दिनांक को विद्यमान ब्याज दरों पर (फरवरी 1999 को 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर) 40 त्रैमासिक किश्तों में प्रतिभुगतान पर ऊर्जा वित्त निगम से कर्जे प्राप्त किए थे। प्रतिभुगतान के निर्धारित दिनांक को ब्याज अथवा मूलधन का भुगतना नहीं किए जाने की स्थिति में मण्डल को सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 2.75 प्रतिशत की दर पर (त्रैमासिक रूप में चक्रवृद्धि) दाण्डिक ब्याज का भुगतान भी करना था ।

कर्जों का प्रतिभुगतान नहीं किए जाने के कारण 15.42 करोड़ रुपए के दाण्डिक ब्याज का भुगतान।

1997-2001 के दौरान विभिन्न अवसरों पर प्रतिभुगतान हेतु निर्धारित दिनांकों का मूलधन तथा ब्याज की किश्तों का प्रतिभुगतान करने में मण्डल विफल रहा और इसके परिणामस्वरूप उसे दाण्डिक ब्याज के रूप में 15.42 करोड़ रुपए[*] का भुगतान करना पड़ा ।

3क.4.3 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कर्जों पर देय ब्याज का नए कर्जे में रुपांतरण

देय ब्याज का कर्जों में रुपांतरण के कारण 32.80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज भार ।

1997-2001 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिये संस्वीकृत कर्जों पर ब्याज के भुगतान हेतु देय 243.01 करोड़ रुपए की राशि 289.26 करोड़ रुपए के नए कर्जे में समयोजित कर ली गई परिणामस्वरूप देय ब्याज की राशि इन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए संस्वीकृत कर्जे में रुपांतरित कर ली गई। ब्याज को कर्जे के रूप में रुपांतरित करना स्वीकार किए जाने के कारण मण्डल को 32.80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ा ।

$ 1996-97 :187.26 लाख रुपए, 1997-98 :61.63 लाख रुपए, 1998-99 :45.86 लाख रुपए, 1999-2000 :97.70 लाख रुपए तथा 2000-2001 (14.04.2001 तक) :156.26 लाख रुपए

* 1996-97 :10.63 करोड़ रुपए 1997-98 :0.30 करोड़ रुपए, 1998-99 :0.28 करोड़ रुपए, 1999-2000 :2.32 करोड़ रुपए तथा 2000-2001 : 1.89 करोड़ रुपए

3क.4.4 दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान

मण्डल ने 1997-2001 के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं अर्थात सामान्य पंप सेट, नेटवर्क प्रणाली सुधार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा हरिजन बस्ती योजना इत्यादि के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से 289.26 करोड़ रुपए के कर्जे लिए जिनका भुगतान उन पर देय ब्याज के साथ सात वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को किया जाना था।

कर्जों की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार मण्डल को कर्जे की प्रथम किश्त के संवितरण के दिनांक से सात वर्षों की संपूर्ण अवधि हेतु 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज का भुगतान करना था । सभी स्तरों पर मूलधन एवं उस पर ब्याज के समयबद्ध भुगतान पर 0.50 प्रतिशत की छूट उपलब्ध थी । तथापि नियत दिनांक को ब्याज अथवा मूलधन की किसी किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में मण्डल को सामान्य ब्याज दरों के अलावा 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर दाण्डिक ब्याज (चक्रवृद्धि) का भुगतान करना था ।

समय पर कर्जे का भुगतान नहीं किए जाने के कारण 157.20 करोड़ रुपए के दाण्डिक ब्याज का भुगतान।

नियत दिनांकों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को किश्तों एवं उन पर ब्याज का भुगतान करने में मण्डल विफल रहा तथा उसे 157.20 करोड़ रुपए* के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा ।

3क.5 ब्याज एवं वित्त प्रभार

कर्जों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण ब्याज दायित्व 810.79 करोड़ रुपए से बढ़कर 1336.89 करोड़ रुपए हो गया ।

ब्याज एवं वित्त प्रभारों में सतत वृद्धि के कारण ये प्रभार 1997-98 में 810.79 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000-01 में 1336.89 करोड़ रुपए हो गये ।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निम्नांकित नियंत्रण करने योग्य घटको से भी ब्याज एवं वित्त प्रभार बढ़े ।

3क.5.1 राजस्व के संग्रहण एवं प्रेषण की प्रक्रिया

क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण एवं मण्डल के जबलपुर स्थित मुख्यालय के बैंक एवं रोकड़ प्रबंधन अनुभाग को उनके अंतरण के कार्य करने होते है । मुख्यालय के बाहर स्थित क्षेत्रीय लेखा कार्यालय प्राप्तियों को मण्डल के चालू खाते में जमा किए जाने हेतु बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से प्रेषण करते हैं । ऊर्जा वित्त निगम/ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को त्रण सेवा प्रभार, क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को कोयले की आपूर्ति हेतु देयकों एवं प्रेषणों इत्यादि से सम्बद्ध भुगतान मुख्यालय द्वारा किए जाते हैं ।

मार्च 2001 तक भारतीय स्टेट बैंक मण्डल का मुख्य बैंकर था तथा अप्रैल 2001 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुख्य बैंकर हो गया । मण्डल का प्रत्येक क्षेत्रीय

* *1996-97 : 19.11 करोड़ रुपए, 1997-98 :31.45 करोड़ रुपए, 1998-99 : निरंक , 1999-2000 :74.25 करोड़ रुपए तथा 2000-2001 : 32.29 करोड़ रुपए*

लेखा अधिकारी दो चालू खाते अर्थात् खाता संख्या I एवं खाता संख्या II संधारित करता है । खाता संख्या I मुख्यालय से निधियों की प्राप्ति तथा स्थापना व्यय एवं देयकों के भुगतान इत्यादि के लिए होता है और खाता संख्या II विभिन्न उप संभागों से विद्युत विक्रय की प्राप्तियों तथा मुख्यालय के मुख्य खाते (अर्थात मण्डल के खाता संख्या I)में आगे अंतरण हेतु रहता है ।

3क.5.2 निधियों के अंतरण का अप्रभावकारी परिवीक्षण

विभिन्न इकाइयों द्वारा विद्युत विक्रय से संग्रहीत राजस्व मण्डल के जबलपुर स्थित खाता संख्या II में जमा किया जाता है । मण्डल ने जारी किए हुए अनुदेशों के अनुसार संग्रहकर्ता बैंको को संपूर्ण प्रेषण प्रतिदिन बिना किसी विलम्ब के अंतरित कर देना चाहिए।

निधियों के अंतरण में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि ।

क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1999-2000 के दौरान 119.98 करोड़ रुपए के संग्रहणों में से केवल 110.10 करोड़ रुपए मण्डल के मुख्य खाते में अंतरित किए गये। बैंकों द्वारा अंतरित राशियों के सत्यापन में मण्डल के अप्रभावकारी परिवीक्षण के कारण बैंक द्वारा 9.88 करोड़ रुपये रोक लिये गये जिसके कारण मण्डल को 1.48 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष 9.88 करोड़ रुपये के अप्रेषित पूर्वशेष पर (जो 1999-2000 में बढ़कर 9.88 करोड़ रुपये हो गया था) की हानि हुई ।

3क.5.2(क) मुख्य खाते में राजस्व का विलम्ब से अंतरण

अनुदेशों के अनुसार बैंक द्वारा प्राप्त रोकड़ उसी दिन अथवा निश्चित रूप से अगले कार्य दिवस को मण्डल के खाते में जमा करने हेतु प्रेषण कर दिया जाना चाहिए । तथापि क्षेत्रीय लेखा अधिकारी धार, बिलासपुर एवं खरगौन के रोकड़ अभिलखों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि क्षेत्रीय लेखा अधिकारी धार ने 1997-98 से फरवरी 2002 के दौरान 327.24 करोड़ रुपए की निधियों का प्रेषण सप्ताह में दो बार के आधार पर किया, क्षेत्रीय लेखा अधिकारी बिलासपुर ने औसतन 4.81 करोड़ रुपए का प्रेषण एक सप्ताह के विलम्ब से किया तथा क्षेत्रीय लेखा अधिकारी खरगौन ने 0.36 करोड़ रुपए एवं 2.59 करोड़ रुपए के मध्य की राशि का प्रेषण चार से सात दिनों के विलम्ब से प्रेषण किया । इसके परिणामस्वरूप क्रमशः 3.07 करोड़ रुपए, 0.72 करोड़ रुपए एवं 0.07 करोड़ रुपए की हानि हुई जो कुल मिलाकर 3.86 करोड़ रुपए थी ।

क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों द्वारा निधियों के अंतरण में विलम्ब के कारण 3.86 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि।

उत्तर में यह बताया गया (मार्च 2002) कि निधियों के समयबद्ध अंतरण हेतु बैंकों के साथ इस प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

3क.5.2(ख) निधियों का उपयोग न किया जाना

अपने नकद लेन-देनों के लिए जबलपुर में विभिन्न बैंकों की 25 शाखाओं में मण्डल ने चालू खाते खोले । भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइन्स शाखा, जबलपुर में 1996-97 से प्रत्येक वर्ष के अंत में अधिशेष निम्नानुसार थे :-

(लाख रुपए में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान भुगतान	अंतशेष
1996-97	204.91	767.68	116.61	855.98
1997-98	855.98	45.00	46.97	854.01
1998-99	854.01	71.00	71.65	853.36
1999-2000	853.36	50.00	46.15	857.20
2000-2001	857.20	3146.63	2878.76	1125.07

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टव्य है कि 1997-2000 के दौरान किसी भी समय बैंक खाते में न्यूनतम रोकड़ शेष 8.53 करोड़ रुपए था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 1.28 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई ।

बैंको में रखी राशियों का अनुपयोग ।

इसी प्रकार अप्रैल 1998 से जुलाई 2000 तक बैंक एवं रोकड़ प्रबंधन के चालू खाते (एकाउंट कोड नम्बर 24.801) इलाहाबाद बैंक में 0.58 करोड़ रुपए की राशि भी रखी रही थी। तीन वर्षों तक इस राशि का उपयोग नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 25.88 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई ।

3क.5.2(ग) सीमा से अधिक नकद साख सुविधा प्राप्त किए जाने के कारण दाण्डिक ब्याज का भुगतान

नकद खास सीमा का उल्लंघन किए जाने के कारण 0.83 करोड़ रुपए के दाण्डिक ब्याज का भुगतान।

मण्डल को भारतीय स्टेट बैंक, नयागांव शाखा, जबलपुर में 6 करोड़ रुपए तक की नकद साख सुविधा प्राप्त है । कार्यशील पूंजी हेतु प्राप्त किए जाने वाले कर्जों की मांग सहित नकद साख की अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए थी । इस सीमा से अधिक आहरण होने की स्थिति में सामान्य ब्याज दर के अलावा 1999-2000 हेतु 2.04 प्रतिशत तथा 2000-01 हेतु 2 प्रतिशत का दाण्डिक ब्याज आरोपणीय था ।

1999-2000 एवं 2000-01 के दौरान मण्डल ने अधिकतम नकद साख सीमा का उल्लंघन किया तथा क्रमशः 35.20 लाख रुपए एवं 47.43 लाख रुपए के दाण्डिक ब्याज का भुगतान किया ।

3क.6 अवास्तविक आकलन के आधार पर क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को निधियां जारी की जाना

मुख्यालय ने वास्तविक आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को निधियों का प्रेषण किया ।

वेतन एवं भत्तों, सांविधिक देयताओं, आपूर्तिकर्ताओं के देयकों तथा दैनिक व्यय के भुगतान हेतु क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों द्वारा निधियों की मांग की गई तथा मुख्यालय द्वारा इस राशि का प्रेषण किया गया । क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों द्वारा संधारित चालू खाता संख्या I में उक्त निधियां रखीं गईं जिसमें से आवश्यकतानुसार आहरण किए गए ।

14 क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच में आवश्यकता से अधिक निधियों की मांग, मुख्यालय को निधियों के वापस प्रेषण तथा अधिशेष रोक रखने के ब्यौरे ***परिशिष्ट-16*** में दर्शाए गए है ।

यह देखा गया कि बैंक एवं रोकड़ प्रबंधन अनुभाग भुगतान हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट सामान्यतः माह की 25 तारीख तक बनवाता तथा क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को भेजता था एवं क्षेत्रीय लेखा कार्यालय बकाया अधिक निधियों की वापसी अगले माह की 20 तारीख के बाद करते थे इस प्रकार लगभग एक माह तक निधियां निष्क्रिय रहती थी ।

निधियों की मांग वास्तविक आवश्यकता को सुनिश्चित किए बिना की गई थी जिसके परिणामस्वरूप मुख्यालय को वापस करने के उपरान्त भी प्रत्येक माह के अंत में बड़ी मात्रा में नकद राशियां अनावश्यक रूप में अवरुद्ध रहीं । चूंकि मण्डल नकद साख सुविधा प्राप्त करता था तथा 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का भुगतान करता था, अतः ऐसी अधिक मांग एवं निधियां जारी किए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिमाह 0.78 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ब्याज का दायित्व बढ़ गया जो खराब वित्त प्रबंधन का परिचायक है ।

3क.7 बैंक द्वारा प्रेषण

3क.7(क) अप्रैल 2001 में मण्डल ने क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के मुख्यालयों सहित इसके 32 क्षेत्रीय लेखा इकाइयों के पक्ष में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चालू खाते खोलने एवं जबलपुर स्थित अपने मुख्यालय पर मुख्य खाता खोलने का निश्चय किया। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया मण्डल के मुख्य बैंकर का कार्य करने हेतु नियुक्त की गई । " मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल संग्रहण खाता" के संचालन हेतु शर्तों एवं निबंधनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित भी समाविष्ट थे :-

मण्डल के संबंधित क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों अथवा अन्य कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/ मण्डल के पक्ष में चेक/ ड्राफ्ट/ टी.टी. /एम.टी./ आंतरिक प्राप्तियों इत्यादि के रूप में किसी केन्द्र पर जमा की गई समस्त राशियां इस खाते में जमा की जाएंगी ।

बैंक इस खाते में संग्रहीत समस्त राशियां क्षेत्रीय लेखा अधिकारी के अनुदेशों के अनुसार उपलब्ध तीव्रतम प्रणाली से जबलपुर स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इडियां के " मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल-मुख्य खाता" में प्रतिदिन बैंक के कार्य घण्टों के अंत में अंतरित करने की व्यवस्था करेगा ।

बैंक संबंधित क्षेत्रीय लेखा अधिकारी को उक्त खाते के संबंध में प्रतिदिन बैंक कार्य घण्टों के अंत में निरंक अधिशेष प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

इस खाते में समस्त संग्रहण एवं प्रेषण " सममूल्य" आधार पर रहेंगे। इसके अलावा इस खाते में जमा किये गये समस्त साख पत्रों के त्वरित क्रेडिट की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

32 क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में से तीन क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों (इन्दौर, भोपाल और ग्वालियर) के बैंक खातों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि -

(क) बैंक ने यथा अपेक्षित निरंक अधिशेष प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जिसके कारण रोक कर रखी गई तथा मण्डल के खाते में अंतरित नहीं की गई निधियों की स्थिति का सत्यापन नहीं हो सका ।

(ख) शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार यथा अपेक्षित जमा किये गये सभी साखपत्र बैंक ने खाते में त्वरित क्रेडिट नहीं कराए । बैंक की शाखाओं में तीन महिनों के अंत शेषों की नमूना जांच में अन्य बातों के साथ-साथ प्रकट हुआ कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दैनिक आधार पर 2.61 करोड़ रुपए (इन्दौर), 0.93 करोड़ रुपए (भोपाल) तथा 15.30 लाख रुपये (ग्वालियर) की निधियां रोककर रखीं ।

यदि इन शाखाओं राशियां त्वरित क्रेडिट की गई होती तथा मुख्यालय जबलपुर को प्रतिदिन निधियों का प्रेषण किया होता तो नकद साख खाते पर 0.14 लाख रुपए प्रतिदिन (0.51 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष) के ब्याज की हानि बचाई जा सकती थी ।

3क.7(ख) मध्यप्रदेश सहकारी बैंक (एपेक्स बैंक) द्वारा साप्ताहिक प्रेषण

बैंक द्वारा दैनिक आधार पर निधियों का अंतरण नहीं किया गया ।

बैंक से मुख्यालय खातें में क्षेत्रीय लेखा कार्यालय/ जबलपुर वृत्त द्वारा किए गए प्रेषणों की संवीक्षा के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि मध्यप्रदेश सहकारी बैंक जबलपुर (एपेक्स बैंक) राजस्व संग्रहण दैनिक आधार पर अंतरित नहीं कर रहा था तथा मुख्यालय के मुख्य खातें में औसतन 37.36 लाख रुपए का प्रेषण सप्ताह में केवल एक बार किया जा रहा था ।

बैंक से राजस्व संग्रहणों हेतु शर्तों एवं निबंधनों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी समाविष्ट है कि संबंधित क्षेत्रीय लेखा अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के पक्ष में उसके स्थान पर किसी भी बैंक आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट/ चैक द्वारा राजस्व संग्रहण की राशियों का दैनिक /साप्ताहिक प्रेषण किया जाना चाहिए ।

मण्डल वित्तीय संकट का सामना कर रहा था और अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु अधिविकर्षों पर निर्भर था तथा उधार ली गई निधियों पर वह 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान कर रहा था। बैंक द्वारा मण्डल का राजस्व साप्ताहिक आधार पर अंतरित किए जाने के कारण मण्डल को विगत पांच वर्षों के दौरान 37.36 लाख रुपए पर 28.02 लाख रुपए के परिहार्य अतिरिक्त ब्याज का भार वहन करना पड़ा (अप्रैल 2002)।

3क.7(ग) इसी प्रकार इलाहाबाद बैंक भोपाल में प्राप्त राजस्व संग्रहण काभी दैनिक आधार पर नहीं किया जा रहा था तथा 1999-2000 और 2000-2001 में बैंक द्वारा न्यूनतम 15 लाख रुपए की राशि रोककर रखी गई। इसके परिणामस्वरूप चार वर्षों में 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 9.00 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई ।

3क.7.1 गुमशुदा क्रेडिटों का पता लगाने/ निराकरण में विलम्ब

गुमशुदा क्रेडिटों का समाधान नहीं किया गया ।

31 मार्च 2000 को भारतीय स्टेट बैंक में पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान जमा किये गये पांच क्षेत्रीय लेखा कार्यालय इकाइयों• एवं मुख्यालय से संबंधित 13.68 करोड़ रुपए की कुल राशि मण्डल के लेखाओं में क्रेडिट नहीं हुई । लेखांकित नहीं की गई इन निधियों पर 2.05 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ब्याज की हानि हुई ।

3क.7.2 अनादृत चैकों के कारण ब्याज की हानि

अनादृत चैकों के कारण 17.19 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली में विलम्ब हुआ ।

पांच क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों♦ के अनादृत चैक पजियों की नमूना जांच के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि अप्रैल 1997 से जनवरी 2002 के दौरान 17.19 करोड़ रुपए के चैक उपभोक्ताओं के खातों में पर्याप्त राशियां न होने के कारण बैंक द्वारा अनादृत कर लौटा दिए गये। 9.80 करोड़ रुपए उच्चदाब उपभोक्ताओं से एवं 7.39 करोड़ रुपये निम्न दाब उपभोक्ताओं से संबंधित थे । बोर्ड को अनादृत चैकों पर बैंक कमीशन का भुगतान करना पड़ा तथा राशियों की वसूली में विलम्ब भी हुआ ।

क्षेत्रीय लेखा अधिकारी इन्दौर के संबंध में अनादृत चैकों के प्रकरण अत्यधिक है । अप्रैल 1998 से दिसम्बर 2001 के दौरान 262 उच्चदाब उपभोक्ताओं एवं 4315 निम्नदाब उपभोक्ताओं के संबंध में क्रमशः 8.37 करोड़ रुपए एवं 6 करोड़ रुपए के चैक अनादृत हुए । न तो चूककर्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध विनिमय साध्य साखपत्र अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही की गई और न अनुबंध के अनुसार विद्युत आपूर्ति ही बंद की गई ।

3क.7.3 "सममूल्य" सुविधा प्राप्त नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप कमीशन प्रभारों का परिहार्य भुगतान

वितरण केन्द्रों द्वारा संग्रहीत राजस्व का प्रेषण क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों द्वारा संधारित खाता संख्या II में किया जाना अपेक्षित है ताकि जबलपुर स्थित मुख्यालय के मुख्य खाते में उसका संप्रेषण किया जा सके। रोकड़ लेखा प्रक्रिया पर अनुदेशों के अनुसार बैंक ड्राफ्टों से मध्यप्रदेश राज्य के अंदर प्रेषण भेजने की "सममूल्य" सुविधा (निःशुल्क सुविधा) मण्डल को उपलब्ध थी बशर्ते कि ऐसा प्रमाणित किया जाय कि ये प्रेषण मण्डल के वास्तविक उद्देश्यों से संबद्ध थे ।

1998-2001 के दौरान क्षेत्रीय लेखा कार्यालय होशंगाबाद, सीहोर और उज्जैन ने बैंक ड्राफ्ट कमीशन के रूप में क्रमशः 17.51 लाख रुपए, 24.30 लाख रुपए एवं 47.89 लाख रुपए का भुगतान किया । क्षेत्रीय लेखा कार्यालय भोपाल, छिन्दवाड़ा, रीवा और सिवनी ने भी इन प्रभारों का भुगतान किया तथापि उनके द्वारा वस्तुतः भुगतान की गई राशियों के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए ।

• *ग्वालियर, नरसिंहपुर, मुरैना, जगदलपुर, रीवा और मुख्यालय*

♦ *होशंगाबाद, इन्दौर, धार, खरगौन, बिलासपुर*

"सममूल्य" सुविधा प्राप्त नहीं किए जाने के कारण हानि।

इस प्रकार "सममूल्य" सुविधा प्राप्त करने में मण्डल के विफल रहने के परिणामस्वरूप केवल तीन क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के प्रकरण में ही 0.90 करोड़ रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। प्रबंधन ने उत्तर में बताया कि जनवरी 2002 में इस प्रकरण में बैंक के साथ कार्यवाही की गई है । तथापि अब तक (मार्च 2002) राशि प्राप्त नहीं हुई है ।

3क.7.4 राजस्व की वसूली न होना

विगत चार वर्षों के दौरान जिन्हें विद्युत विक्रय किया गया वे विविध देनदारों की स्थिति के मुकाबले मण्डल द्वारा प्राप्त किए गये अधिविकर्ष की सुविधा की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	विद्युत आपूर्ति के विरुद्ध प्राप्य राशि	अधिविकर्ष
1997-98	1825.44	निरंक
1998-99	2172.59	140.87
1999-2000	2428.60	241.13
2000-2001	2873.57	326.10

प्रभावकारी परिवीक्षण के अभाव के कारण प्राप्तव्यों की वसूली न होना ।

उपर्युक्त तालिका से दृष्टव्य है कि राजस्व का बकाया 1997-98 में 1825.44 करोड़ रुपए से 57.41 प्रतिशत बढ़कर 2000-01 में 2873.57 करोड़ रुपए हो गया। बैंकों से अधिविकर्ष भी 1997-98 में "निरंक" से बढ़कर 2000-01 में 326.10 करोड़ रुपए हो गया ।

यदि बकाया प्राप्तव्यों की 10 प्रतिशत राशि की भी वसूली कर ली गई होती तो अधिविकर्ष पर 48.91 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के ब्याज की हानि को बचाया जा सकता था।

3क.8 निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण ब्याज की हानि

मई 2000 में मण्डल ने निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु अनुदेश जारी किए जिसके लिए एक पृथक सेविंग बैंक खाता खोलने का निश्चय किया गया जिसमें निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त समस्त धनराशि जमा की जानी थी । क्षेत्रीय कार्यकारी संचालक/ मुख्य अभियंता भी अत्यावश्यक सामग्री अधिप्राप्त करने हेतु अधिकृत किये गये थे :

आठ क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में निक्षेप कार्यों के विरुद्ध निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

क्षेत्रीय लेखा कार्यालय का नाम	खाता खोले जाने का माह	बैंक में जमा राशि (मार्च 2002 तक)	मुख्यालय को अंतरित राशि (मार्च 2002 तक)	व्यय की गई राशि (मार्च 2002 तक)	बकाया (जुलाई 2001 के अनुसार)	बकाया (मार्च 2002 के अनुसार)
सागर	अगस्त 2000	94.46	34.60	18.21	84.60	41.65
भोपाल	—तदैव—	344.29	209.61	89.48	246.62	45.20
उज्जैन	जुलाई 2000	419.43	330.09	69.13	221.42	20.21
रायपुर	—तदैव—	639.05	537.85	53.66	548.15	47.54
जबलपुर	अगस्त 2000	284.97	129.00	79.97	179.50	76.00
बिलासपुर	जुलाई 2000	1134.27	370.10	71.34	366.31	692.83
इन्दौर	अगस्त 2000	919.71	365.00	148.76	431.47	405 95
ग्वालियर	जुलाई 2000	253.62	130.00	68.79	192.84	54.83
	योग	**4089.80**	**2106.25**	**599.34**	**2270.91**	**1384.21**

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टव्य है कि जुलाई 2001 तक निक्षेप कार्यों हेतु 22.71 करोड़ रुपए की बड़ी राशियां चालू खाते में जमा थीं। अगस्त 2001 में मण्डल ने निश्चित किया कि निक्षेप कार्यों हेतु उपलब्ध समस्त निष्क्रिय रोकड़ मुख्यालय को अंतरित की जाए जिससे निष्क्रिय निधियां सार्थक रूप से उपयोग में लाई जा सकें । क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि निक्षेप कार्य लेखे में उपलब्ध रोकड़ शेष में से तात्कालिक भुगतानों हेतु 50 लाख रुपए रोकते हुए अतिशेष तत्काल प्रेषण करें। क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों के पास उपलब्ध कुल 19.83 करोड रुपए में से केवल 5.99 करोड़ रुपए राशि का उपयोग किया गया, 31 मार्च 2002 को उनके पास अभी भी 13.84 करोड़ रुपए का अधिशेष बाकी था। उपर्युक्त आदेशों के विपरीत आठ में से चार क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों ने 50 लाख रुपए से अधिक के अधिशेषों को रोके रखा।

क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों के चालू खाते में राशियां रोक रखने के कारण 2.08 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि ।

यदि मुख्यालय के केश क्रेडिट खाते में राशियां जमा कर दी गई होती तो ब्याज की स्थिति को 2.08 करोड़ रुपए तक कम कर लिया गया होता ।

3क.9 आपूर्तिकर्ताओं /ठेकेदारों को ब्याज मुक्त अग्रिम

1997-2001 के दौरान सामग्रियों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को मण्डल द्वारा संस्वीकृत ब्याज मुक्त अग्रिमों के बकाया की स्थिति निम्नानुसार थी :

(करोड़ रुपए में)

	[illegible] (एकाउंट कोड 26.500)	[illegible] (एकाउंट कोड 26.500)
1996-97	31.26	148.07
1997-98	581.35	147.85
1998-99	691.76	148.78
1999-2000	840.60	197.36
2000-2001 (14 अप्रैल 2001 तक)	264.64	164.28

आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों को दिए गए ब्याज मुक्त अग्रिमों का समायोजन / समाधान नहीं किया गया।

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टव्य है कि आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए 428.92 करोड़ रुपए (264.64 करोड़ रुपए एवं 164.28 करोड़ रुपए) का 14 अप्रैल 2001 तक न तो समायोजन किया गया था और न ही समाधान।

उक्त असमायोजित अग्रिमों के अवधि वार विवरण मांगे जाने पर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए ।

3क.10 रोकड़ एवं बैंक शेष

2000-2001 (14 अप्रैल 2001) को समाप्त विगत 5 वर्षों में रोकड़ एवं बैंक शेषों की स्थिति निम्नानुसार थी :

(लाख रुपए में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (14 अप्रैल 2001 को)
रोकड़ खाता	1034.22	1078.61	873.06	727.05	938.07
कर्मचारियों के पास रोकड़ पेशगी	226.11	206.06	149.15	138.88	519.33
बैंक में शेष	4015.79	3767.53	(771.35)	8792.84	15662.24
मार्गस्थ रोकड़	(954.02)	1558.39	3364.21	1203.17	795.78
योग	**4322.10**	**6610.59**	**3615.06**	**10861.94**	**17915.42**

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े ऋणात्मक शेष दर्शाते हैं)

निम्नांकित तथ्य दृष्टिगत हुये -

3क.10.1 रोकड़ पुस्तक एवं तलपट में अंतर

सामान्यतः किसी दिनांक को रोकड़ पुस्तक एवं तलपट के शेष में कोई अंतर नहीं होना चाहिए तथा लेखाओं में दर्शाये गये रोकड़ शेष का मिलान लेखा इकाइयों की रोकड़ पुस्तकों की राशियों से होना चाहिए। तथापि 1998-99 के दौरान 141.41 करोड़ रुपए का अंतर था। इसके साथ ही 4 क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों♦ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2000-01 में 3.04 करोड़ रुपए का अंतर था जिसका समाधान अभी तक नहीं किया गया (मार्च 2002)।

3क.10.2 बैंक समाधान विवरण पत्रक

(i) पांच लेखा इकाइयों♥ के संबंध में मार्च 2000 के बैंक समाधान विवरण पत्रों की नमूना जांच में अत्यधिक पुराने अर्थात् वर्ष 1977-78 और उससे आगे की अवधि से संबंधित 41.82 करोड़ रुपए के समाधान नहीं किए गए शेष दृष्टिगत हुए ।

♦ *मुरैना , भोपाल, उज्जैन एवं रायपुर*

♥ *जबलपुर (मुख्यालय), मरैना, रीवा, छतरपुर एवं जबलपुर (केन्द्रीय लेखा इकाई)*

(ii) वर्ष 1999-2000 के लिए मुख्यालयों के बैंक एवं रोकड़ प्रबंधन अनुभाग के बैंक खातों का समाधान नहीं किया गया था। विवरण पत्रों की संवीक्षा के दौरान इस बैंक खाते में 1.71 करोड़ रुपए का ऋणात्मक अन्तिम शेष दृष्टिगत हुआ जबकि आगे के वर्ष 2000-2001 हेतु आरंभिक शेष (-)242.83 करोड़ रुपए दर्शाया गया । इस प्रकार 241.12 करोड़ रुपए का अंतर था । मण्डल लेखों का समाधान कार्य नहीं कर रहा था तथा बैंक द्वारा दर्शाए गए अधिशेषों को स्वीकार करता रहा। यह उचित वित्तीय प्रबंधन में मण्डल का बिल्कुल चिन्ता न करना दर्शाता है।

(iii) 14 अप्रैल 2001 के 36.00 करोड़ रुपए के असंबद्ध बैंक भुगतानों तथा 4.52 करोड़ रुपए के रोकड़ पुस्तक भुगतानों का भी समाधान नहीं किया गया था ।

(iv) भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइन शाखा, जबलपुर, में नकद साख खाता बिना कोई समाधान कार्य किए 1996-97 के दौरान बंद कर दिया गया तथा रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक में 5.45 करोड़ रुपए का ऋणात्मक शेष दर्शाया गया था । खाता बंद करने के कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे ।

(v) भारतीय स्टेट बैंक, नयागांव में (एकाउंट कोड - 24.345) केन्द्रीय लेखा इकाई, जबलपुर का खाता क्रमांक II का वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 के लिये समाधान कार्य नहीं किया गया। वर्ष 1999-2000 के दौरान 0.17 लाख रुपए का ऋणात्मक शेष था जो 2000-01 (अप्रैल 2001) के दौरान बढ़कर 2.82 करोड़ रुपए हो गया । इस अंतर के कारणों की जांच पड़ताल नहीं की गई ।

(vi) 31 मार्च 2000 को एवं 14 अप्रैल 2001 को मार्गस्थ रोकड़ का शेष क्रमशः 12.03 करोड़ रुपए एवं 7.95 करोड़ रुपए था। 2.10 करोड़ रुपए के निवल नामे (नेट डेबिट) 1990-91 से 1999-2000 तक असमायोजित पड़े रहे। इसके साथ ही 2.24 करोड़ रुपए का एक नेट डेबिट था जो कि सात क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों• के खातों में दृष्टिगत हुआ परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध रहीं तथा 33.60 लाख रुपए प्रतिवर्ष के ब्याज की हानि हुई ।

उपसंहार

क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों द्वारा निधियों का अधिक आहरण बैंक/ क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों द्वारा प्राप्त राशियों के प्रेषण में विलम्ब, पर उचित नियंत्रण के अभाव में तथा उपभोक्ताओं से प्राप्तव्यों की वसूली न हो पाने के कारण मण्डल समय पर निधियां नहीं जुटा सका। अतः देयताओं का निर्वहन नहीं किया जा सका जिससे दाण्डिक प्रभारों का भुगतान करना पड़ा । यही नहीं, निधियां बैंकों में अवरुद्ध रहीं, क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों ने राशियां रोके रखीं तथा प्रेषित राशियां अनावश्यक रूप में बड़ी मात्रा में

• *सारणी, बीरसिंहपुर, छतरपुर, गुना, होशंगाबाद, मरैना एवं सागर*

मार्गस्थ रहते हुए लंबित रही। बैंकों के साथ समाधान का कार्य भी बड़ी मात्रा में बकाया रहा । मण्डल के अपर्याप्त रोकड़ एवं बैंक प्रबन्धन की खराब प्रणाली के चलते मण्डल भुगतान दायित्वों की योजना बनाने हेतु अपनी प्राप्तियों का उचित परिवीक्षण करने में विफल रहा।

अतः मण्डल को क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों एवं बैंकों द्वारा मुख्य खाते में निधियों के अंतरण के परिवीक्षण हेतु अपने साधनों को सुदृढ़ करने के प्रयास करना चाहिये ।

उपर्युक्त प्रकरण मण्डल/ सरकार की ओर भेजा गया था, उनका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2002)।

खण्ड-अ

विद्युत क्षेत्र में सुधार - सहमति पत्र के निबंधनों का कार्यान्वयन

अ.1 प्रस्तावना

ऊर्जा क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से सुधारों के लिये संयुक्त प्रतिबद्धता के **बतौर मध्यप्रदेश** शासन एवं भारत सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर मई 2000 में हस्ताक्षर हुए। बाद में ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों को गैर राजनैतिक करने तथा उनके क्रियान्वयन को गति देने के लिये मुख्य मंत्रियों/ऊर्जा मंत्रियों के मार्च 2001 में सम्पन्न सम्मेलन में भी इस पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई।

भारत सरकार की सहायता राज्य में समयबद्ध विद्युत सुधार कार्य करने तथा वित्तीय वर्धन क्षमता के पुनःस्थापन हेतु निश्चित प्रगति अर्जित करने से जुड़ी थी तदनुसार राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्दिष्ट किया।

राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार एवं विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन के क्रियान्वयन की प्रक्रिया राज्य में आरंभ की है। सहमति पत्र में निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले मण्डल की उपलब्धियों की विवेचना आगामी कंडिकाओं में की गई है ।

अ.2 [illegible]

प्रस्तुत समीक्षा मण्डल के जबलपुर स्थित अभिलेखों की 2000-2001 एवं 2001-2002 की अवधि को समाविष्ट करते हुए नमूना जांच के जरिये मई-जून 2002 के दौरान की गई है ।

टीप :- मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का 15.04.2001 से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के रूप में विभाजन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के गठन के बाद मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का नाम मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल हो गया।

3ख.3 मध्यप्रदेश सरकार की वचनबद्धता

विद्युत क्षेत्र में सुधारों को तीव्र करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की वचनबद्धताएं निम्नानुसार है :

(i) मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का पुनर्गठन

(ii) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामों और छोटे गाँवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण तथा इसमें ग्रामीण धरों का सधन समावेश किया जाना।

(iii) विद्युत लेखापरीक्षा

समयबद्ध तरीके से प्रणालीगत हानियों को कम करने हेतु सभी स्तरों पर निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ विद्युत लेखापरीक्षा का होना।

(क) समस्त 11 किलोवाट फीडरों पर जून 2001 तक (बाद में संशोधित कर सितम्बर 2002 किया गया) मीटर लगाने का प्रयास करना

(ख) दिसम्बर 2002 तक समस्त उपभोक्ताओं के यहां शत प्रतिशत मीटर लगाने का कार्य पूर्ण करने का प्रयास करना ।

(iv) राज्य विद्युत विनियामक आयोग

राज्य विद्युत विनियामक आयोग की पहले ही प्रतिष्ठापना की जा चुकी है। आयोग को अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम बनाने हेतु राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करेगी ।

(v) विद्युत दरों को युक्तिसंगत बनाना

राज्य सरकार को उपरोक्त कार्य हेतु विद्युत सुधार अधिनियम में इस आशय के प्रावधान जोड़ने चाहिए जिनसे विद्युत दरें के विरुद्ध आर्थिक सहायता को कम करने के लिए सांविधिक आदेश रहे । सरकार पांच वर्षों की अवधि में क्रमिक पद्धति से उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने का प्रावधान करने वाली है।

[illegible]

मध्यप्रदेश में विद्युत क्षेत्र सुधारों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता निम्नानुसार है :

-- सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के उपरांत केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से अतिरिक्त 100 मेगावाट विद्युत के आवंटन हेतु त्वरित कार्यवाही की जानी थी तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इस विद्युत की आपूर्ति हेतु तकनीकी एवं वाणिज्यिक व्यवस्था करने वाला था। मण्डल के अनुसार राउरकेला से रायपुर तक की 400 किलोवाट लाइन पूर्वी क्षेत्र

पॉवर ग्रिड से अतिरिक्त विद्युत के लिए रिक्त रखी जानी थी। पावर ग्रिड * इसे प्राथमिकता के तौर पर पूर्ण करने वाला था ।

-- पावरग्रिड एवं मण्डल के उत्तराधिकारी अंतर्राज्यीय तथा राज्यान्तर्गत संकटग्रस्त पारेषण-लाइनों की सुदृढता के लिए अपनी सहभागिता के स्वरूप को अंतिम रूप देने वाले थे ।

-- उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क उन्नत करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार को चरणबद्ध रूप में वित्तीय सहायता दी जानी थी ।

-- उच्च बोल्टज वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने हेतु चरणबद्ध पद्धति से तकनीकी सहायता ।

-- प्रणालीगत हानि कम करने के कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता।

-- उत्कृष्ट लेखा पद्धति एवं वाणिज्यिक प्रक्रिया अपनाए जाने पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड, ऊर्जा वित्त निगम, भारतीय पावर ग्रिड निगम जैसे केन्द्रीय विद्युत संगठनों से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी थी ।

उख.5 वित्त व्यवस्था

मध्यप्रदेश को एक सुधारात्मक राज्य के रूप में मान्यता स्वरूप मण्डल की वित्तीय देयताओं की सीमा, वापसी की दर तथा ऋण सेवा समावेशन अनुपात से संबंधित सामान्य शर्तों में छूट के साथ निवेश आवश्यकताओं में उसे वित्तीय सहायता देने हेतु ऊर्जा वित्त निगम तैयार था ।

-- मण्डल को कर्मचारियों के लिए पेंशन, भविष्य निधि इत्यादि की देयताओं सहित वित्तीय पुनर्गठन योजना तैयार करनी थी।

-- सुधार कार्यों को सफल रूप में पूर्ण करने हेतु ढांचागत समायोजन वित्त व्यवस्था के लिए निधियां जुटाने हेतु मध्यप्रदेश को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार सहायता देगा ।

-- मध्यप्रदेश में विद्युत उत्पादन में अतिरिक्त निवेश के प्रस्तावों को त्वरित रूप में निपटाते हुए भारत सरकार ऐसे प्रस्तावों में सहयोग करेगी ।

-- भारत सरकार मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक रूप से सक्षम ऐसी वितरण कम्पनियों को जो सुधारों के माध्यम से अस्तित्व में आई है और जिनमें अपने लिये आवश्यक विद्युत के लिए भुगतान करने की क्षमता दर्शाता हैं, नए केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों से सीधे अतिरिक्त विद्युत आवंटित करेगी।

* *भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड*

-- दो नए जल विद्युत उत्पादन केन्द्र जिनके नाम इंदिरा सागर परियोजना एवं ओंकारेश्वर परियोजना है, राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के मध्य संयुक्त उपक्रम के माध्यम से पूर्ण होगी ।

3ख.6 सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

3ख.6क मध्यप्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वयन की स्थिति

(i) मण्डल का पुनर्गठन

सुधार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मण्डल को, सितम्बर 2000 से छः सरकारी कम्पनियों* में विभाजित किया गया। ये समस्त कंपनियां 22 नवम्बर 2001 को पंजीकृत की गई। इसके उपरांत सरकार को संचालक मण्डल की नियुक्ति का अनुरोध सरकार से किया गया है (जनवरी 2002) ।

इस प्रकार सहमति पत्र के आग्रहों के अनुसार विगत दो वर्षों में छः कम्पनियों का पंजीयन मात्र किया गया उनका वास्तविक गठन अभी भी किया जाना है। अतः यह एक खुला प्रश्न है कि क्या अन्य लक्ष्यों अर्थात समस्त उपभोक्ताओं को उनकी मांग पर मण्डल (अथवा इसकी उत्तराधिकारी कम्पनियां) विद्युत पूर्ति करेगा और ऐसा करने में कितना समय लगेगा ।

(ii) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

2000-01 एवं 2001-02 में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु मण्डल ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए।

राज्य में 51806 गांवों में से 2001-02 तक 50306 गांवों में (97 प्रतिशत) विद्युतीकरण किया जा चुका है । इस प्रकार राज्य को अभी शत प्रतिशत गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है ।

(iii) विद्युत लेखापरीक्षा

विद्युत उपकेन्द्र को एक इकाई के रूप में मानते हुए मण्डल को परस्पर सहमति के अनुसार समस्त स्तरों पर (क) तकनीकी हानियों (ख) वाणिज्यिक हानियों (चोरी, अनाधिकृत तार डालने, मीटरों से छेड़छाड़ करने एवं अन्य वाणिज्यिक हानियों) को कम करने हेतु विद्युत लेखापरीक्षा करनी थी। ऊर्जा वित्त निगम द्वारा सौंपे गए कार्य के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 की पारेषण

* *1. मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, 2. मध्यप्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड एवं 3. मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, अंतिम कम्पनी तीन सहायक वितरण कम्पनियों सहित है यथा (i) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी (ii) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र वितरण कम्पनी एवं (iii) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी*

एवं वितरण हानियां केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 15.5 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध क्रमशः 48.71 प्रतिशत तथा 43.21 प्रतिशत थी ।

पारेषण एवं वितरण की अधिक मात्रा में हानियों को कम करने हेतु समस्त आपूर्ति केन्द्रों पर मीटर लगाए जाने की योजना सहमति पत्र में थी। यह कार्य दिसम्बर 2001 तक पूरा किया जाना था ।

132 किलोवाट उपकेन्द्रों, 33 किलोवाट एवं 11 किलोवाट फीडरों के प्रकरण में मीटर लगाए जाने का कार्य पूर्ण हो चुका था जबकि 10,89,928 कृषि पम्पों (88.70 प्रतिशत) तथा 9,20,602 एकल बत्ती कनेक्शनों (47.08 प्रतिशत) पर अभी भी मीटर नहीं लगाए गए थे (जून 2002)।

यह भी दृष्टिगत हुआ कि मण्डल ने चयनित वृतों/ संभागों में 2000-2001 के दौरान विद्युत लेखापरीक्षा की। उज्जैन (नगर संभाग) में पारेषण एवं वितरण हानियां 57.96 प्रतिशत तक बड़ी मात्रा में दृष्टिगत हुईं । मण्डल ने बताया कि अन्य वृत्तों/ संभागों में भी विद्युत लेखापरीक्षा तथा पारेषण एवं वितरण हानियों का विश्लेषण करने के प्रयास किए गए तथा उनके परिणामों की प्रतीक्षा है ।

मण्डल ने यह भी बताया (जून 2002) कि विद्युत चोरी की बुराई के उन्मूलन के लिये उसने निम्नांकित उपाय किए :

(क) सघन जांच,

(ख) उच्च्दाव उपभोक्ताओं का पाक्षिक विद्युत वाचन,

(ग) मीटरों का व्यापक परीक्षण,

(छ) विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक मीटरों की प्रतिष्ठापना, तथा

(ड.) चोरी से प्रभावित क्षेत्र में इंसुलेटेड तार डालना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त चोरियों की सूचना देने तथा पुलिस कर्मियों को सहायता देने वालों हेतु विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी प्रारंभ की गई थीं । इन उपायों के प्रभाव एवं परिणामों को अभी सुनिश्चित किया जाना/ देखा जाना है ।

मण्डल का उत्तर इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में मानने योग्य नहीं है कि 1999-2002 के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियां अभी भी 43.23 और 48.71 प्रतिशत के मध्य रहीं, एवं 2001-02 के आंकड़े (43.21 प्रतिशत) 1999-2000 के आंकड़े (44.02 प्रतिशत) से सारतः भिन्न नहीं थे। इस प्रकार पारेषण एवं वितरण हानियों से बचने हेतु किए गए कार्य अप्रभावकारी थे।

(iv) राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना

सरकार ने अगस्त 1998 में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की तथा आयोग ने अप्रैल 1999 से अपना नियमित कार्य आरंभ किया। आयोग ने 2001-02 के दौरान एक टैरिफ आदेश को अंतिम रूप दिया तथा जारी किए गए टैरिफ आदेशों को 5 अक्टूबर 2001 से क्रियान्वित किया गया।

(v) टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना

निम्नांकित तालिका बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति पर किए गए औसत व्यय एवं तथा उसके द्वारा की गई औसत वसूली दर्शाती है :

वर्ष	विद्युत आपूर्ति पर औसत लागत (पैसे/इकाई)	औसत वसूली (पैसे/इकाई)	अंतर (पैसे/ इकाई)	वसूली की प्रतिशतता
1998-99	241.14	164.31	76.83	68.13
1999-2000	303.02	207.51	95.51	68.48
2000-01	384.16 (अनंतिम)	263.62(अनंतिम)	120.54 (अनंतिम)	68.62

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को विक्रय की गई प्रत्येक इकाई की लागत के केवल 68 प्रतिशत की वसूली मण्डल कर रहा था, जो कि सहमति-पत्र में निर्धारित 75 प्रतिशत की तुलना से 7 प्रतिशत पाइण्ट कम था। यदि परामर्शदाता (डेस्कॉन) द्वारा संगणित पारेषण एवं वितरण हानियों पर विचार किया जाये तो वसूली की प्रतिशतता और भी कम रह सकती है ।

3ख.6.ख भारत सरकार से सहायता की स्थिति

मध्यप्रदेश में विद्युत क्षेत्र सुधारों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता की स्थिति निम्नानुसार थी :

(i) अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति

इस संबंध में इसके सिवाय कोई प्रगति नहीं हुई कि मण्डल ने राज्य के ऊर्जा विभाग के साथ इस प्रकरण में विचार विमर्श प्रारंभ कर दिया है ।

(ii) अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति में सक्षम होने हेतु पारेषण तंत्र को सुदृढ करना व उसमें सुधार करना

इस संबंध में पावरग्रिड निगम एवं मण्डल बीना - ग्वालियर 765/400 किलोवाट लाइन तथा ग्वालियर 400 किलोवाट उपकेन्द्र के निर्माण की संभावना की तलाश कर रहे थे। लाइन के निर्माण हेतु पावरग्रिड सहमत था। इसके आगे मण्डल ने अभी तक कोई प्रगति सूचित नहीं की (मई 2002)।

(iii) उप पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करना

योजनाएं तैयार कर ली गई है तथा विद्युत वित्त निगम एवं एशियायी विकास बैंक (ए.डी.बी.) जैसे विभिन्न वित्तीय निकायों को प्रस्तुत कर दी गई है और कार्यान्वयन कार्यक्रम 2002-03 से 2005-06 तक होगा ।

(iv) पारेषण एवं वितरण हानियों को कम किया जाना

(क) क्रमिक पद्धति से उच्च वोल्टज वितरण प्रणाली सहित पारेषण एवं वितरण हानियों की कमी हेतु तकनीकी सहायता

एक सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु रुड़की विश्वविद्यालय को एक ठेका दिया गया है। पायलेट परियोजना के रूप में ये अध्ययन पूर्ण करने हेतु भोपाल नगर का चयन किया गया। विद्युत प्रणाली तंत्र के विवरणों एवं आंकड़ों सहित 33 किलोवाट उपकेन्द्रों और 11 किलोवाट फीडरों के विशिष्ट वर्गीकरण के साथ ही जी.आई.एस./ ऑटोकेड प्लेटफार्म पर इलेक्ट्रॉनिक नक्षे भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं , 33 किलोवाट एवं 11 किलोवाट नेटवर्क हेतु सॉफ्टवेयर विकसित करने का कार्य प्रगत्याधीन है ।

(ख) प्रणालीगत-हानि के न्यूनीकरण कार्यक्रम को निष्पादित करने हेतु वित्तीय सहायता

प्रणालीगत हानि के न्यूनीकरण का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा ए.डी.बी. को प्रस्तुत किया गया है ।

(ग) केन्द्र सरकार की कम्पनियों से सहायाता

बेलेन्सशीट ठीक करने एवं वित्तीय विश्लेषण हेतु कनाडियन इंटरनेशनल डवलपमेंट एजेन्सी/ इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रॉजेक्ट को वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

(v) वित्त व्यवस्था

वित्तीय राशि प्राप्त करने हेतु विद्युत वित्त निगम को विभिन्न अभ्यावेदन किए गए हैं और ये विद्युत वित्त निगम के विचाराधीन है ।

(vi) वित्तीय पुनर्गठन योजनाएं

मण्डल को वित्तीय पुनर्गठन योजनाओं के अंतर्गत अभी पेंशन संबंधी देयताओं का आकलन करना है ।

(vii) ढ़ांचागत समायोजन

इस उद्देश्य हेतु बैलेंसशीट को ठीक करने एवं वित्तीय विश्लेषण के लिए विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत कनाडियन इंटरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी/ इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट को वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है ।

(viii) वितरण कम्पनियों को विद्युत का सीधे आवंटन

इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि गठित वितरण कम्पनियों को अभी वास्तविक स्वरूप ग्रहण करना है ।

(ix) जल विद्युत ऊर्जा विकास

राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जा चुके थे । तथापि इस संबंध में कोई प्रगति लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराई गई है ।

उपसंहार

विद्युत क्षेत्र में सुधारों का मूलभूत लक्ष्य समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर निश्चित एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराया जाना है जो लक्ष्य से बहुत दूर है क्योंकि विद्युत की अत्यधिक कमी है, मांग और पूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है, बड़ी मात्रा में पारेषण- वितरण हानियां है, कार्यों की प्रगति धीमी है तथा भारत सरकार द्वारा दी गई वचनबद्धता को पूरा नहीं किया गया है। सुधार प्रक्रिया के उचित क्रियान्वयन हेतु मण्डल का वांछित पुनर्गठन भी नहीं किया गया है ।

अध्याय 4

सरकारी कम्पनियां एवं सांविधिक निगमों से संबंधित विविध रुचिकर प्रकरण

अनुभाग 4 क

सरकारी कम्पनियां

4क.1 ऑप्टेल टेलिकम्युनिकेशन्स, लिमिटेड

ऑप्टेल टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड (कम्पनी) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स डवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा आरंभ की गई ऑप्टो इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम परियोजना को लेने हेतु एक सरकारी कम्पनी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कम्पनी के रूप में दिसम्बर 1988 में निगमित की गई। कम्पनी ने ऑप्टीकल फायबर, ऑप्टीकल फायवर केबल एवं संचार प्रणाली के निर्माण हेतु मेसर्स फुरुकावा इलेक्ट्रिक कम्पनी एवं मेसर्स फुजित्सु लिमिटेड, दोनों जापानी फर्मों के तकनीकी सहयोग से मण्डीद्वीप (जिला रायसेन) में ऑप्टिकल फायबर एवं ऑप्टीकल फायबर केबल के नाम से दो संयंत्रों के साथ ऑप्टिकल फायबर परियोजना स्थापित की है।

1996-97 तक आप्टीकल फायबर के क्षेत्र में इसका एकाधिकार होने के कारण कम्पनी लाभ अर्जित कर रही । तथापि उदारीकरण एवं लाइसेंस मुक्त व्यवस्था के परिणामस्वरूप नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ कई नई कम्पनियों ने बाजार में प्रवेश किया तथा इस कम्पनी ने 1997-98 से हानि उठाना आरंभ कर दिया, और मार्च 2001 तक इसकी संचित हानि 70.07 करोड़ रुपए हो गई। कार्यशील पूंजी की कमी तथा उच्च उत्पादन लागतों के कारण कम्पनी के दो संयंत्रों की उत्पादन गतिविधियां जून 2000 से बंद हो गई।

कम्पनी ने कड़ी प्रतियोगिता, विक्रय मूल्य में गिरावट और निधियों की तंगी को हानि का कारण बताया। तथापि लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कम्पनी की विफलता, अनुपयुक्त वित्तीय प्रबंधन तथा अप्रभावकारी स्कन्ध प्रबंधन से भी हानि हुई, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है ।

4क.1.1 व्यापार गठबंधन अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने में असामान्य विलम्ब

जून 2000 से कम्पनी के दोनों संयंत्रों की उत्पादन गतिविधियां बंद हो गई थीं अतः कम्पनी ने हानियों को कम करने तथा संयंत्रों को चालू करने के लिए प्रबंधन ठेके हेतु बोलियां आमंत्रित की (अक्टूबर 2000)। उत्तर स्वरूप केवल तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए जो वैध पाए गए। धारक कम्पनी मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डवलपमेंट कारपोरेशन ने प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने हेतु एस.बी.आई. केपिटल मार्केट लिमिटेड

(एस.बी.आई.केप्स) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया (फरवरी 2001)। परामर्शदाता ने प्राइमा टेलिकॉम लिमिटेड का प्रस्ताव सर्वाधिक अनुकूल बताया (मार्च 2001) जिसे अप्रैल 2001 में संचालक मण्डल और राज्य सरकार की मंत्री मण्डलीय समिति ने भी स्वीकार किया। प्राइमा टेलिकॉम ने शर्त पत्र के अनुरूप प्रारूप व्यापार गठबंधन अनुबंध को अन्तिम रूप देने हेतु अगस्त 2001 में कम्पनी को अनुरोध किया। प्रारूप अनुबंध को अक्टूबर 2001 में कम्पनी द्वारा अंतिम रूप दिया जा सका।

कम्पनी एवं प्राइमा टेलिकॉम लिमिटेड के मध्य प्रारूप व्यापार गठबंधन अनुबंध के अनुच्छेद 10 के अनुसार (क) प्राइमा टेलिकॉम द्वारा कम्पनी को अपफ्रण्ट राशि के रूप में 21 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था (ख) अर्जित लाभ कम्पनी एवं प्राइमा टेलिकॉम के मध्य 52:48 के अनुपात में बांटा जाना था (ग) हानि होने की स्थिति में प्राइमा टेलिकॉम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 3 करोड़ रुपए के न्यूनतम प्रचालन प्रभारों का भुगतान किया जाना था तथा (घ) प्राइमा टेलिकॉम अनुबंध के निष्पादन के पूर्व अथवा उसके निष्पादन के समय अपफ्रण्ट राशि एवं न्यूनतम प्रभारों कुल मिलाकर 24 करोड़ रुपए का भुगतान करने हेतु सहमत हो गया। इसके अतिरिक्त बोली लगाने वालों को जारी सामान्य शर्तपत्र के अनुसार कम्पनी के दोनों संयंत्रों के (460 में से) 250 कर्मचारी व्यापार गठबंधन सहभागी द्वारा लिए जाने थे ।

राज्य सरकार ने बिना कोई कारण बताए कम्पनी को प्राइमा टेलिकॉम लिमिटेड के साथ व्यापार गठबंधन अनुबंध को अंतिम रूप न देने हेतु निर्दिष्ट किया (अप्रैल 2002)। आगामी प्रगति अपेक्षित थी (सितम्बर 2002)।

4क.1.2 ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी परियोजना का क्रियान्वयन न होना

जनवरी 1995 में भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने ऑप्टिक फायबर इंडस्ट्री के लिए आवश्यक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक योजना मॉड्युलों तथा पैकेजिंग के उत्पादन प्रौद्योगिकी तथा उत्पाद विकसित करने के मुख्य उद्देश्य से 8.15 करोड़ रुपए की परियोजना लागत (पूंजीगत उपकरण : 4.61 करोड़ रुपए तथा परिचालन व्यय : 3.54 करोड़ रुपए) की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी परियोजना (परियोजना) संस्वीकृत की । उक्त लागत इलेक्ट्रॉनिक विभाग एवं कम्पनी में समान रूप में बांटी जानी थी। परियोजना 1995-98 (बढ़ाकर 1998-99) के दौरान कार्यान्वित की जानी थी। इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने अपने हिस्से की 1.95 करोड़ रुपए की राशि इस स्पष्ट शर्ते के साथ विमुक्त की (जनवरी - मार्च 1995) कि अव्ययित राशि वापस कर दी जावेगी।

ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकि परियोजना कार्यान्वित होने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 0.98 करोड़ रुपए का व्यय का निष्फल हुआ ।

यह देखा गया (जनवरी 2001) कि 1998-99 तक कम्पनी ने परियोजना पर 0.98 करोड़ रुपए (राजस्व व्यय : 0.69 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत व्यय 28.74 लाख रुपये) का व्यय किया तथा (कम्पनी के अपने शेयर और मार्च 1999 तक 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित) 2.04 करोड़ रुपए की अव्ययित राशि का कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया । मार्च 1999 के उपरांत कोई व्यय नहीं किया।

चूंकि परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई अतः इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने कम्पनी को आगे व्यय न करने, पूर्णता प्रतिवेदन भेजने तथा अव्ययित राशि लौटाने हेतु निर्दिष्ट किया

(अगस्त 1999)। यद्यपि कम्पनी ने अप्रैल 1999 से परियोजना पर व्यय करना बंद कर दिया तथापि कम्पनी न तो पूर्णता प्रतिवेदन भेजा न अव्ययित शेष राशि ही लौटायी जो 0.62 करोड़ रुपये के ब्याज सहित मार्च 2002 में 2.57* करोड़ रुपए हो गयी। परियोजना क्रियान्वित न होने के कारण पहले किया गया 0.98 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल हो गया।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2001) कि एक वरिष्ठ प्रबंधक, जिन्हें परियोजना का कार्य सौंपा गया था, पहले लम्बी छुट्टी पर चले गए और बाद में उन्होनें चिकित्सा के आधार पर त्याग-पत्र दे दिया, अतः परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी। कम्पनी के उत्तर से उसकी दोषपूर्ण कार्यप्रणाली प्रतिबिम्बित होती है क्योंकि वह एममात्र व्यक्ति पर पूर्णतः निर्भर थी तथा परियोजना का कार्यभार लेने तथा उसे पूर्ण करने हेतु अन्य तकनीकी विशेषज्ञों को तैयार एवं प्रशिक्षित करने में वह विफल रही थी।

4क.1.3 बिना औचित्य के कम प्रीमियम पर शेयरों का जारी किया जाना

कम्पनी और मेसर्स फुरुकावा इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, जापान (सहयोगी) के मध्य हुए समझौते के अनुसार कम्पनी को अपने इक्युटी शेयर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लेखा फ़र्म द्वारा निर्धारित वास्तविक मूल्य के आधार पर सुनिश्चित प्रीमियम पर फुरुकावा को देने थे। तथापि वास्तविक मूल्य निर्धारित करवाने की शर्त का उल्लंघन करते हुए कम्पनी ने सहयोगी के साथ अंशदान एवं शेयरधारकों का अनुबंध निष्पादित किया तथा 30 रुपए प्रति शेयर प्रीमियम पर 10 रुपए प्रत्येक के 25 लाख शेयर आवंटित किए। प्रीमिमय की मात्रा की संगणना का औचित्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी ने सार्वजनिक रूप से शेयर आवंटन के समय भारतीय नागरिको एवं वित्तीय संस्थाओं/ अनिवासी भारतियों के लिए क्रमशः 60 रुपए एवं 75 रुपए प्रति शेयर का शेयर प्रीमिमय निर्धारित किया था। 60 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम प्रति शेयर वर्तमान लाभ पर आधारित था ।

कम प्रीमियम पर शेयर जारी किए जाने के कारण सहयोगी को 7.50 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ।

इस प्रकार कम प्रीमियम पर 25 लाख शेयर आवंटित किए जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा अपने जापानी सहयोगी को 7.50 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया और कम्पनी उक्त सीमा तक अतिरिक्त पूंजी से वंचित रहीं।

प्रबंधन के बताया (फरवरी 2001) कि सहयोगी के साथ शेयरों की विक्रय-वार्ता उच्च **स्तरीय समिति ने की थी जिसमें** कम्पनी के तत्कालीन प्रबंध संचालक, वित्तीय प्रमुख **तथा नैगम मामलों के विभाग प्रमुख सम्मिलित थे, तथापि शेयरों के मिनिट्स उपलब्ध नहीं थे, अतः इससे आगे औचित्य ठहराना बहुत मुस्किल है** । उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि शेयरों के मूल्य निर्धारण यथा-सहमत पद्वति के अनुसार नहीं किया था और अभिलेख में इसके कारण भी नहीं दर्शाये गये थे जिसके कारण कम्पनी को भारी हानि

* *टिप्पणी - प्राप्त राशि 195 लाख रुपये में जोड़े 110.66 लाख रुपये (मार्च 2002 तक का ब्याज) = 305.66 लाख रुपये तथा घटायें 48.98 लाख रुपये (अर्थात 98 लाख रुपये का 50% जो कम्पनी द्वारा वहन किया गया) = 256.68 लाख रुपये।*

हुई। इसके अलावा सहयोगी से वसूल गया प्रीमियम भारतीय नागरिकों तथा वित्तीय संस्थाओं/ अनिवासी भारतीयों से वसूले गये प्रीमियम की तुलना में 50 से 60 प्रतिशत तक कम था।

4क.1.4 जब्त किये गये शेयरों के विक्रय को अंतिम रूप दिए जाने में अनिश्चय तथा विलम्ब

6406 शेयरधारकों को जारी 2065800 शेयरों के सम्बन्ध में कम्पनी की 10.24 करोड़ रुपए की आवंटन मांग नवम्बर 1995 से प्राप्तव्यों के रूप में बकाया थी। लगभग चार वर्षों की अवधि के उपरांत कम्पनी ने इन शेयरों को जब्त किया(जनवरी 2000)। कम्पनी के आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 29 के अनुसार जब्त कये गये शेयर कम्पनी की सम्पत्ति माने जाने थे तथा मण्डल उक्त निबंधनों के अनुसार जैसा उचित समझे शेयरों का विक्रय/ पुनराबंटन कर सकता था अथवा उनका अन्यथा निवर्तन कर सकता था या उनका जब्त किया जाना निरस्त कर सकता था।

कम्पनी ने जब्त किये गये शेयरों को पुनः जारी किए जाने हेतु अपने संचालक मण्डल के समक्ष यह दर्शाता है कि तत्कालीन प्रभावी मूल्य 60 से 70 रुपए प्रति शेयर के मध्य था, एक कार्यसूची मद प्रस्तुत की (मई 2000)। मण्डल ने जब्त किये गये शेयरों का पुनः जारी किया जाना स्वीकृत करते समय निर्दिष्ट किया कि मूल्य निर्धारण हेतु मर्चेन्ट बैंकर की सहमति भी ले ली जानी चाहिए। तदनुसार आइ.सी.आइ.सी.आइ. सिक्युरिटी लिमिटेड (आइ.सी.आइ.सी.आइ.) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया (जून 2000)। यद्यपि आइ.सी.आइ.सी.आइ. ने रेंका एण्ड कम्पनी के 31 रुपए प्रति शेयर (जुलाई 2000), एफ.सी.सी. टेक्नॉलॉजीस एण्ड प्रॉडक्ट्स लिमिटेड के 24 रुपए प्रति शेयर (अक्टूबर 2000) तथा प्राइमा टेलिकम्युनिकेशन से 31 रुपए प्रति शेयर (जनवरी 2001) जैसे विभिन्न प्रस्ताव अनुशंसित किए तथापि कम्पनी कोई कार्यवाही करने में विफल रही।

इस प्रकार जब्त किये गये शेयर दो वर्षों की समाप्ति के उपरांत (मार्च 2002) भी अनिवर्तित रहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नवीनतम उद्धृत मूल्यों (22 मार्च 2002) के अनुसार शेयरों का मूल्य 3.55 रुपए प्रति शेयर (कुल मूल्य : 0.73 करोड़ रुपए) था।

जब्त शेयरों के निर्वर्तन में विफलता के कारण 4.10 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि एवं परिणामतः 1.23 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार मण्डल की सक्षमता के अंतर्गत होने के बावजूद जब्त शेयरों के निवर्तन हेतु प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने में अनिश्चय के परिणामस्वरूप 20.50 रुपए प्रति शेयर (24 रुपए -3.50 रुपए : शेयर का बाजार मूल्य) की दर पर 4.10 करोड़ रुपए के राजस्व की व इसके साथ ही अप्रैल 2000 से सितम्बर 2002 तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 1.23 करोड़ रुपए के ब्याज की भी हानि हुई।

कम्पनी ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए विलम्ब का कारण सौदे को अंतिम रूप दिए जाने हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होना बताया (जनवरी 2002)।

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि कम्पनी के आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार जब्त शेयरों के विक्रय हेतु निर्णय लेने के लिए कम्पनी का संचालक मण्डल सक्षम था। इसके साथ ही इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कम्पनी के दो संयंत्रों की गतिविधियां

बंद हो गई हैं (जून 2000) उसे इन शेयरों के निवर्तन हेतु शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए थी ।

4क.1.5 संविदा मांग के गलत आकलन के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

अक्टूबर 1989 में कम्पनी ने अपनी मांग का उचित आकलन किये बिना मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल (मण्डल) से 1920 के.वी.ए. की संविदा मांग के साथ उच्च दाब संयोजन (कनेक्शन) प्राप्त किया एवं अपने विस्तार कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु संविदा मांग में वृद्धि करते हुए इसे 2920 के.वी.ए. करा लिया (मई 1996)। मण्डल की टैरिफ शर्तों के अनुसार संविदा मांग का 75 प्रतिशत अथवा वास्तविक खपत जो भी अधिक हो कम्पनी को मांग प्रभार के रूप में भुगतान करना था। लेखा परीक्षा द्वारा संविदा मांग अधिक इंगित किए जाने पर उसे कम करवाकर 2600 के.वी.ए. करवाई गई (फरवरी 1998)।

फरवरी 1998 से जून 2002 के विद्युत देयकों की संवीक्षा में यह भी प्रकट हुआ कि केवल अप्रैल एवं मई 1998 को छोड़कर वास्तविक मांग 360 के.वी.ए. एवं 1688 के.वी.ए. के मध्य रहीं फिर भी कम्पनी ने 1950 के.वी.ए. (कम की गई 2600 के.वी.ए. संविदा मांग की 75 प्रतिशत) संविदा मांग का भुगतान करना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप 0.77 करोड़ रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ।

संविदा माग का निर्धारण करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों के संबंध में 0.77 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

इस प्रकार विद्युत संविदा मांग बढ़ाये जाने से पूर्व एवं लेखापरीक्षा द्वारा इसके आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति की ओर इंगित किए जाने के बावजूद भी मांग के उचित आकलन में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप उसे 0.77 करोड़ रुपए के परिहार्य अधिक व्यय का भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2001) कि विद्युत भार को कम करने के उसके अनुरोध को विद्युत मण्डल ने अस्वीकार कर दिया था। वस्तुस्थिति यह है कि संविदा मांग के उचित आकलन में विफलता के फलस्वरूप कम्पनी 1950 के.वी.ए. की संविदा मांग प्रभारों का भुगतान करती रही।

4क.1.6 स्कन्ध प्रबंधन

(क) अरामिड यार्न की अनौचित्यपूर्ण अधिप्राप्ति

कम्पनी ने विभिन्न संवर्गों एवं आकारों के केबलों के निर्माण हेतु 20 मई, 20जून एवं 25 अक्टूबर 2000 के पूर्व क्रमशः 3300 किलोग्राम, 3700 किलोग्राम एवं 3000 किलोग्राम कुल 10000 किलोग्राम अरामिड यार्न की आपूर्ति के लिए डयू पांट डी सी नेमोरस एण्ड कम्पनी (यू.एस.ए.) को एक क्रय आदेश किया (अप्रैल 2000) तथापि कम्पनी ने मई 2000 में सुपुर्दगी की समय सूची परिवर्तित कर इसे जुलाई एवं अगस्त 2000 प्रत्येक माह के पूर्व 1000 किलोग्राम किया तथा शेष 8000 किलोग्राम के विषय में बाद में निर्णय किया जाना था।

आपूर्तिकर्ता ने सुपुर्दगी की समय सारणी के अनुसार सामग्री की आपूर्ति नहीं की। कम्पनी ने क्रय आदेश समाप्त करने के बजाय 2000 किलोग्राम की आपूर्ति

(मूल्य : 29.04 लाख रुपए) सितम्बर 2000 में स्वीकार की जो स्टॉक में पड़ी रही (मार्च 2002)। यद्यपि श्रीनिवास सिंथेटिक पैकर्स (प्रायवेट) लिमिटेड, ग्वालियर से कम्पनी द्वारा उद्धृत मूल्य दर पर इस सामग्री के क्रय हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था (मार्च 2001), फिर भी कम्पनी ने यह कहकर प्रस्ताव निरस्त कर दिया कि कम्पनी को स्वयं इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके परिणामस्वरूप 29.04 लाख रुपए मूल्य की सामग्री बिना आवश्यकता के रखे रहने से (अक्टूबर 2000 से मार्च 2002 तक 12 प्रतिशत की दर पर) 5.22 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई ।

29.04 लाख रुपए के स्टॉक के अवांछित रूप से अवरुद्ध रहने के परिणामस्वरूप कम्पनी को 5.22 लाख रुपए के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2002) कि दूरसंचार विभाग से क्रय आदेश की प्रत्याशा में यार्न को रोककर रखा गया था परन्तु आदेश प्राप्त नहीं हो सका, और यह कि सामग्री की लागत प्रस्तावित व्यापार गठबंधन भागीदार से वसूल की जावेगी। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि संयंत्र का परिचालन पहले ही (जून 2000 से) बंद हो चुका था तथा प्रस्तावित व्यापार गठबंधन क्रियान्वित होने में विफल रहा।

(ख) अवस्तरीय सामग्री का स्वीकार किया जाना

कम्पनी ने 5000 किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर के क्रय हेतु स्टरलिट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, औरंगाबाद को आदेश दिये (मई 2000), तथा जून 2000 में आपूर्ति प्राप्त की। 28.87 लाख रुपए मूल्य की 1018.50 किलोमीटर मात्रा तकनीकी आधारों पर अस्वीकृत कर दी गई (अगस्त 2000)।

कम्पनी के सामग्री विभाग ने आपूर्तिकर्ताओं को निरस्तीकरण के बारे में सूचित कर दिया था(अगस्त 2000) तथा आपूर्तिकर्ता सामग्री के मूल्य की प्रतिपूर्ति करने हेतु सहमत हो गया था (अक्टूबर 2000) तथापि प्रबंध संचालक ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया (फरवरी 2001) तथा कालांतर में दूरसंचार विभागेत्तर आदेशों की पूर्ति में उपयोग हेतु सामग्री को रोके रखने का आदेश दिया।

अवस्तरीय सामग्री के संबंध में राशि की वापसी स्वीकार करने में विफलता के परिणामस्वरूप 28.87 लाख रुपए एवं परिणामतः 7.79 लाख रुपए के ब्याज की हानि।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2001) में प्रकट हुआ कि दूरसंचार विभागेतर ग्राहकों से कोई क्रय आदेश प्राप्त नहीं हुए तथा समाग्री अप्रयुक्त पड़ी रही और यह कि अस्वीकृत सामग्री को रोककर रखने का निर्णय कम्पनी के हित में नहीं था। आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा-प्रस्तावित राशि उससे वापस लेने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 28.87 लाख रुपए की हानि हुई साथ ही 7.79 लाख रुपए के ब्याज (जुलाई 2000 से सितम्बर 2002 तक 27 माह हेतु 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर) की हानि भी हुई।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2002) कि सामग्री का मूल्य प्रस्तावित व्यापार गठबंधन भागीदार से वसूल किया जावेगा। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि (i) व्यापार गठबंधन हेतु प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हुआ तथा संभावी गठबंधन से अवस्तरीय सामग्री की लागत की प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा कम्पनी की बहुत अच्छी व्यापार नीति की द्योतक नहीं है।

4 क.1.7 प्राप्तव्यों का व्यवस्थापन

4क.1.7(क) ऑप्टिकल केवल की आपूर्ति सुपुर्दगी समय में करने में विफल रहना

कम्पनी ने महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड दिल्ली/ मुम्बई तथा दूरसंचार विभाग से पी.आई.जे.एफ.केबल की आपूर्ति हेतु क्रमशः 16.59 करोड़ रुपए और 7.73 करोड़ रुपए मूल्य के दो क्रय आदेश (अगस्त 1999 एवं अक्टूबर 1999) प्राप्त किए। सहमत सुपुर्दगी समयावधि क्रमशः फरवरी 2000 एवं अप्रेल 2000 तक थी।

लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ (जनवरी 2002) कि गंभीर वित्तीय संकट के कारण कम्पनी बढ़ाई गई सुपुर्दगी अवधि के दौरान भी आपूर्ति पूर्ण नहीं कर सकी अतः ग्राहकों ने क्रय आदेशों को निरस्त कर दिया परिणामतः 5.10 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्री भण्डार में पड़ी थी (मार्च 2002)।

क्रय आदेश निरस्त होने के कारण 5.10 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्री अवरुद्ध होने के परिणामस्वरूप 1.17 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार कम्पनी सुपुर्दगी समयावधि का अनुपालन करने में विफल रही जिसके फलस्वरूप 5.10 करोड़ रुपए की राशि अवरुद्ध हो गई साथ ही (मई 2000 से मार्च 2002 तक 12 प्रतिशत की दर पर) 1.17 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

4क.1.7(ख) सुपुर्दगी समयावधि का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण परिशोधन क्षतियों का परिहार्य भुगतान

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष (वाणिज्यिक) की कंडिका 4क.1.2 में 3.04 करोड़ रुपए की परिशोधन क्षतियों के भुगतान के कारण हानियों का उल्लेख किया गया था।

लेखापरीक्षा में आगे भी यह दृष्टिगत हुआ (दिसम्बर 2001) कि विगत दो वर्षों के दौरान प्राप्त 13.97 करोड़ रुपए के सात आपूर्ति आदेशों के संबंध में कम्पनी ने 2.97 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्री एक माह से 13 माह के मध्य विलम्ब से आपूरित की।

आपूर्ति में विलम्ब सहित अनुपयुक्त उत्पादन योजना के परिणामस्वरूप परिशोधन क्षतियों के रूप में 40.09 लाख रुपए का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

आपूर्ति में विलम्ब मुख्यतः कार्यशील पूंजी की कमी तथा उत्पादन योजना के अभाववश था। परिणामतः ग्राहकों (दूरसंचार विभाग) ने विलम्ब से हुई आपूर्तियों के संबंध में परिशोधन क्षतियों के रूप में 40.09 लाख रुपए वसूल किए।

यह विशेष रूप से ध्यान देने योगय था कि दूरसंचार विभाग के विरुद्ध 1990-91 से 2000-01 तक की विभिन्न अवधियों हेतु 31 मार्च 2001 को कुल 8.57 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। यदि कम्पनी ने अपने प्राप्तव्यों की वसूली हेतु प्रभावकारी कार्यवाही की होती तो इसकी कार्यशील पूंजी की समस्याएं हल हो गई होतीं; तथा यह समय से आपूर्तियां करने के लिये अच्छी स्थिति में होती जिससे परिशोधन क्षतियों के भुगतान से बचा जा सकता था।

उपर्युक्त प्रकरण कम्पनी/सरकार की ओर भेजे गए थे (दिसम्बर 2001), उनका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2002)।

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, मर्यादित

4क.2.1 दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने तथा दावे दायर करने में विलम्ब के कारण हानि

चमकविहीन गेहूँ उठाए जाने के दस्तावेज/ विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के फलस्वरूप 2.01 करोड़ रुपए की हानि।

वर्षा के कारण चमकविहीन हुई गेहूँ की फसल (रबी मौसम 1995) के किसानों द्वारा आपदा विक्रय को टालने हेतु राज्य सरकार ने खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को मूल्य सहायता योजना के तहत् अनाज स्वीकार करने के अनुदेश जारी किये जाने का अनुरोध किया(मार्च 1995) और बदले में राज्य सरकार को भारतीय खाद्य निगम के समस्त आधारभूत भण्डारगृहों से ऐसी स्थिति के अनाजों को स्वीकार करना था । भारत सरकार ने निम्नांकित निबंधनों के साथ अनुरोध को स्वीकार कर लिया(अप्रैल 1995)।

(i) वर्षा-प्रभावित चमकविहीन परंतु दानों को किसी प्रकार के नुकसान रहित गेहूँ जिलों के आधार पर मूल्य में कोई कटौती किये बिना केन्द्रीय पूल के लिए 40 अथवा 30 प्रतिशत तक क्रय किया जा सकता था।

(ii) छूट प्रदत्त विशिष्टताओं के अंतर्गत इस प्रकार अधिप्राप्त स्टॉक की 'ऐड' चिन्हित स्टॉक के रूप में पहिचान की जानी चाहिए तथा यह वरीयता के आधार पर केन्द्रीय आवंटन के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से वितरण हेतु उठाया जाना चाहिए, और

(iii) छूट प्रदत्त विशिष्टताओं के अंतर्गत प्राप्त स्टॉक पृथक रखा जाना चाहिए तथा इसका पृथक लेखाकरण किया जाना चाहिए।

चमकविहीन गेंहूँ के संबंध में दावे प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण 2.01 करोड़ रुपए की हानि ।

मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, जो राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति एवं संवितरण एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया था (अप्रैल 1995), ने 1995-96 के दौरान 25961.90 मैट्रिक टन चमकविहीन गेहूँ का क्रय किया तथा संपूर्ण मात्रा का सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ पुनर्स्थापित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनाओं के अंतर्गत वितरण किया। कम्पनी ने इस क्रियाकलाप पर 12.86 करोड़ रुपए का व्यय किया जिसके विरुद्ध इसे 10.88 करोड़ रुपए प्राप्त हुए परिणामतः इसे 1.98 करोड़ रुपए की हानि हुई। कम्पनी को भण्डारण प्रभार (0.54 लाख रुपए) एवं ब्याज (2.14 लाख रुपए) सहित संगणित कुल 2.01 करोड़ रुपए की हानि हुई।

कम्पनी ने दो वर्षों से भी अधिक की अवधि के अंतराल के पश्चात भारतीय खाद्य निगम को हानि का दावा प्रस्तुत किया (अक्टूबर 1998) जिसने उस दावे को इस आधार पर निरस्त कर दिया(नवम्बर 1998) कि कथित अधिप्राप्त एवं संवितरित गेहूँ की मात्रा न तो उन्हें दी गई और न उनके द्वारा कोई भुगतान ही किया गया, क्योंकि कोई बिल ही प्रस्तुत नहीं किया गया था। कम्पनी के बाद के दावे (फरवरी 1999) भी पुनः निरस्त

कर दिए गए क्योंकि अधिप्राप्त एवं केन्द्रीय पूल को प्रदत्त चमकविहीन गेहूँ के विवरण भारतीय खाद्य निगम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए।

इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम को दावों की प्रस्तुति में दो वर्षों से अधिक के विलम्ब सहित चमकविहीन गेंहूँ के पृथक भण्डारण /संधारण की व्यवस्था करने बाबत भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने एवं भारतीय खाद्य निगम को उसका पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप इसे 2.01 करोड़ रुपए की परिहार्य हानि हुई।

मामला सरकार/ कम्पनी की ओर भेजा गया (मई 2001) उनका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2002)

4क.2.2 मोटे अनाज के निवर्तन हेतु अनुपयुक्त योजना के कारण हानि

मोटे अनाज के निवर्तन की योजना के बिना उनकी अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 1.25 करोड़ रुपए की हानि।

मोटे अनाजों (मक्का, ज्वार एवं बाजरा) का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को जारी किए जाने हेतु यथासंभव अधिकतम उपयोग किया जाए यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति हेतु कम्पनी को (भारतीय खाद्य निगम की एक उप एजेण्ट के रूप में) एक मात्र एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया। इस उद्देश्य के अनुपालन हेतु भारत सरकार ने अधिसूचित मितव्ययी लागत के आधार पर अस्थाई प्रासंगिक व्यय संस्वीकृत किए। अधिप्राप्ति लागत एवं मितव्ययी लागत के मध्य अंतर की राशि भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम्पनी को आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिपूरित की जानी थी।

भारत सरकार ने प्रतिवर्ष मितव्ययी लागत संसूचित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्दिष्ट किया कि राज्य सरकार मोटे अनाजों का भण्डारण उनका जीवनकाल कम रहने (तीन माह) के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी अधिप्रापति से तीन माह की अवधि के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उनके वितरण के प्रयास करे तथा मितव्ययी लागत में तीन माह के लिए निर्धारित दरों पर ब्याज जोड़ा जावे।

भारत सरकार ने यह भी निश्चित किया कि मोटे अनाजों के निवर्तन की जिम्मेदारी पूर्णतः एजेन्सी/ राज्य सरकार की होगी तथा भारतीय खाद्य निगम का विक्रय प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं होगा।

चूंकि कम्पनी अधिप्राप्ति के लिये एक मात्र एजेन्सी थी तथा उसके निबटान का दायित्व केवल कम्पनी का ही था अतएव उसे इन अनाजों का जीवनकाल कम होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी अधिप्राप्ति से पर्याप्त पहले उनके निबटान के लिये एक रणनीति बना लेनी चाहिये थी। तथापि ऐसी किसी रणनीति के बिना ही, कम्पनी ने

2000-01 की अवधि में मोटे अनाज की अधिप्राप्ति प्रारंभ कर दी तथा दिसम्बर 2000 और जनवरी 2001 की अवधि में 2,64,146.15 क्विंटल मोटा अनाज अधिप्राप्त किया किन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अप्रैल - जून 2001 की अवधि में केवल 9566 क्विंटल का वितरण ही किया जा सका।

मोटे अनाजों के निबटान की योजना विफल होने से 1.25 करोड़ रुपए की हानि हुई ।

तदनुसार राज्य सरकार ने अन्य साधनों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को संपूर्ण शेष मात्रा का अभ्यर्पण करने के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा (फरवरी 2001) तथा इन अनाजों के शेष स्टॉक को ग्रहण कर निबटान करने के लिये भारतीय खाद्य निगम को उपयुक्त अनुदेश जारी करने के लिये अनुरोध भी किया। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने तय किया (फरवरी 2001) कि भारतीय खाद्य निगम को निविदायें आमंत्रित करने और दरें निर्धारित करने का कार्य सौंपा जायेगा किन्तु निगम कम्पनी से स्टॉक का भौतिक वितरण प्राप्त नहीं करेगा। निबटान की प्रणाली (मोडलिटीज) को अन्तिम रूप देने के उपरांत (अप्रैल 2001) भारतीय खाद्य निगम ने कम्पनी की दरें तथा जिन पक्षकारों को मोटा अनाज आवंटित किया जाना था उनका विवरण आदि सूचित किये । कम्पनी ने जून-अगस्त 2001 की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केवल 2,30,751.26 क्विंटल मोटे अनाज का निबटान किया तथा 2,38,28.89 क्विंटल की शेष मात्रा का निबटान नहीं किया गया (फरवरी 2002)। इसके परिणामस्वरूप उन अनाजों का जीवनकाल कम होने के कारण 1.25 करोड़ रुपए (523.53 रुपए प्रति क्विंटल के मितव्ययी मूल्य से 23828.89 क्विंटल) की हानि हुई। उपभोक्ताओं को मोटे अनाजों के समुचित उपयोग एवं वितरण का लक्ष्य भी विफल हो गया।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2002) कि भारत सरकार से केन्द्रीय वितरण मूल्य प्राप्त नहीं हुआ था अतः उसे मोटा अनाज वितरण करने का मूल्य ज्ञात ही नहीं था। स्मरण पत्र भेजने के बावजूद भी, भारतीय खाद्य निगम ने स्टॉक के निबटान की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिये कोई कदम नहीं उठाये थे। इस प्रकार इन अनाजों के निबटान की व्यवस्था करने का दायित्व कम्पनी का नहीं बल्कि भारतीय खाद्य निगम का था तथा स्टॉक के निबटान में कम्पनी की कोई भूमिका नहीं थी।

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि (i)राज्य सरकार का अभ्यर्पण करने का प्रस्ताव भारत सरकार से केन्द्रीय वितरण मूल्य प्राप्त न होने के कारण नहीं था (ii) मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति की एजेन्सी होने के रूप में कम्पनी को अधिप्राप्ति करने से पूर्व अपने हितों को संरक्षित कर लेना चाहिए था तथा इन मोटे अनाजों का जीवनकाल कम रहने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनाजों के निबटान के लिये रणनीति बना लेनी चाहिए थी (iii) सरकार ने स्टॉक को अभ्यर्पण करने का प्रस्ताव केवल फरवरी 2001 में ही भेजा और (iv) भारत सरकार के पूर्व के निर्देशों में यह स्पष्ट तौर पर ही निहित था कि मोटे अनाजों का वितरण करने के लिये राज्य सरकार को अपने स्वयं के प्रयत्न करने थे और यह दायित्व पूर्णतः एजेन्सी / राज्य सरकार का ही था।

4क.2.3 सोयाबीन की अधिप्राप्ति में विलम्ब तथा कम दरों पर उसके निबटान के कारण हानि

सोयाबीन की यथासमय अधिप्राप्ति तथा त्वरित निबटान सुनिश्चित करने में हुई विफलता के परिणामस्वरूप 1.12 करोड़ रुपए की परिहार्य हानि हुई ।

कम्पनी ने 1035 रुपए प्रति क्विंटल के पूर्वनिर्धारित मूल्य पर 10,000 मैट्रिक टन सोयाबीन के प्रदाय हेतु मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड, इन्दौर के साथ एक अनुबंध किया (नवम्बर 1997)। अनुबंध के निबंधन व शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातें भी निहित थीः

– मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड द्वारा 10,000 मैट्रिक टन की मात्रा प्रति खेप 2500 मैट्रिक टन की दर से चार खेपों में उठाई जानी थी तथा यह कार्य 31 मार्च 1998 तक पूरा किया जाना था,

– मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड द्वारा उठाने में विलम्ब करने पर, कम उठाई गई मात्रा के मूल्य पर कम्पनी को 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाना था, साथ ही 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिभूति एवं एक प्रतिशत दांडिक ब्याज का भुगतान भी किया जाना था,

– कम्पनी मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड के लिये अधिप्राप्ति सोयाबीन का विक्रय कर सकती थी परन्तु तीन माह बाद भी सोयाबीन उठाया नहीं गया, अतः मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड ने इसे उठाने में त्रुटि की।

– सोयाबीन की ठेका की गई मात्रा को उठाने के लिये किये गये वचनबद्धता मान्य करने के लिये सुरक्षा धन (कॉशन मनी) के रूप में मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड द्वारा लागत के 15 प्रतिशत के बराबर नकद राशि कम्पनी में जमा की जानी थी,

– अनुबंध की वैधता छःमहीने तक अर्थात 19 मई 1998 तक थी ।

तथापि अनुबंध में तय किये गये मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर कम्पनी द्वारा सोयाबीन का विक्रय किये जाने पर यदि कोई हानी हो तो उसकी वसूली मार्बल एग्रेस लिमिटेड से करने की कोई व्यवस्था नहीं थी ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (फरवरी 2002) कि कम्पनी ने 38.81 लाख रुपए की प्रतिभूति जमा प्राप्त करने के पश्चात दिसम्बर 1997 (11054.22 क्विंटल) तथा जनवरी 1998 (15621.12 क्विंटल) 2500 मैट्रिक टन सोयाबीन की पहली खेप उठायी। कम्पनी ने मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड से आगे कोई प्रतिभूति जमा प्राप्त किये बिना ही जनवरी 1998 में उसकी दूसरी खेप उठाने की कार्यवाही की तथा 167 क्विंटल सोयाबीन क्रय किया। मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड ने कम्पनी को सूचित किया (जनवरी 1998) कि कम्पनी ने डेढ़ महीने में 10,000 मैट्रिक टन सोयाबीन उठाये जाने के लक्ष्य की तुलना में दो महीनों में केवल 2667 मैट्रिक टन ही सोयाबीन उठाया। इस धीमी अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड को बाजार में हिस्सेदारी की प्रचुर हानि हुई । मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड ने कम्पनी को यह भी सूचित किया कि उसने (मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड ने) अप्रैल-मई 1998 के स्थान पर दिसम्बर 1997 में ही अपने संयंत्र पर आगे के परिचालन स्थगित कर दिये थे अतः वह सोयाबीन उठाने की स्थिति में नहीं था। कम्पनी ने सोयाबीन के मूल्य में कमी की जानकारी होने के बावजूद, घाटे

को कम करने के लिये स्टॉक को शीघ्र बेचने के लिये त्वरित कार्यवाही नहीं की। चार महीने के विलम्ब के पश्चात् ही कम्पनी ने न उठाये गये सोयाबीन को बेचने का कार्य प्रारंभ किया (जून 1998) जो अक्टूबर 1998 तक पूरा किया जा सका। कम कीमत पर 26675 क्विंटल की मात्रा (965 रुपए प्रति क्विंटल) तथा 2.58 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के विक्रय (लागत : 3.70 करोड़ रुपए) के परिणामस्वरूप 1.12 करोड़ रुपए की हानि हुई। कम्पनी ने मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड से 1.69 करोड़ रुपए (ब्याज, दांडिक ब्याज तथा सेवा प्रभार आदि सहित) का दावा किया। चूंकि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया अतः कम्पनी ने न्यायाधिकरण में अपील की और उसके फैसले की प्रतीक्षा है (जुलाई 2002)।

सोयाबीन की अधिप्राप्ति में विलम्ब तथा कम दरों पर उसके विक्रय के परिणामस्वरूप 1.12 करोड रुपए की हानि हुई।

इस प्रकार (i) मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड द्वारा ठेका की गई मात्रा न उठाये जाने के कारण अधिप्राप्ति लागत की तुलना में कम दरों पर सोयाबीन की बिक्री होने पर हुई हानि की वसूली के लिये अनुबंध में उपयुक्त प्रावधान शामिल करने (ii) समय पर सोयाबीन अधिप्राप्त करने (iii) ठेका किये गये प्रावधानों के अनुसार मार्बल एग्रेक्स लिमिटेड को अधिप्राप्त मात्रा का प्रदाय सुनिश्चित करने (iv) खासतौर पर कीमतों में गिरावट का रुझान देखते हुये भी सोयाबीन का शीघ्रता से विक्रय करने तथा (v) अपने हितों की सुरक्षा करने के लिये नई मात्रा की अधिप्राप्ति से पूर्व पर्याप्त प्रतिभूति जमा प्राप्त करने में हुई कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 1.12 करोड़ रुपए की परिहार्य हानि हुई ।

कम्पनी ने बताया (अप्रैल 2002) कि सोयाबीन ठेकेदार की सहमति से अधिप्राप्त की गई थी तथा अधिप्राप्ति में कोई विलम्ब नहीं हुआ था। ठेकेदार द्वारा सोयाबीन की सुपुर्दगी मई 1998 से पहले ली जानी थी जो कि नहीं ली गई । यह भी बताया गया कि अनुवर्ती अनुबंधों में हानि की वसूली करने के लिये आवश्यक धारा भी शामिल की गई है।

यह उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि स्वयं ठेकेदार ने ही धीमी अधिप्राप्ति के लिये कम्पनी को दोषी बताया था। सोयाबीन की उपलब्धता के कारण जब उसकी कीमतें गिरने लगीं तो ठेकेदार सोयाबीन उठाने में विफल रहा। कीमतों में गिरावट के रुझान को ध्यान में रखते हुये, कम्पनी को सोयाबीन का विक्रय करने के लिये तुरन्त कदम उठाने चाहिये थे तथा संभावित हानियों से अपना बचाव करने के लिये प्रतिभूति जमा की पर्याप्तता भी सुनिश्चित करनी चाहिये थी। इस प्रकार समय पर सोयाबीन की अधिप्राप्ति एवं प्रदाय सुनिश्चित करने तथा हानि की वसूली के लिये अनुबंध में उस बावत आवश्यक प्रावधान शामिल करने में हुई कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 1.12 करोड़ रुपए की हानि हुई जिससे बचा जा सकता था।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया था (मई 2002); इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2002)।

4क.2.4 संग्रहण तथा बिक्रीधन को समय पर जमा करने के परिवीक्षण में हुई विफलता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय

अप्रभावकारी परिवीक्षण के कारण बैंकों द्वारा सरकारी कोषालय देयकों की आय को जमा करने में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में 0.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

कम्पनी के दो चालू खातों* के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक, टी.टी.नगर भोपाल (नकद साख खाता शक्कर) तथा भारतीय स्टेट बैंक, फूड नगर भोपाल (नकद साख खाता-अनाज) में दो नकद साख खाते भी थे ।

कम्पनी ने सरकार से दावे कोषालय देयकों के रूप में प्राप्त किये। ये कोषालय देयक सम्बद्ध विवरण के साथ कोषालय को प्रस्तुत किये जाने थे जो कि देयक की राशि पर चैक जारी करता तथा वे चैक आय के संग्रहण हेतु कम्पनी द्वारा बैंक को प्रस्तुत किये जाने थे। कम्पनी ने देयक कोषालय को प्रस्तुत करने के बजाय, अपने चालू खाते में संग्रहण हेतु बैंक को प्रस्तुत कर दिये। ये निधियां बाद भें आहरित कर ली गई थीं ।

कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये तथा जमा किये गये कोषालय देयकों तथा 1999-2001 की अवधि में बैंको द्वारा आय को क्रेडिट करने से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि बैंक ने क्रेडिट प्रदान करने के लिये 3 दिन के सामान्य समय से अधिक समय लिया जबकि ऐसा करने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। 5 दिन की रियायती अवधि की अनुमति के पश्चात लिये गये समय की अवधि एक दिन से 79 दिन के बीच थी ***(अनुलग्नक 17)*** जिससे यह संकेत मिलता है कि कम्पनी द्वारा यथासमय प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी।

प्रक्रिया पर ध्यान देने तथा आय को क्रेडिट करने का परिवीक्षण करने में विफलता के परिणामस्वरूप 0.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

कम्पनी ने (स्थानीय निकासी के संबंध में आय को क्रेडिट करने के लिये पांच दिन का समय देने के पश्चात भी) अधिक समय लिये जाने पर 0.56 करोड़ रुपए ब्याज की हानि उठायी। यदि देयकों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का अनुपालन किया गया होता और आय को क्रेडिट करने का प्रभावी परिवीक्षण किया गया होता तो कम्पनी 0.56 करोड़ रुपए के ब्याज के अतिरिक्त व्यय से बच सकती थी।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2002) कि बैंकों द्वारा आय को क्रेडिट करने में सामान्यतः सरकारी छुट्टियों सहित तीन से पाँच दिन लगते है और इस समय को कम करने के प्रयत्न किये गये थे। कोषालयों द्वारा आपत्तियां लिये जाने के समय तत्सबंधी सुधार करने के उपरांत देयक बैंक को पुनः प्रस्तुत किये गये। यह भी कि सरकार द्वारा संस्वीकृत राशियों के देयकों की प्रस्तुती/ आहरण पर प्रायः वर्ष के अंत में प्रतिबंध लगा दिये गये थे, इस प्रकार प्रक्रिया संबंधी एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण विलम्ब हुये।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पाँच दिनों की रियायती अवधि छोड़कर भी एक दिन से 79 दिनों तक के असामान्य विलम्ब से निधियों को क्रेडिट किया गया, जबकि प्रक्रियागत आवश्यकताओं से कम्पनी भली भाँति अवगत थी। यह भी देखा गया कि कुछ कॉलम न भरने तथा राशि शब्दों में और/ या अंकों में न लिखने, सरकार के संस्वीकृति आदेशों में दी गई शर्तों का पालन न करने आदि जैसी चूंकों से संबंधित

* *स्टेट बैंक इंदौर, भोपाल तथा भारतीय स्टेट बैंक विन्ध्याचल भवन, भोपाल.*

कोषालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों से बचा भी जा सकता था बशर्ते कम्पनी ने ये देयक सीधे कोषालय को स्वयं ही प्रस्तुत किये होते। तेलानीका द्वारा इंगित किये गये वर्ष के अंत में हुये समायोजनों के संबंध में भी कोई उल्लेखनीय विलम्ब नहीं हुये थे। इस प्रकार प्रक्रियाओं का अनुपालन करने तथा धन को डेबिट करने का प्राधिकार करने में कम्पनी विफल रही जिसके कारण [illegible] अतिरिक्त व्यय हुआ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया [illegible] हुआ है (सितम्बर 2002)।

4क.3 मध्यप्रदेश राज्य [illegible]

4क.3.1 अनुचित निर्णय के कारण निवेश/ ब्याज की हानि।

एक ट्रस्ट में कम्पनी की क्षमता से अधिक निवेश करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, 0.75 करोड़ रुपए के निवेश की हानि के अतिरिक्त ब्याज की भी हानि।

कम्पनी ने अंशपूंजी एवं अशों (शेयरों) के रूप में निवेश हेतु इन्फ्रास्ट्रकचर लीजिंग एण्ड फायनेशियल सर्विसेज के साथ अमेरिकन इन्टरनेशनल ग्रुप द्वारा स्थापित इण्डीयन सेकटोरल ईक्विटी फाण्डस (न्यास) में 9.50 करोड़ रुपये के निवेश का निर्णया किया। तदनुसार कम्पनी ने न्यास के साथ इस अपेक्षा के साथ अनुबंध किया (26 फरवरी 1997) कि इस निवेश से 10 वर्ष की निर्धारित अवधि में 20 से 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष का प्रतिलाभ प्राप्त होगा, उक्त अवधि कम्पनी की प्रार्थना पर अतिरिक्त तीन वर्षों के लिये बढ़ाई जा सकती थी।

कम्पनी के मेमोरण्डम एवं आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार कम्पनी को अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक किसी खास कम्पनी में निवेश करने की शक्ति प्राप्त थी, इससे अधिक कोई निवेश करने के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक था। तथापि ऐसा अनुमोदन प्राप्त किये बिना कम्पनी ने 9.50 करोड़ रुपए की बचनबद्धता के विरुद्ध न्यास को मार्च 1997 से मार्च 2000 की अवधि में 3.83 करोड़ रुपए जारी किये।

केवल जब न्यास में कम्पनी के शेयर के एक भाग के रूप में 1.17 करोड़ रुपए के लिये कम्पनी को एक और मांग न्यास से प्राप्त हुई (मार्च 2000) तब कम्पनी ने यह महसूस किया कि उसे अपने मेमोरण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन करने की आवश्यकता थी ताकि वह आगे निवेश करने के योग्य बने। चूंकि सरकार का अनुमोदन उपलब्ध नहीं था अतः न्यास में निवेश की लम्बी निर्धारित अवधि के कारण कम्पनी ने आगे अंशदान रोकने के लिये राज्य महाअधिवक्ता से वैधानिक सम्मति मांगी (मई 2000)। राज्य महाअधिवक्ता ने यह मत दिया (सितम्बर 2000) कि कम्पनी को आगे अंशदान करना रोक देना चाहिये तथा अपने निवेश की वसूली करने के लिये न्यायाधिकरण में जाना चाहिये। जब तक कम्पनी ने न्यास में आगे निवेश न करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2000) तब तक न्यास द्वारा उसे दोषी घोषित कर दिया गया था (अक्टूबर 2000), उस आधार पर (i) वह अपने हिस्से की लागत को वहन करने के

लिये उत्तरदायी रहते हुए कोई आय प्राप्त करने के लिये अपात्र हो गयी थी तथा (ii) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर उसका स्वत्वाधिकार घटकर निवेश या शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य से भी कम रह गया था।

लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ (फरवरी 2002) कि कम्पनी का 3.83 करोड़ रुपए का निवेश (मार्च 2000 तक) न्यास के शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य के आधार पर घटकर 3.08 करोड़ रुपए मूल्य का रह गया जिस कारण उसके मूल्य में 0.75 करोड़ रुपए की कमी हुई। कम्पनी लाभ का शेयर प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं थी जबकि लागत में अपने हिस्से को वहन करने के लिये उत्तरदायी बनी रही। अतएव आगे भी मूल्य में कमी होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

यह भी देखा गया कि सितम्बर 2000 में राज्य महाधिवक्ता से सम्मति प्राप्त करने के बावजूद कम्पनी ने न्यायाधिकरण के माध्यम से निवेश को वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार 3.83 करोड़ रुपए का निवेश मार्च 1997 से किसी प्रतिलाभ के बिना ही अवरुद्ध रहा।

0.75 करोड़ रुपए का निवेश में क्षरण हुआ तथा 0.58 करोड़ रुपए ब्याज की हानि हुई।

किसी उचित योजना के बिना तथा अपनी प्रदत्त शक्तियों से हटकर साथ ही निवेश की लम्बी अवरुद्धता अवधि होने पर भी न्यास में निवेश करने के अनुचित एवं अविवेक पूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप 0.58 करोड़ रुपए ब्याज (नकद साख के लिये 12 प्रतिशत की दर पर) की हानि के साथ ही 0.75 करोड़ रुपए की पूंजीगत हानि हुई ।

यह प्रकरण अप्रैल 2002 में कम्पनी/सरकार को सूचित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2002)।

4क.3.2 ब्याज की अनियमित छूट

शेयरों की वापस खरीदी पर ब्याज की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप प्रवर्तकों को 27.85 लाख रुपए का अनुचित लाभ हुआ ।

कम्पनी ने घाटाविल्लोद, जिला धार में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित कोल्ड रोल्ड कारखाना के लिए रुचि स्ट्रिप्स एण्ड एलॉयज लिमिटेड की ईक्विटी शेयर पूंजी में 50 लाख का शेयरदान करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 1989)। इक्विटी भागीदारी के निबंधन एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निहित था कि वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक से पाँच वर्षों अथवा स्वीकृति के दिनांक से सात वर्षों की अधिकतम अवधि में, जो भी पहले हो, प्रवर्तक, कम्पनी द्वारा धारित समस्त इक्विटी शेयरों को वापस क्रय करेगें। कम्पनी प्रवर्तकों को एक महीने का नोटिस देगी जो निम्नांकित में से उच्चतम दर पर शेयरों को क्रय करेगें :

(क) शेयरों का औसत बाजार मूल्य,

(ख) शेयरों के वास्तविक मूल्य में निवेश के दिनांक से 15.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से संचयी ब्याज जोड़कर उसमें से विक्रय के दिनांक तक का लाभांश कम करके,

(ग) नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरों का विखंडित (बेकअप) मूल्य,

उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, कम्पनी ने 50 लाख रुपए विमोचित किये (जून जुलाई 1990) तथा 10 रुपए प्रत्येक के पाँच लाख इक्विटी शेयरों का आवंटन प्राप्त किया। प्रवर्तकों ने मार्च 1991 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया।

प्रवर्तकों ने उपर्युक्त मद (ख) के अनुसार अर्थात वास्तविक मूल्य में 15.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जोड़कर निकाली गई दर पर दस मासिक किश्तों में समस्त पाँच लाख शेयरों को वापस क्रय करने का प्रस्ताव किया। कम्पनी ने यह प्रस्ताव, जो दस महीनों के अन्तर्गत अर्थात् दिसम्बर 1997 तक संपूर्ण विक्रय राशि का भुगतान प्राप्त करने का था, निरस्त कर दिया तथा निम्नानुसार प्रति-प्रस्ताव किया :

-- नियत दिनांक तक 15.5 प्रतिशत तथा भुगतान की गई राशि/ अवधि पर 19.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के न्यूनतम प्रतिलाभ के साथ एक लाख इक्विटी शेयरों की मासिक किश्त ,

-- भुगतान प्राप्त होने पर शेयर टुकड़ो में हस्तांतरित किये जावे ,

-- पहली किश्त का भुगतान तुरन्त किया जावे ।

प्रवर्तकों ने कम्पनी का प्रतिप्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार कम्पनी को अप्रैल-अगस्त 1997 तक की अवधि के शेयरों के वापस क्रय पर 1.12 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) प्राप्त होने थे । प्रमोटर्स ने 21.83 लाख रुपए (अप्रैल 1997) तथा 23.27 लाख रुपए (मई 1997) की पहली और दूसरी किश्तों के रूप में भुगतान किया जबकि कम्पनी ने दूसरी किश्त में 0.16 लाख रुपए कम प्राप्त होने के कारण केवल एक लाख शेयर ही हस्तांतरित किये।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि यद्यपि (प्रमोटर्स) ने जून 1997 से अगस्त 1997 तक देय शेष किश्तों का भुगतान नहीं किया था, तब भी प्रबंधन ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। जून 1999 में प्रवर्तकों ने ब्याज की राशि में 50 प्रतिशत की छूट देने जो कि 27.85 लाख रुपए थी, के लिये कम्पनी को राजी होने की शर्त पर शेष चार लाख शेयरों को वापस करने के लिये पुनरीक्षित प्रस्ताव किया। कम्पनी के प्रबंध संचालक ने संचालक मण्डल का भी अनुमोदन प्राप्त किये बिना यह अनुरोध स्वीकार कर लिया जो कि न्यायोचित नहीं था और इक्विटी भागीदारी की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन भी था।

कम्पनी ने ब्याज की अनियमित छूट के कारण 27.85 लाख रुपए की हानि उठाई ।

ब्याज की अनियमित छूट देने के परिणामस्वरूप प्रवर्तकों को 27.85 लाख रुपए का अनुचित लाभ हुआ । कम्पनी ने शेष भुगतान जुलाई 1999 (22.50 लाख रुपए) तथा अगस्त 1999 (22.07 लाख रुपए) में प्राप्त किया और तदनुसार शेयर हस्तांतरित किये।

यह प्रकरण कम्पनी/ सरकार को सूचित किया गया था (मार्च 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2002)।

4क.4 मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम मर्यादित

4क.4.1 निविदा शर्तों के आधार में परिवर्तन के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ तथा राजस्व की हानि

निविदा शर्तों के आधार में अनुचित परिवर्तन तथा उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ तथा कम्पनी को 1.01 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(क) रेत निकालने का कार्य और उसका विक्रय कम्पनी ने ठेके के आधार पर लिये थे। तदनुसार निकाले जाने वाले रेत की एक लाख घनमीटर न्यूनतम गारंटीकृत मात्रा का उल्लेख करते हुये प्रति वर्ष निविदायें आमंत्रित की गईं तथा निविदाकारों को प्रति घनमीटर की दर बताने के लिये कहा गया। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अगस्त 1999 में प्राप्त एवं स्वीकृत उच्चतम प्रस्ताव 126.96 रुपए प्रति घनमीटर का था।

अगस्त 2000 को समाप्त अनुवर्ती वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कोई वैध कारण बताये बिना 50 रुपए प्रति घनमीटर की निर्धारित दर पर रेत उठाने के लिये प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु निविदा-शर्तें पुनरीक्षित कर दीं तदनुसार अधिकतम मात्रा का प्रस्ताव करते हुये बोली लगाने वाला सफल बोलीदार होगा। अधिकतम बोली लगाने वाले मैसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स, दुर्ग को 0.56 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर सितम्बर 1999 से अगस्त 2000 तक की अवधि में 1,11,000 घनमीटर रेत उठाने का ठेका दिया गया। बोलीदार ने ठेका का कार्य समय पर पूर्ण किया।

निविदा शर्तों के आधार में परिवर्तन के कारण 0.77 करोड़ रुपए राजस्व की हानि हुई तथा ठेकेदार को तदनुरूपी अनुचित लाभ हुआ।

इस प्रकार निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया के आधार में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष के ठेके की तुलना में कम से कम 0.77 करोड़ रुपए (126.96 रुपए 50.00 रुपये प्रति घनमीटर X 1,00,000 घनमीटर) राजस्व की हानि हुई और ठेकेदार को तदनुरूपी अनुचित लाभ हुआ।

कम्पनी ने गारंटीकृत मात्रा का उल्लेख करने की पूर्वपद्धति को पुनः अपनाया (सितम्बर 2000) तथा अनुवर्ती वर्ष में निविदाकारों को प्रति घनमीटर रेत उठाने के लिये दरें बताने को कहा। इससे 181 रुपए प्रति घनमीटर की अधिकतम दर सामने आई जो सितम्बर 2000 से आगे की अवधि के लिये कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई जिससे पूर्ववर्ती अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा उठाई गई 0.77 करोड़ रुपए की हानि की पुष्टि हुई ।

कम्पनी ने बताया (मार्च 2002) कि जनता से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि रेत बहुत ऊँची दरों पर बेचा जा रहा था अतः उसके मूल्य को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से रेत 50रुपए प्रति घनमीटर की दर पर उठाने की अनुमति दी गई। परन्तु कम्पनी ने पहली पद्धति ही पुनः इसलिये अपनाईं क्योंकि इस पद्धति के बारे में भी शिकायते प्राप्त हुईं थीं। 1998-99 तथा 2000-01 में क्रमशः 126.96 रुपए तथा 181 रुपए प्रति घनमीटर की दरें ऊँची प्रतियोगिता वाली थीं अतएव 1999-2000 में 50 रुपए प्रति घनमीटर की दर युक्तिसंगत मानी गई थी।

मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिये रेत का मूल्य 50 रुपए प्रति घनमीटर निर्धारित करने का तर्क विश्वसनीय नहीं था क्योंकि कम्पनी ने सफल बोलीदार को निर्धारित उचित दर पर, बिक्री करने हेतु बाध्य नहीं किया था। इस प्रकार सामान्य उपभोक्ता को किसी भी ढंग से लाभ पहुंचाये बिना इसने उच्चतर दरों के लाभ से अपने आप को वंचित किया।

(ख) कम्पनी ने अपनी दुर्ग की खदानों (समूह-II) में भी 20,000 घनमीटर की न्यूनतम गारंटीकृत मात्रा के लिये 50 रुपए प्रति घनमीटर की निर्धारित दर पर जून 1999 से मई 2000 तक की अवधि के दौरान रेत की बिक्री के लिये निविदायें आमंत्रित की (मई 1999)। जिन छः फर्मो ने निविदाये प्रस्तुत की उनमें से फर्म " ए " ने 45 लाख रुपए के कुल ठेका मूल्य के लिये 90,000 घनमीटर की अधिकतम मात्रा उद्धृत की (31 मई 1999)।

फर्म " ए " जिसने बयाना धन (अर्नेस्ट) जमा कर दिया था तथा निविदा आमंत्रण सूचना की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रतिभूति जमा की राशि जमा करने के लिये भी जो सहमत थी, के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के बजाय कम्पनी ने 19 जुलाई 1999 को समस्त निविदाकारों के साथ वार्ता करने का निर्णय किया एवं उन्हें ठेका के मूल्य की एक तिहाई राशि के तुल्य प्रतिभूति जमा प्रेषित करने का निर्देश भी दिया जिसे प्रेषित न करने पर उन्हें वार्ता में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी थी। फर्म " एफ " (छठवी न्यूनतम) जिसने कि 42000 घनमीटर की न्यूनतम मात्रा का प्रस्ताव किया था के अतिरिक्त कोई भी निविदाकार बैठक में उपस्थित नहीं हुआ।

शेष निविदाकारों ने इस तर्क पर वार्ता में भाग लेने से इंकार कर दिया कि निविदा आमंत्रण सूचना में निर्धारित निबंधनों के अनुसार वे ठेका मिलने के पश्चात ही प्रतिभूति जमा करेंगे । यह तर्क स्वीकार नहीं किया गया तथा 21 लाख रुपए के कुल मूल्य पर अगस्त 1999 से जुलाई 2000 की अवधि में 42000 घनमीटर रेत उठाने के लिये फर्म " एफ " को ठेका दिया गया जिसे फर्म ने स्वीकार किया और निष्पादित किया तथा जिसके लिये उसने भुगतान किया।

कम्पनी द्वारा उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार न किये जाने के फलस्वरूप उसे 24 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

इस प्रकार फर्म " ए " के उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 24 लाख रुपए (50 रुपए घनमीटर की दर पर 90,000 - 42,000 घनमीटर) राजस्व की हानि हुई। निविदाओं की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिये वार्ता करने का कम्पनी का तर्क विश्वसनीय नहीं था क्योंकि उच्चतम निविदाकार ने निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार ठेके का आदेश दिये जाने के पश्चात ठेके के कुल मूल्य के लिये प्रतिभूति जमा करने के लिये आवश्यक सहमति दी थी। तथापि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार उच्चतम होने के बावजूद उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और उसके स्थान पर छठवें न्यूनतम बोलीदार के लिये पक्षपात दर्शाया गया।

कम्पनी ने बताया (जून 2002) कि कुछ निविदाकारों ने अपने प्रस्ताव या तो वापस ले लिये थे अथवा कम की गई रेत की मात्रा के साथ पुनरीक्षित कर दिये थे । यह भी कि कम की गई मात्रा के प्रस्तावों के साथ भी अपने संबंधित प्रस्तावों के एक तिहाई मूल्य के लिये डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नहीं किये गये थे तथा निविदाकारों ने वार्ता बैठक में भी भाग नहीं लिया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रेत उठाने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त मौसम में कम्पनी द्वारा निविदा पर अंतिम निर्णय करने में दो महीनों का विलम्ब किये जाने से, वह भी खासतौर से तब जब वर्षा ऋतु सामने थी, निविदाकार प्रस्तावों को कम की गई मात्रा के साथ पुनरीक्षित करने के लिये विवश हुये होंगे। यह भी कि निविदा आमंत्रण सूचना की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रस्ताव के एक तिहाई मूल्य के लिये डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्ताव स्वीकार होने के पश्चात ही मांगे जाने थे।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (मई 2002), उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2002)।

4क.5 मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित

4क.5.1 सामग्री के विलम्बित प्रदाय के परिणामस्वरूप शास्ति का परिहार्य भुगतान

सुपुर्दगी समयावधि का पालन न करने के परिणामस्वरूप 14.45 लाख रुपए शास्ति का परिहार्य भुगतान किया।

कम्पनी ने 20 दिसम्बर 1998 तक 57004 जोड़ी जूते, 13 अक्टूबर 1999 तक 58582 जोड़ी जूते तथा 3 अगस्त 2002 तक 51971 जोड़ी जूते के प्रदाय हेतु महानिदेशक पुलिस, मध्यप्रदेश के साथ एक अनुबंध किया (22 सितम्बर 1998)। अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि से अधिक विलम्ब के साथ प्रदाय करने पर अनुबंध में दो से दस प्रतिशत तक शास्ति का भी प्रावधान था। कम्पनी ने अपने दो प्रदाय केन्द्रों भोपाल (143800 जोड़ी) तथा ग्वालियर (23757 जोडी) के मध्य प्रदाय-आदेश आवंटित किये।

सुपुर्दगी की समयावधि पर ध्यान न देने के कारण 14.45 लाख रुपए की शास्ति का परिहार्य भुगतान ।

ग्वालियर के उत्पादन केन्द्र ने सुपुर्दगी की समयावधि में जूतों का प्रदाय पूर्ण कर दिया। तथापि भोपाल इकाई ने सुपुर्दगी अनुसूची के अंतर्गत 143800 में से केवल 81308 जोड़ी जूते ही प्रदाय किये, शेष 62492 जोड़ी नौ से 167 दिन के विलम्ब से प्रदाय किये। परिणामस्वरूप महानिदेशक, पुलिस ने 14.45 लाख रुपए की शास्ति आरोपित और वसूल की। सुपुर्दगी की समयावधि के के पालन में में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 14.45 लाख रुपए की परिहार्य हानि हुई।

प्रबंधन ने सूचित किया (सितम्बर 2001) कि प्रदाय में विलम्ब कठोर समयावधि के कारण हुई ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उचित कार्ययोजना के अभाव के कारण विलम्ब हुआ जिसका प्रमाण यह तथ्य है कि प्रदाय आदेशों के लिये आवश्यक कच्चा माल विलम्ब से अर्थात् सितम्बर 1998 और मार्च 1999 (20 दिसम्बर 1998 तक की सुपुर्दगी के लिये), सितम्बर 1999 और जनवरी 2000 (13 अक्टूबर 1999 तक की सुपुर्दगी के लिये) और मई 2000 और जनवरी 2001, (03 अगस्त 2000 तक की सुपुर्दगी के लिये) के बीच अधिप्राप्त किया गया। इसके अतिरक्त, कम्पनी कठोर सुपुर्दगी-समयावधि से भली-भाँति अवगत थी, अतएव सुपुर्दगी समयावधि का पालन करने में सावधानी रखी जानी चाहिये थी।

प्रकरण मार्च 2002 में सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2002)।

खण्ड - 4 ख

सांविधिक निगम

4 ख.1 मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

4ख.1.1 हाईस्पीड डीजल तेल के क्रय पर परिहार्य व्यय

विक्रय कर की रियायती दर का लाभ लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप हाईस्पीड डीजल तेल के क्रय पर 43.49 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) का झाँसी,उत्तरप्रदेश में एक आगार है। आगार प्रबंधक वाहन बेड़े का प्रचालन करने के लिये भारतीय तेल निगम, लिमिटेड, झाँसी आगार से हाईस्पीड डीजल का क्रय करता रहा था। उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम (अधिनियम) की धारा- 3 जी के अनुसार निगम को अपने वाहन बेड़े के प्रचालन हेतु हाईस्पीड डीजल के क्रय पर अधिनियम की उस धारा के अंतर्गत अपेक्षित प्रपत्र-घ प्रस्तुत करके, विक्रय कर की दर में पाँच प्रतिशत रियायत प्राप्त करने की पात्रता थी।

रियायती कर का लाभ लेने में विफलता के कारण 43.69 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (सितम्बर 2001) कि झाँसी आगार ने अगस्त 1995 से अगस्त 2001 की अवधि में 16 से 20 प्रतिशत की दर पर विक्रय कर का भुगतान करके 30,05,798 लीटर हाईस्पीड डीजल क्रय किया। विक्रय कर की रियायती दर प्राप्त करने में आगार की विफलता के परिणामस्वरूप इस अवधि में खरीदे गये हाईस्पीड डीजल पर 43.69 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

आगार प्रबंधक ने विक्रय कर की रियायती दर प्राप्त न करने का कारण उत्तरप्रदेश विक्रय कर अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी का अभाव होना बताया (सितम्बर 2001)।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2002) कि अधिनियम की धारा- 3जी के अंतर्गत केवल उत्तरप्रदेश राज्य और केन्द्र सरकार के विभाग एवं उपक्रम ही विक्रय कर की रियायती दर का लाभ लेने के पात्र थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सड़क परिवहन निगम अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा-3 के अधीन उसके स्थापित होने के कारण अधिनियम की उसी धारा के अंतर्गत निगम विक्रय कर की रियायती दर की पात्रता रखता था। इस प्रकार रियायती दर का लाभ लेने में मण्डल की विफलता के परिणामस्वरूप परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (मई 2002); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2002)

4ख.1.2 वाहन बेड़े का उचित आकलन न किये जाने के कारण राजस्व की हानि

विज्ञापन ठेके में वाहन बेड़े का उचित आकलन करने में विफलता के परिणामवरूप 21.20 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

निगम अपने प्रचालनात्मक वाहन बेड़े में प्रदर्शन हेतु विज्ञापन प्राप्त करने के लिये एकल विज्ञापन अभिकर्ता नियुक्त करके राजस्व अर्जित करता है। प्रति वाहन 10,000 रुपये के आरक्षित मूल्य पर तीन वर्षों की अवधि (दिसम्बर 1998 से नवम्बर 2001 तक) के लिये एकल विज्ञापन रियायत प्राप्तकर्ता (Concessionaire) की नियुक्ति हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थीं जिनमें विज्ञापनों के प्रदर्शन हेतु 2150 वाहनों के बेड़े के विरुद्ध 1500 वाहनों की उपलब्धता का उल्लेख इस शर्त के साथ किया गया था कि बाहरी/आंतरिक स्थितियों पर निर्भर करते हुये वाहनों की संख्या कम/ज्यादा की जा सकती है।

विज्ञापन प्रदर्शन हेतु वाहन बेड़े के अनुचित आकलन के कारण 21.20 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (मई 2001) कि निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने के समय (नवम्बर 1998) निगम के पास 1848 वाहन प्रचालन में थे और निगम के उप महाप्रबंधक (निर्माण) ने भी विज्ञापन प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना में भविष्य में उत्पन्न होने वाली किन्ही समस्याओं को टालने की दृष्टि से, 1700 वाहनों का उल्लेख करने की सलाह दी थी। इसके बावजूद निगम ने 1.59 करोड़ के मूल्य पर तीन वर्षो की अवधि के लिये 10,600 रुपये प्रति वाहन की दर से उच्चतम प्रस्तावक* को ठेका दिया (फरवरी 1999) एवं तदनुसार मई 2001 तक 1.33 करोड़ रुपये प्राप्त किये। चूंकि निगम को 1700 वाहनों के बेड़े की उपलब्धता का उल्लेख करने में कोई समस्या खड़ी होने की अपेक्षा नहीं थी, अतः इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिये था। केवल 1500 वाहनों की उपलब्धता का उल्लेख करने के परिणामस्वरूप 200 वाहनों पर (200X10,600 रुपये) 21.20 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई।

निगम ने बताया (मई 2001) कि एकल विज्ञापन अभिकर्ता से ठेका की गई संख्या की तुलना में उपलब्ध वाहनों की कम संख्या के बारे में शिकायतों को टालने के लिये केवल 1500 वाहनों पर विज्ञापनों के प्रदर्शन की अनुमति देना एक सोचा समझा निर्णय था। और यह कि किसी भी समय अभिकर्ता को 1500 से अधिक वाहनों में विज्ञापनों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि तीन वर्षों की संपूर्ण अवधि में निगम इस प्रकार का नियंत्रण कैसे कर सकता था। और यह कि अनुबंध के उपलब्ध 2 में वाहनों की संख्या बढ़ाने/घटाने का प्रावधान था। विगत तीन वर्षों की अवधि में प्रचालित वाहनों की औसत संख्या 1700 से अधिक रही थी - 1998-99 : 1758, 1999-2000 : 1810 तथा 2000-01 : 1966 अतः यदि प्रबंधन ने उक्त उपलब्ध का लाभ उठाया होता तो विज्ञापनों के प्रदर्शन हेतु कम से कम 1700 वाहन प्रस्तावित किये जा सकते थे तथा घाटा उठा रहा निगम 21.20 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर सकता था।

* *पृथ्वी ऐसोसियेट्स अहमदाबाद*

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (मई 2002); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2002)।

4ख.2 मध्यप्रदेश पावर [illegible]

4ख.2.1 उच्च दाव उपभोक्ताओं को अनुचित रियायत

देयकों में अनुचित कटौती के परिणामस्वरूप उच्चदाब उपभोक्ताओं को 8.59 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

30 सितम्बर 1999 की रात को सरकारी तौर पर गठित मण्डल के अधिकारियों ने बानमोर, जिला मुरैना के एक उच्चदाब उपभोक्ता " आई " पर छापा डाला और पाया कि वह इकाई 33 किलोवाट लाइन पर तार डालकर (Tapping) विद्युत ऊर्जा का अनधिकृत उपयोग कर रही थी। इसके अतिरिक्त इस इकाई ने इस अवैधानिक विस्तार को एक पड़ौसी इकाई " बी " तक आगे बढ़ा रखा था। एक पंचानामा बनाया गया, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया गया तथा इन दोनों इकाईयों को 1 अक्टूबर 1999 से विद्युत प्रदाय बंद कर दिया गया। वृत्त स्तरीय समिति ने " बी " और " आई " के विरूद्ध क्रमशः 8.23 करोड़ रुपये और 15.72 करोड़ रूपये का पूरक देयक तैयार किया। " बी " के मामले में देयक तीन वर्षों के लिये तथा " आई " के मामले में कनेक्शन देने की तारीख से चोरी की तारीख तक अर्थात 12 जून 1998 से 30 सितम्बर 1999 तक के लिये बिलिंग की गई।

मण्डल की प्रचलित पद्धति/परिपत्र के अनुसार बिलिंग की गयी थी। विद्युत की चोरी के लिये मण्डल/सरकार द्वारा अनुमोदित बिलिंग पद्धति के अनुसार कनैक्शन देने की तारीख से चोरी पकड़े जाने की तारीख तक की अवधि अथवा कुल तीन वर्ष की अवधि जो भी कम हो, के लिए यथाशीघ्र अनन्तिम देयक तैयार करना तथा भुगतान हेतु उपभोक्ता को भेजना अपेक्षित था।

तथापि मण्डल द्वारा 20 दिसम्बर 1999 को जारी किये गये परिपत्र के आधार पर, केन्द्र स्तरीय समिति ने उपभोक्ता की अपील पर निर्णय देते हुये पूर्वोक्त अवधि को कम करके केवल एक वर्ष कर दिया। तदनुसार स्थानीय लेखा कार्यालय (आर.ए.ओ.) मुरैना ने **" बी और " आई " को क्रमशः 3.05 करोड़ रुपये और 12.31 करोड़ की पूरक मांगें जारी कर दी। चूंकि चोरी, परिपत्र जारी होने से बहुत पहले (सितम्बर 1999 में) पकड़ी गई थी, अतः उक्त परिपत्र के प्रावधान लागू नहीं होते थे।**

उच्चदाव उपभोक्ताओं को दिये गये अनुचित लाभ के फलस्वरूप 8.59 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इस प्रकार केन्द्र स्तरीय समिति का केवल एक महीने के लिए देयक तैयार करने का निर्णय चोरी के तीन महीने पश्चात जारी किये गये परिपत्र पर आधारित था, अतः न्याय संगत नहीं था। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को 8.59 करोड़ रुपये का अनुचित

लाभ दिया गया। इसके अलावा मण्डल 15.36 करोड़ रुपये की मांग के विरूद्ध भी अभी तक (जनवरी 2002) प्राप्य धन को वसूल करने में विफल रहा था।

मण्डल ने बताया (जुलाई 2002) कि उपभोक्ताओं ने 15.36 करोड़ रुपये की उक्त मांग के विरूद्ध 50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने के कारण 14.86 करोड़ रुपये की शेष राशि को वसूल करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी थी। न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित था।

प्रकरण की सूचना सरकार को दी गई (अप्रैल 2002), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2002)।

4ख.2.2 ब्याज की कम दर पर ऋण प्राप्त करने में विफल रहने के कारण अतिरिक्त दायित्व

ऊर्जा वित्त निगम से ऋण के बजाय नकद साख सुविधा प्राप्त करके मीटर उपकरण की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 1.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक ब्याज भार वहन करना पड़ा।

अतिरिक्त उच्चदाब लाइन फीडरों पर लगाने हेतु ट्राईवेक्टर मीटरों एवं मीटर संबंधी अन्य उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिये, ऊर्जा वित्त निगम, नई दिल्ली से 49.30 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिये मण्डल ने एक योजना प्रस्तावित की (मई 2002)। 49.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के विरूद्ध ऊर्जा वित्त निगम ने 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से 39.40 करोड़ रूपये का ऋण संस्वीकृत किया (अगस्त 2002)। मण्डल ने सितम्बर 2000 में ऊर्जा वित्त निगम को ऋण की अपनी औपचारिक स्वीकृति भेज दी।

स्वीकृति की तारीख (28 अगस्त 2000) से छः महीनों की अवधि के भीतर एक एक मण्डल को सहमति पत्र सहित संपूर्ण दस्तावेज निष्पादित करने थे। मण्डल इस अवधि के भीतर औपचारिकताओं का पालन करने में विफल रहा अतः ऊर्जा वित्त निगम ने ऋण विमोचित नहीं किया।

ऊर्जा वित्त निगम से ऋण सहायता की प्रत्याशा में मण्डल ने जनवरी - मार्च 2001 के दौरान 10.74 करोड़ रुपये के 7529 उच्चदाव स्टेटिक ट्राईवेक्टर मीटरों तथा 14.54 करोड़ रुपये की 7107 करेन्ट ट्रांसफार्मर/पोटेन्सियल ट्रांसफार्मर यूनिटों की अधिप्राप्ति हेतु आदेश दे दिये थे। उन आदेशों के विरूद्ध, मण्डल ने अप्रैल से अगस्त 2001 के दौरान की जाने वाली आपूर्ति हेतु 30.67 करोड़ रुपये (उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय विक्रय कर सहित) के भुगतान पहले ही कर दिये थे। प्रदाय कर्ताओं को ये भुगतान ऊर्जा वित्त निगम से ऋण पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर के बजाय 16.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर मण्डल के नकद साख खाते के माध्यम से किये गये थे।

ऊर्जा वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने में मण्डल के विफल रहने के परिणामस्वरूप 1.84 रुपये ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ा।

इस प्रकार आवश्यक औपचारिकताऐं समय पर पूर्ण न करने के कारण ऊर्जा वित्त निगम से ब्याज की सस्ती दरों पर प्राप्य 39.40 करोड़ रूपये का ऋण मण्डल द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप 1.84 करोड़ रुपये वार्षिक ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ा।

इस प्रकरण की सूचना मण्डल/सरकार को दी गई (अप्रैल 2002), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2002)।

4ख.2.3 लाइन का समय से बहुत पहले निर्माण

सिविल निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता का पता लगाये बिना उप-केन्द्र की स्थापना हेतु लाइन के निर्माण के परिणामस्वरूप 33.83 लाख रुपये की निधियाँ अवरूद्ध रहीं एवं तत्परिणामी ब्याज की हानि हुई ।

छिंदवाड़ा संभाग के अंतर्गत बोरेगाँव में 1 X 5 एम.व्ही.ए. 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु सिविल निर्माण कार्य तथा इस प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र को 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र से जोड़ने के लिए 33 के.व्ही. लाइन डालने हेतु मण्डल ने 0.51 करोड़ रुपये का एक अनुमान स्वीकृत किया (जुलाई 1998)। बोरेगाँव के औद्योगिक क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या सुलझाने के लिये उपकेन्द्र का निर्माण आवश्यक था। यह निर्माण कार्य सितम्बर 1999 तक पूर्ण किया जाना था।

उप-पारेषण और ग्रामीण विद्युतीकरण (एस.टी.आर.ई.) निर्माण संभाग, छिंदवाड़ा ने 33 किलोवाट लाइन डालने का कार्य 33.83 लाख रुपये के व्यय से 10 फरवरी 1999 तक पूर्ण कर लिया परन्तु उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण सिविल निर्माण कार्य रुक गया।

अधीक्षण यंत्री (एस.टी.आर.ई.) छिंदवाड़ा ने पुष्टि की (नवम्बर 2001) कि उपकेन्द्र का निर्माण भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका।

उपकेन्द्र की स्थापना से बहुत पहले लाइन का निर्माण करने के परिणामस्वरूप 15.65 लाख रुपये ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ा।

इस प्रकार 33/11 किलोवाट उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त न होने के कारण मण्डल की 33.83 लाख रुपये की निधि अवरूद्ध हो गई। परिणामस्वरूप मार्च 2002 तक 15.65 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई और भूमि की उपलब्धता तथा निर्माण कार्य की पूर्ति की अनिश्चितता बनी ही रही।

मण्डल ने बताया (अगस्त 2002) कि केवल 4.50 लाख रुपये लाइन के निर्माण पर व्यय किये गये तथा शेष 46.49 लाख रुपये की राशि अन्य कार्यों को व्यपवर्तित की गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यपालन यंत्री एस.टी.आर.ई. संभाग, छिंदवाड़ा द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये 31 मार्च 2001 के प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार बोर्ड ने वस्तुतः 33.83 लाख रुपये का व्यय किया था।

प्रकरण की सूचना सरकार को दी गई (अप्रैल 2002), सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2002)।

ग्वालियर
दिनांक 06 MAR 2003

(सुरेन्द्र पाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 07 MAR 2003

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट - 1

(कंडिका 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2 एवं 1.3.2 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजटाधीन प्राप्त ऋण/अंशपूंजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2002 को बकाया ऋणों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(स्तम्भ 3(क) से 4(च) में आंकड़े लाख रुपयों में)

1.	2.	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	3 (ङ.)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ.)	4 (च)	5
क.	सरकारी कम्पनियां कार्यशील												
(क)	कृषि एवं संबद्ध												
1.	म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मर्यादित	209.50	120.00	--	--	329.50	--	--	--	197.16	--	197.16	0.60:1 (0.60:1)
	योग(क)	**209.50**	**120.00**	**--**	**--**	**329.50**	**--**	**--**	**--**	**197.16**	**--**	**197.16**	**0.60:1 (0.60:1)**
(ख)	उद्योग												
2.	म.प्र.राज्य उद्योग निगम मर्यादित	1511.67	--	--	--	1511.67	--	797.58	--	2720.65	175.15	2895.80	1.92:1 (1.50:1)
3.	म.प्र.निर्यात निगम, मर्यादित	80.25	--	--	--	80.25	--	--	--	--	--	--	--
4.	म.प्र.लघु उद्योग निगम मर्यादित	267.75	--	--	--	267.75	--	--	--	--	--	--	--
	योग(ख)	**1859.67**	**--**	**--**	**--**	**1859.67**	**--**	797.58	--	2720.65	175.15	2895.80	1.56:1 (1.22:1)
(ग)	इलेक्ट्रोनिक्स												
5.	म.प्र.राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, मर्यादित	2191.25	--	--	--	2191.25	--	--	--	--	--	--	--
6.	आप्टेल टेली कम्युनीकेशन्स मर्यादित	--	--	1500.00	897.71	2397.71	--	--	--	--	2703.19	2703.19	1.13:1 (1.32:1)
	योग (ग)	**2191.25**	**--**	**1500.00**	**897.71**	**4588.96**	**--**	**--**	**--**	**--**	2703.19	2703.19	**0.59:1 (0.69:1)**

(घ)	वस्त्र												
7.	म.प्र.राज्य वस्त्र निगम, मर्यादित	685.95	--	--	--	685.95	--	1987.06	--	7880.19	599.79	8479.98	12.36:1 (8.75:1)
	योग(घ)	685.95	--	--	--	685.95	--	1987.06	--	7880.19	599.79	8479.98	12.36:1 (8.75:1)
(ङ.)	हथ करघा एवं हस्तशिल्प												
8.	म.प्र.हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित	1.70	32.00	72.46	--	106.16	--	--	120.00	34.18	499.43	533.61	5.03:1 (4.37:1)
	योग (ङ.)	1.70	32.00	72.46	-	106.16	-	-	120.00	34.18	499.43	533.61	5.03:1 (4.37:1)
(च)	वन												
9.	म.प्र.राज्य वन विकास निगम मर्यादित		138.60	--	--	981.74	--	--	--	2950.01	2059.37	5009.38	5.10:1 (5.69:1)
	योग(च)	843.14	138.60	-	-	981.74	-	-	-	2950.01	2059.37	5009.38	5.10:1 (5.69:1)
(छ)	खनन												
10.	म.प्र.राज्य खनन निगम मर्यादित	219.59	--	--	--	219.59	--	--	--	--	--	--	--
	योग (छ)	219.59	-	-	-	219.59	-	-	-	-	-	-	-
(ज)	निर्माण												
11.	म.प्र.पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित	600.00	--	--	--	600.00	--	584.52 ऊ	828.25	--	2860.02	2860.02	4.77:1 (4.77:1)
	योग(ज)	600.00	-	-	-	600.00	-	584.52	828.25	-	2860.02	2860.02	4.77:1 (4.77:1)
(झ)	क्षेत्र विकास												
12.	म.प्र.औद्यो. केन्द्र वि. नि.(भोपाल)लिमि.	--	--	135.01	--	135.01	-	--	--	--	--	--	--
13.	म.प्र.औद्यो.केन्द्र वि.नि.(इन्दौर) लिमि.	--	--	165.00	--	165.00	--	--	--	--	--	--	--
14.	म.प्र.औद्यो.केन्द्र वि.नि.(जबलपुर)लिमि.	--	--	133.11	0.01	133.12	--	--	--	--	290.44	290.44	2.18:1 (2.18:1)
15.	म.प्र.औद्यो.केन्द्र वि.नि.(शिवा) लिमि.	--	--	80.00	--	80.00	--	--	--	71.29	100.00	171.29	2.14:1 (2.14:1)
16.	म.प्र.औद्यो.केन्द्र वि.नि.(ग्वालियर) लिम.	--	--	75.00	--	75.00	--	--	--	--	--	--	-- (0.86:1)
	योग (झ)	-	-	588.12	0.01	588.13	-	-	-	71.29	390.44	461.73	0.79:1 (0.62:1)

(ञ)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास												
17.	म.प्र.पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	443.17	--	--	--	443.17	--	--	428.16	57.80	2611.78	2669.58	6.02:1 (5.06:1)
18.	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	877.00	700.00	--	--	1577.00	--	--	--	--	2832.32	2832.32	1.80:1 (1.93:1)
	योग (ञ)	**1320.17**	**700.00**	--	--	**2020.17**	--	--	**428.16**	**57.80**	**5444.10**	**5501.90**	**2.72:1 (2.62:1)**
(ट)	सार्वजनिक वितरण												
19.	म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	1200.00	--	--	--	1200.00	--	--	--	16.00	--	16.00	0.01:1 (0.31:1)
	योग (ट)	**1200.00**	--	--	--	**1200.00**	--	--	--	**16.00**	--	**16.00**	**0.01:1 (0.31:1)**
(ठ)	पर्यटन												
20.	म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम मर्या.	2497.29	--	--	--	2497.29	150.00	--	--	--	--	--	--
	योग (ठ)	**2497.29**	--	--	--	**2497.29**	**150.00**	--	--	--	--	--	--
(ड)	वित्त प्रबंध												
21.	दी प्रोवीडेन्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी मर्यादित	49.25	--	--	0.40	49.65	--	--	--	--	--	--	--
22.	म.प्र.राज्य औद्यो. विकास निगम लि. मर्यादित	8109.18	--	--	--	8109.18	--	--	3924.62	1364.28	46008.91	47373.19	5.84:1 (5.36:1)
	योग (ड)	**8158.43**	--	--	**0.40**	**8158.83**	--	--	**3924.62**	**1364.28**	**46008.91**	**47373.19**	**5.84:1 (5.32:1)**
(ढ)	विविध												
23.	म.प्र.ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	68.92	--	--	--	68.92	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ढ)	**68.92**	--	--	--	**68.92**	--	--	--	--	--	--	--
	योग - क	**19855.61**	**990.60**	**2160.58**	**898.12**	**23904.91**	**150.00**	**3369.16**	**5301.03**	**15291.56**	**80740.40**	**76031.96**	**3.18:1 (2.99:1)**
ख	सांविधिक निगम												
1.	म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल	23115.00	--	--	--	23115.00	--	19167.24	9620.29	212258.73	434743.73	647002.46	27.99:1 (29.04:1)
2.	म.प्र.राज्य सड़क परिवहन निगम	14140.34	4096.38	--	--	18236.72	--	--	--	2250.00	2097.77	4347.77	0.24:1 (0.24:1)
3.	म.प्र.वित्त निगम	6253.91	--	--	2554.45	8808.36	--	--	10313.38	173.44	44675.64	44849.08	5.09:1 (4.25:1)
4.	म.प्र.राज्य भण्डार गृह निगम	480.00	--	--	480.00	960.00	--	140.55	--	140.62	--	140.62	0.15:1 (2.16:1)
	योग - ख		**4096.38**	--	**3034.45**	**51120.08**	--	**19307.79**	**19933.47**	**214822.79**	**481517.14**	**696339.93**	**13.62:1 (13.99:1)**
	योग क +ख	**63844.66**	**5086.98**	**2160.58**	**3932.57**	**75024.99**	**150.00**	**22676.95**	**25234.50**	**230114.35**	**542257.54**	**772371.89**	**10.29:1 (10.42:1)**

1	2	3 (a)	3 (b)	3 (c)	3 (d)	3 (e)	4 (a)	4 (b)	4 (c)	4 (d)	4 (e)	4 (f)	4 (g)	4 (h)
ग - अकार्यशील कम्पनियां														
(क)	कृषि एवं सम्बद्ध													
1.	म.प्र.उदवहन सिंचाई/ निगम मर्या.	592.29	--	--	--	592.29	--	--	--	--	--	--	--	
2.	म.प्र.राज्य डेयरी विकास निगम,मर्या.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	योग (क)	592.29	--	--	--	592.29	--	--	--	--	--	--	--	
(ख)	उद्योग													
3.	म.प्र.चर्म विकास निगम मर्यादित	154.29	--	--	--	154.29	--	--	--	--	--	--	--	-- (0.03:1)
4.	म.प्र.फिल्म विकास निगम मर्यादित	103.84	--	--	--	103.84	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ख)	258.13	--	--	--	258.13	--	--	--	--	--	--	--	-- (0.02.:1)
(ग)	निर्माण													
5.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित	500.00	--	--	--	500.00	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ग)	500.00	--	--	--	500.00	--	--	--	--	--	--	--	--
(घ)	वित्त प्रबन्ध													
6.	म.प्र.पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम मर्यादित	27.25	--	--	15.67	42.92	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (घ)	27.25	--	--	15.67	42.92	--	--	--	--	--	--	--	--
	महायोग - ग	1377.67	--	--	15.67	1393.34	--	--	--	--	--	--	--	-- --
	महायोग (क +ख +ग)	65222.53	5086.98	2160.58	3948.24	76418.33	150.00	22676.95	25234.50	230114.35	542257.64	772371.89	10.11:1 (10.23:1)	

टिप्पणी : उन कम्पनियों, जिन्होनें वर्ष 2001-02 के अपने लेखाओं को अन्तिम रूप दिया है (क्रम संख्या क-5, 6, ग-2 एवं 4) को छोड़कर आंकड़े अनन्तिम हैं और कम्पनियों/ निगमों द्वारा प्रस्तुत किए अनुसार हैं। यह भी कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने वर्ष 2001-02 से संबंधित कोई आंकड़े प्रेषित नहीं किए हैं, अतः गत वर्ष (2000-01) के आंकड़े ही अंगीकृत किए गए हैं ।

*** 2001-02 के अंत तक बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋणों को प्रदर्शित करते हैं ।*

@ इन राशियों में बंध पत्र ऋण पत्र, अंतर्कारपोरेट जमाएं आदि सम्मिलित हैं ।

$ वर्ष के अंत में निर्माणाधीन कार्य के विरुद्ध समायोजन किया गया है ।

परिशिष्ट 2

(कंडिका क्रमांक 1.2.3,1.2.4,1.2.4.1.1,1.2.5,1.3.4 एवं 1.3.5 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों जिन्होने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया हैं के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश

(स्तम्भ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपयों में)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
क -	**सरकारी कम्पनियां**														
	कार्यशील														
(क)	**कृषि एवं संबद्ध**														
1.	म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	कृषि	21-03-1969	1999-2000	2001-2002	(अ)31.30	--	329.50	(-)33.93	994.48	(अ)54.68	5.50	02	20001.62	804
	योग (क)					**(अ)31.30**	--	**329.50**	**(-)33.93**	**994.48**	**(अ)54.68**	**5.50**	**02**	**20001.62**	**804**
(ख)	**उद्योग**														
2.	म.प्र.राज्य उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	11-04-1961	1998-1999	2001-2002	(-)1397.34	--	1511.67	(-)3193.26	1285.83	(-)1135.47	--	03	1800.41	ए
3.	म.प्र.निर्यात निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	14-02-1977	2000-2001	2001-2002	(-)3.15	--	80.25	(अ)499.75	580.00	(-)20.86	--	01	4111.52	83
4.	म.प्र.लघु उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	28-12-1961	2000-2001	2002-2003	(अ)25.93	--	267.75	(अ)558.82	734.42	(अ)28.18	3.84	01	2874.34	473
	योग (ख)					**(-)1374.56**		**1859.67**	**(-)2134.69**	**2600.25**	**(-)1128.15**	--	**05**	**8786.27**	**536**
(ग)	**इलेक्ट्रोनिक्स**														
5.	म.प्र.राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	18-11-1983	2001-2002	2002-2003	(-)80.81	-	2191.25	(अ)616.81	1847.55	(-)80.81	--	--	315.27	71
6.	आप्टेल टेलीकम्युनीकेशन्स लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	23-12-1988	2001-2002	2002-2003	(-)1118.63	-	2397.71	(-)4455.99	4954.70	(अ)43.71	0.9	--	253.63	458
	योग ()					**(-)1199.44**	-	**4588.96**	**(-)3839.18**	**6802.25**	**(-)37.10**	-	-	**568.90**	**529**

(घ)	**वस्त्र**														
7.	म.प्र.राज्य वस्त्र निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	27-11-1970	1999-2000	2002-2003	(-)968.08	-	685.95	(-)4017.77	5323.07	(-)567.46	--	02	2050.71	1562
	योग (घ)					**(-)968.08**	-	**685.95**	**(-)4017.77**	**5323.07**	**(-)567.46**	-	**02**	**2050.71**	**1562**
(ङ.)	**हथकरघा एवं हस्तशिल्प**														
8.	म.प्र.हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित	ग्राम उद्योग	18-11-1981	1997-1998	2001-2002	(-)27.19	(-)12.87	89.16	(-)144.57	1799.33	(-)27.19	--	04	702.14	345
	योग (ङ.)					**(-)27.19**	**(-)12.87**	**89.16**	**(-)144.57**	**1799.33**	**(-)27.19**	-	**04**	**702.14**	**345**
(च)	**वन**														
9.	म.प्र.राज्य वन विकास निगम मर्यादित	वन	24-07-1975	2000-2001	2001-2002	(अ)237.79	--	1636.24	(अ)458.00	11744.16	(अ)239.94	2.04	01	2708.72	280
	योग (च)					**(अ)237.79**	-	**1636.24**	**(अ)458.00**	**11744.16**	**(अ)239.94**	**2.04**	**01**	**2708.72**	**1929**
(छ)	**खनन**														
10.	म.प्र.राज्य खनन निगम मर्यादित	खनिज संसाधन	19-01-1962	1999-2000	2002-2003	(अ)70.55	--	219.59	(-)196.56	23.00	(अ)343.85	1495	02	3184.61	802
	योग (छ)					**(अ)70.55**	-	**219.59**	**(-)196.56**	**23.00**	**(अ)343.85**	**1495**	**02**	**3184.61**	**802**
(ज)	**निर्माण**														
11.	म.प्र.पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित	गृह (पुलिस)	31-03-1981	2000-2001	2002-2003	(-)79.11	--	600.00	(-)403.84	2702.11	(-)79.11	--	01	90.62	223
	योग (ज)					**(-)79.11**	-	**600.00**	**(-)403.84**	**2702.11**	**(-)79.11**	-	**01**	**90.62**	**223**
(झ)	**क्षेत्र विकास**														
12.	म.प्र.औद्यो.केन्द्र वि.नि.(भोपाल) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-10-1987	2000-2001	2001-2002	(अ)63.29	-	135.01	(अ)159.84	294.85	(अ)68.52	23.24	01	346.79	280
13.	म.प्र.औद्यो.केन्द्र वि.नि.(इन्दौर) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	1999-2000	2001-2002	(अ)51.11	-	165.00	(अ)276.59	431.05	(अ)51.28	11.90	02	111.81	359

14	म.प्र.औद्यो.केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	2000-2001	2001-2002	(अ)222.80	(अ) 4.95	133.12	(अ)297.07	1263.46	(अ)224.67	17.78	01	225.82	73
15	म.प्र.औद्यो.केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	1999-2000	2001-2002	(-)17.44	-	80.00	(-)462.12	7.96	(-)5.44	-	02	21.00	100
16	म.प्र.औद्यो.केन्द्र विकास निगम (ग्वालियर) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	28-05-1985	2000-2001	2001-2002	(अ)41.20	-	75.00	(अ)108.56	183.56	(अ)43.37	23.63	01	0.22	171
	योग (झ)					**(अ)360.96**	-	**588.13**	**(अ)379.94**	**2180.88**	**(अ)382.40**	**17.53**	**07**	**705.64**	**983**
(ञ)	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास**														
17	म.प्र.पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	29-09-1994	1996-97	2001-2002	(-)1.55	-	96.60	(-)14.47	1002.85	(अ)17.19	1.71	05	32.06	23
18	म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	अनुसूचित जन जाति कल्याण	29-09-1994	1998-99	2002-2003	(अ)90.34	–	1100.00	(अ)174.99	5302.15	(अ)166.92	3.15	03	255.56	136
	योग (ञ)					**(-)88.79**	–	**1196.60**	**(अ)160.52**	**6305.00**	**(अ)184.11**	**2.92**	**08**	**287.62**	**159**
(ट)	**सार्वजनिक वितरण**														
19	म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	03-04-1974	2000-2001	2002-2003	(अ)177.87	-	1200.00	(अ)925.18	22956.66	(अ)2895.41	12.61	01	98130.95	1551
	योग (ट)					**(अ)177.87**	-	**1200.00**	**(अ)925.18**	**22956.66**	**(अ)2895.41**	**12.61**	**01**	**98130.95**	**1551**
(ठ)	**पर्यटन**														
20	म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	पर्यटन	24-05-1978	1999-2000	2002-2003	(-)157.72	(-) 14.12	2324.09	(-)1102.72	2665.43	(-)133.82		02	1062.00	840
	योग (ठ)					**(-)157.72**	-	**2324.09**	**(-)1102.72**	**2665.43**	**(-)133.82**		**02**	**1062.00**	**840**
(ड)	**वित्त प्रबंध**														
21	द प्रोवीडेन्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	वित्त	04-12-1926	1998-99	2000-2001	(अ)30.57	-	49.66	(अ)50.51	89.53	(अ)30.64	34.22	03	99.39	23
22	म.प्र.राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	13-09-1965	1998-99	2000-2001	(अ)35.78	-	8109.18	-	28429.05	(अ)2306.95	8.11	03	3142.27	115
	योग (ड)					**(अ)66.35**	-	**8158.84**	**(अ)50.51**	**28518.58**	**(अ)2337.59**	**8.20**	**06**	**3241.66**	**138**

(द)	विविध														
23	म.प्र.ऊर्जा विकास निगम मर्या.	उर्जा विभाग	25-08-1982	2000-2001	2001-2002	(-)342.43	-	68.92	(-)342.43	200.75	(-)342.43	-	01	365.99	280
	योग (द)					**(-)342.43**	-	**68.92**	**(-)342.43**	**200.75**	**(-)342.43**	-	**01**	**365.99**	**280**
	योग - क					**(-)3114.92**	-	**23545.65**	**(-)10241.54**	**94815.95**	**4122.72**	**4.35**			
ख	**सांविधिक निगम**														
1.	म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल	ऊर्जा	01-04-1957	2000-2001	2002-2003	(-)147380.58	-	23115.00	(-)161521.53	516348.88	(-)52049.01	-	01	531860.34	96704
2.	म.प्र.राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	21-06-1962	2000-2001	2001-2002	(-)6489.82	-	18236.73	(-)63933.83	13400.61	(-)5024.53	-	01	27779..56	19260
3.	म.प्र.वित्त निगम	वित्त	30-06-1955	2000-2001	2001-2002	(अ)202.49	-	8808.36	(-)13403.18	47113.78	(अ)3462.86	7.35	01	4569.53	327
4.	म.प्र.राज्य भण्डार गृह निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण	19-02-1958	2000-2001	2002-2003	(अ)1486.44	-	960.00	Negligible	9309.95	(अ)1816.31	19.51	01	4809.93	1862
	योग - ख					**(-)152181.47**	-	**51120.09**	**(-)238858.54**	**586173.22**	**(-)51794.37**	-	**04**	**569019.36**	**18153**
	महायोग (क + ख)					**(-)155296.39**	-	**74665.74**	**(-)249100.08**	**690155.06**	**(-)47671.65**	-	-		
ग	**अकार्यशील कम्पनियां**														
(क)	**कृषि**														
1.	म.प्र.उद्वहन सिंचाई निगम मर्या.	जल संसाधन	13-07-1976	1989-90	2001-2002	(-)7.36	-	592.29	(-)615.57	(-)17.87	(-)7.36	-	12	-	-
2	म.प्र.राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित	कृषि	22-03-1975	2001-2002	2002-2003	**चूंकि 1.04.1983 से सभी परिसम्पत्तियों एवं दायित्व को म.प्र.दुग्ध सहकारी संघ द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई हैं, अतः लाभ-हानि लेखा तैयार नहीं किया गया ।**									
	योग (क)					**(-)7.36**	-	**592.29**	**(-)615.57**	**(-)17.87**	**(-)7.36**	-	-		
(ख)	**उद्योग**														
3.	म.प्र.चर्म विकास निगम मर्यादित	ग्रामोद्योग विभाग	25-11-1981	1994-95	2002-2003	(-)18.21	-	71.79	(अ)13.79	(अ)162.95	(-)17.90	-	07	64.77	34
4.	म.प्र.फिल्म विकास निगम मर्या.	संस्कृति विभाग	16-12-1981	2001-2002	2002-2003	**चूंकि दिसम्बर 1998 से कम्पनी स्वैच्छिक रूप से बंद हो गई है, अतः लाभ-हानि खाते तैयार नहीं किए गए ।**									
	योग (ख)					**(-)18.21**	-	**71.79**	**(अ)13.79**	**(अ) 162.95**	**(-)17.90**	-	-		

(ग)	निर्माण														
5.	म.प्र.राज्य सेतु निर्माण निगम, मर्यादित	लोक निर्माण विभाग	04-10-1978	1989-90	1993-94	(-)112.99	-	500.00	(-)215.04	(अ) 286.90	(-)112.99	-	12		
	योग (ग)					(-)112.99	-	500.00	(-)215.04	(अ) 286.90	(-)112.99	-	12		
(घ)	वित्त प्रबंध														
6.	म.प्र.पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम मर्यादित	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	30-03-1981	1998-99	2002-2003	(अ)3.90	-	42.92	(अ)28.75	(अ) 72.65	(अ)3.90	5.37	03		
	योग (घ)					(अ) 3.90	-	42.92	(अ) 28.75	(अ)72.65	(अ)3.90	5.37	03		
	योग - ग					(-)134.66	-	1207.00	(-)788.07	(अ)504.63	(-)134.35	–	–		
	महायोग (क + ख +ग)					(-)155431.05	–	75872.74	(-)249888.15	690659.69	(-)47806.00	–	–		

(क) नियोजित पूंजी निवल स्थाई परिसम्पत्तियों (प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्यो सहित) एवं कार्यचालन पूंजी, उन वित्त पोषी कम्पनियों/ निगमों को छोड़कर जहां नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, स्वतंत्र आरक्षित निधियों, बंध पत्रों, जमाओं एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारंभिक शेष एवं अन्तिम शेष के योग के औसत रूप में परिगणित की जाती है, प्रदर्शित करती है ।

(ख) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु उधार ली गई निधियों पर ब्याज निवल लाभ में जोड़ा गया है। हानि से घटाया गया है जैसा कि लाभ / हानि लेखे में दर्शाया गया है ।

परिशिष्ट - 3

(कंडिका 1.2.2 एवं 1.3.2 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता प्राप्त गारंटियां, दायित्वों का छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन तथा मार्च 2002 के अंत तक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(स्तम्भ 3(क) से 7 में आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता एवं				वर्ष के दौरान भारत सरकार के अंत में बकाया गारंटियां					वर्ष के दौरान छोड़े गए ऋणों के ब्यौरे					
						बैंक से नकद साख	ऋणपत्र धारकों से ऋण	वाणिज्यिक संबंध से बकाया ऋण	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	योग						
1.	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	6	7	
क	**कार्यशील सरकारी कम्पनियां**															
(क)	**कृषि एवं सम्बद्ध**															
1.	म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	356.62 (1.50)	239.67 (-)	- -	596.29 (1.50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (क)	**356.62 (1.50)**	**239.67 (-)**	- -	**596.29 (1.50)**	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	**उद्योग**															
2.	म.प्र.लघु उद्योग निगम मर्यादित	- (15.80)	- -		- (15.80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (ख)	- **(15.80)**	-	-	- (15.80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	**वस्त्र**															
3.	म.प्र. राज्य वस्त्र निगम, मर्यादित					-- (330.53)				-- (330.53)						
	योग (ग)					-- **(330.53)**				-- **(330.53)**						

(घ)	**हथकरघा एवं हस्तशिल्प**															
4.	म.प्र.हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित	(116.98)	(530.92)	-	(647.90)	-	(451.00)	-	-	(451.00)	-	-	-	-	-	-
	योग (घ)	**(116.98)**	**(530.92)**	-	**(647.90)**	-	**(451.00)**	-	-	**(451.00)**	-	-	-	-	-	-
(ङ.)	वन															
5.	म.प्र.राज्य वन विकास निगम मर्या.	(54.16)	(-)	-	(54.16)	-	(1290.80)	-	-	(1290.80)	-	-	-	-	-	-
	योग (ङ.)	**(54.16)**	(-)	-	**(54.16)**	-	**(1290.80)**	-	-	**(1290.80)**	-	-	-	-	-	-
(घ)	**निर्माण**															
6.	म.प्र.पुलिस गृह निर्माण निगम मर्या.	-	3031.24	-	3031.24	-	(2860.02)	-	-	(2860.02)	-	-	-	-	-	-
	योग (घ)	-	**3031.24**	-	**3031.24**	-	**(2860.02)**	-	-	**(2860.02)**	-	-	-	-	-	-
(छ)	**क्षेत्र विकास**															
7.	म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	-	-	-	-	-	(290.44)	-	-	(290.44)	-	-	-	-	-	-
8.	म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	-	-	-	-	-	(100.00)	-	-	(100.00)	-	-	-	-	-	-
9.	म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (ग्वालियर) लिमिटेड	44.11	--	-	44.11	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	योग (छ)	**44.11**	--	-	**44.11**	-	**(390.44)**	-	-	**(390.44)**	-	-	-	-	-	-

1	2																
(ज)	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास**																
10.	म.प्र.पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	- -	- -	- -	- -	- -	1100.00 (2611.78)	- -	- -	1100.00 (2611.78)	-	-	-	-	-	-	-
11.	म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम	- -	- (126.00)	- -	- (126.00)	- -	- (2832.32)	- -	- -	- (2832.32)	-	-	-	-	-	-	-
	योग(ज)	- -	- **(126.00)**	- -	- **(126.00)**	- -	**1100.00** **(5444.10)**	- -	-	**1100.00** **(5444.10)**	-	-	-	-	-	-	-
(झ)	**सार्वजनिक वितरण**																
11	म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	10000.00 -	**2286.70** -	- -	12286.70 (-)	2500 (1580)	-	-	-	2500 (1580)	-	-	-	-	--		
	योग (झ)	**10000.00** -	**2286.70** -	- -	**12286.70** **(-)**	**2500** **(1580)**	-	-	-	**2500** **(1580)**	-	-	-	-	-	-	
(ञ)	**पर्यटन**	-															
12	म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	- (121.04)	-- (779.59)	- -	-- (900.63)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	
	योग (ञ)	- **(121.04)**	-- **(779.59)**	- -	-- **(900.63)**	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	
(ट)	**वित्त प्रबंध**																
13.	म.प्र.राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	--	0.08	--	0.08	-- (1642.50)	--	--	--	-- (1642.50)							
	योग (ट)	--	**0.08**	--	**0.08**	-- **(1642.50)**	--	--	--	-- **(1642.50)**							

1	2															
(ठ)	विविध															
16	म.प्र.ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	13.76 -	586.62 -	- -	600.38 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (ठ)	**13.76** -	**586.62** -	- -	**600.38** -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (क)	**10414.49** **(309.48)**	**6144.31** **(1436.51)**	– –	**16558.80** **(1745.99)**	**2500.00** **(3753.03)**	**1100.00** **(10436.36)**	–	–	**3600.00** **(14189.39)**						
ख	**कार्यशील सांविधिक निगम**															
1.	म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल #	- -	29999.83 (30.94)	- -	29999.83 (30.94)	- -	166781 (329087)	- -	- -	166781 (329087)						
2.	म.प्र.राज्य सड़क परिवहन निगम	-	10024.00	-	10024.00	(1292.77)	(805.00)	-	-	(2097.77)						
3.	म.प्र.वित्त निगम	-	71.23 (-)	-	71.23 (-)	(42038.26)	-	-	-	(42038.26)						
4	म.प्र.राज्य भण्डार गृह निगम	--	-- (140.55)		-- (140.55)											
	योग (ख)	-	**40095.06** **(171.49)**	-	**40095.06** **(171.49)**	**(43331.03)**	**166781** **(329892)**	-	-	**166781** **(373223.03)**						
	योग (क +ख)	**10414.49** **(309.48)**	**46239.37** **(1608.00)**	--	**56653.86** **(1917.48)**	**2500.00** **(47084.06)**	**167881** **(340328.36)**	–	–	**170381.00** **(387412.42)**						
ग	**अकार्यशील सरकारी कम्पनियां**															
(क)	**उद्योग**															
1.	म.प्र.चर्म विकास निगम	- -	- (10.00)	- -	- (10.00)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	योग (क)	-	- (10.00)	- -	- **(10.00)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग - ग	–	- (10.00)	–	- **(10.00)**											
	महायोग (क +ख +ग)	**10414.49** **(309.48)**	**46239.37** **(1618.00)**	–	**56653.86** **(1918.48)**	**2500.00** **(47084.06)**	**167881** **(340328.36)**	–	–	**170381.00** **(387412.42)**	–	–	–	–	–	–

* *कॉलम 3(क) से 3(घ) तक कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अनुदान तथा कॉलम 4(क) से 4(ड.) तक के कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां दर्शाते है।*

\# *मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की जानकारी वर्ष 2000-01 की है।*

परिशिष्ट 4

(कंडिका 1.2.4 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

	1998-99	1999-2000	2000-01
क - देयताएं			
अंशपूंजी	710.00	231.15	231.15
सरकार से ऋण	1833.39	1930.91	2122.59
अन्य दीर्घकालीन ऋण (बंध पत्रों सहित)	4801.82	5309.14	4948.23
आरक्षित निधियां एवं आधिक्य	1352.14	3.92	--
चालू देयताएं तथा प्रावधान	4703.51	6914.46	9146.34
योग - क	**13400.86**	**14389.58**	**16448.31**
ख - परिसम्पत्तियां			
सकल स्थाई परिसंपत्तियां	7765.18	9119.28	10093.09
घटाऐं : मूल्य ह्रास	3562.09	4119.16	4642.56
निवल स्थाई परिसम्पत्तियां	4203.09	5000.12	5450.53
पूंजीगत प्रगत्याधीन निर्माण कार्य	3181.64	2682.40	2130.90
अस्थगित मूल्य	1 19	1.41	1.48
चालू परिसम्पत्तियां	5655.04	6310.78	6728.40
निवेश	355.18	392.51	688.83
विविध व्यय	4.72	2.36	1448.17
योग - ख	**13400.86**	**14389.58**	**16448.31**
(ग) नियोजित पूंजी**	**8336.26**	**7078.84**	**5163.49**

	1998-99	1999-2000	2000-01
क - देयताएं			
पूंजी(पूंजीगत ऋण तथा अंशपूंजी सहित)	182.37	182.37	182.37
उधारियाँ (सरकारी)	23.00	22.50	22.50
(अन्य)	20.66	20.66	20.66
निधियां$	536.77	542.40	547.94
व्यापारिक दायित्व तथा अन्य चालू देयताएं (प्रावधान सहित)	445.52	514.07	595.14
योग - क	**1208.32**	**1282.00**	**1368.61**
ख - परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लॉक	605.84	608.52	625.02
घटाएं : मूल्य ह्रास	66.98	67.72	70.86
निवल स्थाई परिसम्पत्तियां	538.86	540.80	554.16
पूंजीगत प्रगत्याधीन निर्माण कार्य (चेसिम की लागत मूल्य सहित)	4.72	14.33	4.52
निवेश	0.12	0.12	0.12
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	153.69	152.31	170.48
संचित हानि	510.93	574.44	639.33
योग - ख	**1208.32**	**1282.00**	**1368.61**
ग - नियोजित पूंजी#	**251.75**	**193.37**	**134.02**

** *नियोजित पूंजी निवल स्थाई परिसंपत्तियां एवं (पूंजीगत प्रगत्याधीन कार्यों सहित) कार्यचालन पूंजी को प्रदर्शित करती है । कार्यचालन पूंजी की गणना करते समय अस्थगित मूल्य तथा निवेश को चालू परिसम्पत्तियों से अलग रखा गया है ।*

$ *मूल्य ह्रास निधियों को छोड़कर*

	1999-2000	2000-01	2001-02
क - देयताएं			
प्रदत्त पूंजी	88.08	88.08	88.08
शेयर आवेदन राशि	-	-	-
आरक्षित निधियां तथा अन्य आरक्षित निधियां तथा आधिक्य	10.49	10.33	10.19
उधारिया :			
(i) बंध पत्र एवं ऋण पत्र	241.13	256.38	283.02
(ii) सावधिक जमा	-	-	-
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	121.05	114.30	162.00
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	5.50	-	-
(v) शेयर पूंजी के लिए ऋण :			
(क) राज्य सरकार	1.73	1.73	1.73
(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1.74	1.74	1.74
(vi) अन्य (राज्य सरकार सहित)	-	-	-
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	80.38	2.77	3.72
योग - क	**550.10**	**475.33**	**550.48**
ख - परिसम्पत्तियां			
नकद तथा बैंक शेष	26.10	11.86	34.24
निवेश	3.50	3.45	3.28
ऋण तथा अग्रिम	369.22	309.17	287.21
निवल स्थाई परिसम्पत्तियां	10.08	10.49	10.23
अन्य परिसम्पत्तियां	5.14	6.33	4.92
विविध व्यय	136.06	134.03	210.60
योग - ख	**550.10**	**475.33**	**550.48**
ग - नियोजित पूंजी*	**469.56**	**471.14**	**546.76**

4 : मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम

	1998-99	1999-2000	2000-01
क. देयताएं			
प्रदत्त पूंजी	8.80	8.00	9.60
पूंजी के विरुद्ध अग्रिम	-	0.80	-
आरक्षित निधियां तथा आधिक्य	**46.86**	**50.38**	**62.78**
उधारियां			
सरकार	0.86	0.75	0.46
अन्य	28.01	32.89	20.26
व्यापारिक दायित्व तथा चालू देयताएं (प्रावधानों सहित)	13.92	11.91	13.83
योग - क	**98.45**	**104.73**	**106.93**
ख - परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लॉक	100.88	107.84	120.35
घटाएं : मूल्य ह्रास	25.90	29.05	33.71
निवल स्थाई परिसम्पत्तियां	74.98	78.79	86.64
पूंजीगत प्रगत्याधीन निर्माण कार्य	3.38	8.38	2.61
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	20.09	17.56	17.68
योग - ख	**98.45**	**104.73**	**106.93**
नियोजित पूंजी	**84.53**	**92.82**	**93.10**

\# *नियोजित पूंजी निवल परिसम्पत्तियां (पूंजीगत प्रगत्याधीन कार्यों सहित) एवं कार्यचालन पूंजी को प्रदर्शित करती है ।*

* *नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी के स्थान पर ऋण, बीज धन, ऋण पत्र, आरक्षित निधि (उनके अतिरिक्त जिनके लिए विशेष रूप से निधियों की व्यवस्था की जाती है और जिनमें वाह्य निवेश से सहयोग प्राप्त होता है), बंध पत्र, निक्षेप तथा उधारियों (पुनर्वित्त पोषण सहित) के आरम्भिक तथा अन्त शेष के कुलयोग का माध्य प्रदर्शित करती है ।*

परिशिष्ट 5

(कंडिका 1.2.4 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

क	कार्यशील सांविधिक निगम			
1	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल			
	विवरण	**1998-99**	**1999-2000**	**2000-01**
1	(क) राजस्व प्राप्तियां	4821.66	5450.72	**5713.56**
	(ख) सरकार से आर्थिक सहायता/ परिदान	1723.65	313.11	279.46
	योग	**6545.31**	**5763.83**	5993.02
2	राजस्व व्यय (पूंजी में परिणत निवल व्यय) अमूर्त परिसम्पत्तियों के अपलेखन सहित परन्तु मूल्य ह्रास तथा ब्याज को छोड़कर	4983.41	5521.27	**5864.55**
3	वर्ष हेतु सकल आधिक्य (+) / घाटा (-) (1-2)	1561.90	242.56	128.47
4	पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन	(-)319.21	(-)30.66	(-)84.50
5	वर्ष हेतु अन्तिम सकल आधिक्य (+)/ घाटा (-)	1242.62	211.90	43.97
6	विनियोग :			
	(क) मूल्य ह्रास (घटाएं पूंजागत)	475.06	613.99	564.46
	(ख) सरकारी ऋणों पर ब्याज	216.90	227.91	251.05
	(ग) अन्य, बंध पत्रों, अग्रिमों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	708.51	1017.82	1085.84
	(घ) ऋण प्रभार पर कुल ब्याज (ख+ग)	925.41	1245.73	1336.89
	(ड.) घटाएं : पूंजीगत ब्याज	274.71	276.52	383.57
	(च) राजस्व को प्रभारित निवल ब्याज (घ - ड.)	650.70	969.21	953.32
	(छ) कुल विनियोग (क ॐ च)	1125.76	1583.20	1517.78
7	राज्य सरकार से आर्थिक सहायता के लेखांकन से पूर्व बचत(ॐ)/ घाटा (-) (5-6(छ)-1(ख))	(-)1606.72	(-)1684.41	(-)1753.27
8	निवल आधिक्य (+)/ घाटा (-) (5-6(छ))	116.93	(-)1371.30	(-)1473.81
9	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ*	767.63	(-)402.09	(-)520.49
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	9.21	--	-
2	मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम			
		1998-99	**1999-2000**	**2000-01**
	परिचालन			
	(क) राजस्व	199.82	219.15	272.19
	(ख) व्यय	257.18	268.91	320.62
	(ग) बचत(+)/घाटा(-)	(-)57.36	(-)49.76	(-)48.43
	गैर परिचालन			
	(क) राजस्व	3.62	4.60	5.61
	(ख) व्यय	27.08	18.35	22.07
	(ग) बचत(ॐ)/ घाटा(-)	(-)23.46	13.75	(-)16.46
	योग			
	(क) राजस्व	203.44	223.75	277.80
	(ख) व्यय	284.26	287.26	342.69
	(ग) निवल लाभ(ॐ)/ हानि(-)	(-)80.82	(-)63.51	(-)64.89
	पूंजीगत तथा ऋण पर ब्याज	22.51	14.36	14.65
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ।	**(-)58.31**	**(-)49.15**	**(-)50.24**

* *नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ आधिक्य/ घाटा एवं लाभ हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज (घटाएं पूंजी में परिणत ब्याज) को प्रदर्शित करता है ।*

	मध्यप्रदेश वित्त निगम			
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	**आय**			
	(क) ऋण पर ब्याज	47.47	45.69	39.61
	(ख) अन्य आय	3.53	2.44	1.72
	योग - 1	**51.00**	**48.13**	**41.33**
2	**व्यय**			
	(क) दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज	41.17	32.60	39.49
	(ख) अनिष्पादित परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	-	4.03	30.46
	(ग) अन्य व्यय	9.13	9.48	10.15
	योग - 2	**50.30**	**46.11**	**80.10**
3	कर पूर्व लाभ (1-2)	0.70	2.02	(-)38.77
4	कर हेतु प्रावधान	-	-	-
5	अन्य विनियोग	4.84	-	37.80
6	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि*	5.54	2.02	-
7	भुगंतान योग्य लाभांश	41.38	47.29	47.29
8	**नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ**	**41.87**	**34.62**	**32.16**
9	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	8.9	7.3	5.88
	मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम			
		1998-99	1999-2000	2000-2001
	आय			
	(क) भण्डार गृह प्रभार	30.38	35.05	48.10
	(ख) अन्य आय	0.79	0.83	0.54
	योग	**31.17**	**35.88**	**48.64**
	व्यय			
	(क) स्थापना प्रभार	15.34	16.65	17.50
	(ख) अन्य व्यय	12.89	14.74	15.88
	योग	**28.23**	**31.39**	**33.38**
	कर पूर्व लाभ (अ)/ हानि(-)	2.94	4.49	15.26
	अन्य विनियोग @	2.23	3.76	13.45
	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	0.71	0.73	1.81
	वर्ष हेतु लाभांश	0.70	0.73	1.64
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	**5.53**	**7.93**	**18.16**
	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	6.54	8.54	19.51

* *चालू वर्ष का लाभ विशिष्ट आरक्षित निधियों एवं करों के प्रावधान के उपरांत लाभांश हेतु उपलब्ध लाभ को दर्शाती है।*

@ *इसमें अवधि पूर्व समायोजन समाविष्ट नहीं है ।*

परिशिष्ट 6

(कंडिका 1.2.4.2.3 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(क) कार्यशील सांविधिक निगम

1. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

क्रम संख्या	विवरण			
	अधिष्ठापित क्षमता	—(मैगावाट)—		
(क)	ताप	2967.500	3387.500	3387.500
(ख)	जल	850.655	873.155	873.155
(ग)	गैस	-	-	-
(घ)	अन्य	-	-	-
	योग	**3818.155**	**4260.655**	**4260.655**
	सामान्य अधिकतम मांग	5445.000	5665.000	5566.000
	उत्पादित विद्युत	—(एम.के.डब्लू.एच.)—		
(क)	ताप	17107.063	19305.509	20371.611
(ख)	जल	2850.587	2507.163	1826.726
(ग)	गैस	-	-	-
(घ)	अन्य	-	-	-
	योग	**28551.650**	**21812.672**	**22198.337**
	घटाएं : अनुषंगी खपत	—	—	—
(क)	ताप	**1713.698**	**1878.637**	1981.983
	(प्रतिशत)	**(99.45)**	**(99.48)**	(99.56)
(ख)	जल	9.530	9.773	8.698
	(प्रतिशत)	(0.55)	(0.52)	(0.44)
(ग)	गैस	-	-	-
	(प्रतिशत)	-	-	-
(घ)	अन्य	-	-	-
	(प्रतिशत)	-	-	-
	योग	**1723.228**	**1888.410**	**1990.681**
	(प्रतिशत)	(8.38)	(8.66)	(8. 97)
	निवल उत्पादित विद्युत	**18828.422**	**19924.260**	20207.656
	क्रय की गई विद्युत :	14230.201	14510.147	15830.023
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत	33058.623	34434.407	36037.679
	विक्रीत विद्युत :	26658.609	23546.856	अनुपलब्ध
	पारेषण तथा वितरण हानियां	6400.014	10887.551	अनुपलब्ध
	भार तत्व (प्रतिशत)	68.18	69.47	66.35
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत की तुलना में पारेषण तथा वितरण हानियों का प्रतिशत	19.36	31.62	अनुपलब्ध
	विद्युतीकृत ग्रामों / नगरों की संख्या	68259	68346	68357
	विद्युतीकृत पम्प सेटों/ कुओं की संख्या	1274873	1298108	1304382
	उप केन्द्रों की संख्या	187850	187850	187850
	पारेषण/ वितरण लाइनें (कि.मी.में)			
(क)	उच्च / मध्यम विद्युत दाब	246323	249436	अनुपलब्ध
(ख)	निम्न विद्युत दाब	362683	367268	अनुपलब्ध
	सम्बद्ध भार (मैगावाट में)	10222	10163	10195
	उपभोक्ताओं की संख्या	7975714	8143960	8009246
	कर्मचारियों की संख्या	97265	97394	96704
	उपभोक्ता / कर्मचारियों का अनुपात	82:1	84:1	83:1
	वर्ष के दौरान कर्मचारियों पर कुल व्यय (करोड़ रुपयों में)	1015.46	1102.19	1142 56
	कुल राजस्व व्यय की तुलना में कर्मचारियों पर व्यय का प्रतिशत	15.80	15.45	15.30

	विक्रीत युनिट	**------(एम.के.डब्लू.एच.)-----**		
(क)	कृषि	11714.304	9644.452	अनुपलब्ध
	(कुल विक्रित युनिटों की तुलना में प्रतिशत)	(43.94)	(40.96)	अनुपलब्ध
(ख)	औद्योगिक	8163.545	7880.881	अनुपलब्ध
	(विक्रीत कुल युनिटों की तुलना में प्रतिशत)	(30.62)	(33.47)	अनुपलब्ध
(ग)	वाणिज्यिक	739.722	777.710	अनुपलब्ध
	(कुल विक्रीत युनिटों की तुलना में प्रतिशत)	(2.7)	(3.30)	अनुपलब्ध
(घ)	घरेलू	4353.201	3551.984	अनुपलब्ध
	(कुल विक्रीत युनिटों की तुलना में प्रतिशत)	(16.33)	(15.08)	अनुपलब्ध
(ड.)	अन्य	1687.837	1691.829	अनुपलब्ध
	(कुल विक्रीत युनिटों की तुलना में प्रतिशत)	(6.33)	(7.18)	अनुपलब्ध
	योग	**28658.609**	**23546.856**	अनुपलब्ध
		----(पैसे प्रति कलोवाट)----		
(क)	राजस्व (सरकार से आर्थिक सहायता छोड़कर)	181	231	अनुपलब्ध
(ख)	व्यय*	205	300	अनुपलब्ध
(ग)	लाभ (अ)/ हानि (-)	(-)24	(-)69	अनुपलब्ध
(घ)	सरकार से मांगी गई औसत आर्थिक सहायता(रुपयों में)	0.65	0.13	अनुपलब्ध
(ड.)	औसत ब्याज प्रभार (रुपयों में)	0.24	0.41	अनुपलब्ध

2	मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम			
				2000-01
	धारित वाहनों की औसत संख्या	2144	2293	2393
	मार्गस्थ वाहनों की औसत संख्या	1635	1728	1834
	वाहनों के उपयोग का प्रतिशत	76	75	77
	कर्मचारियों की संख्या	21092	20155	19260
	कर्मचारी वाहन अनुपात	9.83:1	8.78:1	8.05:1
	वर्ष के अंत में परिचालित मार्गों की संख्या	1471	1346	1359
	मार्ग किलोमीटर	281953	212517	271581
	परिचालित किलोमीटर (लाख में)			
(क)	सकल	1850.42	1834.55	2165.57
(ख)	प्रभावी	1815.18	1800.00	2120.01
(ग)	निष्क्रिय	35.24	34.55	45.56
	सकल किलोमीटरों की तुलना में निष्क्रिय किलोमीटरों का प्रतिशत	1.90	1.88	2.1
	प्रति बस प्रतिदिन औसत किलोमीटर	209	197	221
	प्रति किलोमीटर परिचालन राजस्व (पैसे) पिछले वर्ष की आय की तुलना में (प्रतिशत)	1120 2.47	1243 10.98	1284 5.22
	प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	1566	1595	1616
	लाभ (अ)/ हानि (-) प्रति किलोमीटर (पैसे)	(-)446	(-)352	(-) 332
	परिचालित आगारों की संख्या	56	56	57
	प्रति लाख किलोमीटर पर कार्य भंग की औसत संख्या	11.13	9.99	6.67
	प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.17	0.15	0.15
	परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	666.06	646.85	680.47
	अधिवास अनुपात	68	69	62
	प्रतिलिटर परिचालित किलोमीटर	-	-	-
(क)	डीजल तेल	4.00	4.00	4.00
(ख)	इंजन तेल	528	579	625

* *राजस्व व्यय में मूल्य ह्रास सम्मिलित है परन्तु दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज सम्मिलित नहीं है ।*

(राशि : करोड़ रुपयों में)

मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम			
विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01
वर्ष के अंत में सृजित भण्डारण क्षमता में समाविष्ट केन्द्रों की संख्या (लाख टनों में)	318	324	326
(क) स्वगोदाम	11.92	12.78	13.48
(ख) किराये के गोदाम	2.75	4.05	4.52
(ग) योग	**14.67**	**16.83**	**18.00**
वर्ष के दौरान उपयोग की गई औसत क्षमता (लाख टनों में)	13.22	14.70	17.06
उपयोग का प्रतिशत	83	86	93
प्रति वर्ष प्रति मीटरिक टन औसत राजस्व (रुपये)	235.80	244.10	285.14
प्रति वर्ष प्रति मीटरिक टन औसत व्यय (रुपये)	214.92	215.06	196.44

मध्यप्रदेश वित्त निगम						
विवरण	1999-2000		2000-2001			
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में लम्बित आवेदन	25	6.85	19	4.70	24	7.31
प्राप्त आवेदन	319	105.08	308	160.02	263	159.18
योग	**344**	**111.93**	**327**	**164.72**	**287**	**166.49**
संस्वीकृत आवेदन	276	83.05	250	107.96	218	98.55
निरस्त/ वापस/ अस्वीकृत/ कम किये गये आवेदन	49	24.18	51	49.45	54	34.96
वर्ष के अंत में लम्बित किये गये आवेदन	19	4.70	24	7.31	15	16.36
संवितरित ऋण	-	71.95		73.71		66.05
वर्ष के अंत में बकाया ऋण *		522.51		540.47		551.40
वर्ष के अंत में वसूली हेतु अधिदेय राशि :						
(क) मूलधन		134.35		139.39		113.23
(ख) ब्याज		25.42		20.26		21.69
योग		**159.77**		**159.65**		**134.92**
वसूली प्रमाण पत्रों के प्रकरणों में निहित राशि	347	147.47		अनुपलब्ध	-	-
योग	**347**	**147.47**		**अनुपलब्ध**	-	-
कुल बकाया ऋणों की तुलना में चूक का प्रतिशत		30.58		29.54		24.47

* *ब्याज सहित*

परिशिष्ट 7

(कंडिका 1.8 में संदर्भित)

विभागवार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) दर्शाने वाला विवरण

		संख्या	संख्या	लम्बित कंडिकाओं की संख्या	जो कंडिकाएं लंबित हैं
1.	ऊर्जा	03	1354	3325	1976-77
2.	परिवहन	01	391	1092	1986-87
3.	उद्योग एवं वाणिज्य	12	61	279	1986-87
4.	खनन संसाधन	01	06	43	1994-95
5.	जनजाति कल्याण	01	04	23	1997-98
6.	पर्यटन	01	07	49	1988-89
7.	गृह	01	07	51	1990-91
8.	ग्रामीण उद्योग	02	13	70	1987-88
9.	कृषि	01	08	62	1990-91
10.	अल्पसंख्यक कल्याण	01	02	06	1999-2000
11.	वन	01	04	27	1997-98
12.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	02	12	123	1991-92
13.	वित्त	02	03	25	1998-99
14.	लोक निर्माण	01	05	24	1985-86
15.	जल संसाधन	01	01	01	1985-86
16.	संस्कृति	01	02	07	1992-93
	योग	32	1880	5203	

परिशिष्ट 8

(कंडिका 1.8 में संदर्भित)

अनुत्तरित विभागवार प्रारूप कंडिकाएं / समीक्षाएं दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	दिनांक तक
1.	ऊर्जा	03	2	2001-02
2.	परिवहन	02	--	मई 2002
3.	वाणिज्य एवं उद्योग	04	--	दिसम्बर 2001 से अप्रैल 2002
4.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	03	--	मई 2002
5	खनिज संसाधन	02		मई 2002
6	कृषि	--	01	जुलाई 2002

परिशिष्ट 9

(कंडिका 1.10 में संदर्भित)

619 बी कम्पनी के नवीनतम अन्तिम लेखे के अनुसार कम्पनी की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं सारांशीकृत कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(स्तम्भ 5 से 19 की संख्या लाख रुपयों में)

कम्पनी का नाम	निगमन की तारीख	वर्ष जिसके लिये अन्तिम लेखे उपलब्ध हैं	प्रदत्त पूंजी में निवेश			दीर्घ कालीन ऋणों का शेषकरण			चालू ऋणों का शेषकरण			कुल आय			लाभ (+) हानि (-)	अन्तिम लाभ (+)/ संचित हानि (-)	
				राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियां	केन्द्र सरकार और उसकी कंपनिया	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियां	केन्द्र सरकार और उसकी कंपनिया	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियां	केन्द्र सरकार और उसकी कंपनिया	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियां	केन्द्र सरकार और उसकी कंपनिया		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र मर्यादित	अकार्यशील	1989-90*	150.00	--	126.00 (84)	24.00 (16)	--	--	17.08	--	--	--	--	126.00	41.08	(-) 62.65	(-) 377.50

* *वर्ष 1989-90 के उपरान्त कोई लेखे प्राप्त नहीं हुये । परिसमापक की नियुक्ति हेतु प्रकरण उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन है ।*

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते है ।

परिशिष्ट 10

(कंडिका 2.5 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपयों में)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
देयताएं					
प्रदत्त पूंजी	329.50	329.50	329.50	329.50	329.50
आरक्षित निधियां तथा आधिक्य	70.64	63.45	60.09	56.74	53.38
उधारियां					
प्रतिभूतियुक्त ऋण	601.52	641.22	79.91	273.39	496.58
प्रतिभूतिरहित ऋण	198.36	198.36	198.36	225.36	197.16
व्यापारिक दायित्व तथा चालू देयताऐं	4226.36	7041.28	7763.89	9506.29	8000.06
योग	*5426.38*	*8273.81*	*8431.75*	*10391.28*	*9076.68*
परिसम्पत्तियां					
सकल ब्लॉक	795.54	817.11	945.55	997.70	1034.68
घटाएं : मूल्य ह्रास	402.70	424.43	449.86	482.99	517.04
निवल स्थाई परिसम्पत्तियां	**392.84**	**392.68**	**495.69**	**514.71**	517.64
पूंजीगत प्रगत्याधीन निर्माण कार्य	--	--	9.78	--	--
निवेश	24.99	74.99	78.20	78.20	48.21
चालू परिसम्पत्तियां ऋण तथा अग्रिम	4885.19	7689.95	7745.53	9733.14	8476.90
संचित हानि	123.36	116.19	102.55	65.23	33.93
योग	*5426.38*	*8273.81*	*8431.75*	*10391.28*	*9076.68*
नियोजित पूंजी	1051.67	1041.35	487.11	741.56	994.48
निवल मूल्य	276.78	276.76	287.04	321.01	348.95

नोट - *नियोजित पूंजी निवल स्थाई परिसंपत्तियां पूंजीगत प्रगत्याधीन निर्माण **कार्य एवं कार्यचालन** पूंजी को दर्शाती है । निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी आरक्षित निधियां एवं अमूर्त परिसम्पत्तियां **प्रदर्शित करती है ।***

परिशिष्ट 11

(कंडिका 2.5 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल के कार्यचालन परिणाम

(लाख रुपयों में)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
विवरण					
आय					
विक्रय	9270.61	15030.93	23871.54	19244.69	19575.57
सेवाएं	238.72	222.76	197.64	236.78	183.45
ब्याज	11.50	13.04	6.52	28.98	122.63
विविध	36.22	47.59	99.86	39.46	119.96
योग क	**9557.05**	**15314.32**	**24175.56**	**19549.91**	**20001.61**
व्यय					
क्रय एवं उपयुक्त सामग्री	8438.03	13925.64	22406.26	17913.92	17996.65
निर्माण, विक्रय तथा प्रशासन व्यय	1031.69	1213.36	1622.94	1483.11	1731.92
ब्याज	51.94	63.22	54.88	32.80	23.38
मूल्य ह्रास	23.24	22.69	33.08	35.12	36.80
योग ख	**9544.91**	**15224.91**	**24117.16**	**19464.95**	**19788.75**
योग (क - ख)	**12.14**	**89.41**	**58.40**	**84.96**	**212.86**
अपलेखित ऋण	—	15.06	—	—	130.24
कर पूर्व लाभ	12.14	74.35	58.40	84.96	82.62
कर हेतु प्रावधान	8.56	55.73	36.95	37.96	37.12
करोपरान्त लाभ	3.58	18.62	21.45	47.00	45.50
गत वर्ष के समायोजन	(-)2.48	(-)11.45	(-) 7.81	(-) 9.68	(-) 14.20
निवल लाभ	1.10	7.17	13.64	37.32	31.30

परिशिष्ट 12

(कंडिका 2.6क (ii) में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल में मानदण्डों के संदर्भ में फसल उत्पादन के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

उत्पादन - मात्रा क्विंटल में (क्षेत्र एकड़ में)

(1 हैक्टेयर उ 2.45 एकड़)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	योग (रुपयें)
गेहूँ : मानदण्ड उ 35 क्विंटल/ हैक्टेयर (14.285 क्विंटल प्रति एकड़)						
कृषिगत क्षेत्र (एकड़)	900	437	525	692.50	456	
निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उत्पादन योग्य मात्रा क्विंटल में	12857	6243	7500	9893	6514	
उत्पादन की वास्तविक मात्रा	6300	2342	2721	4816	2643	
उपज प्रति एकड़ (क्विंटल)	7	5.36	5.18	6.95	5.80	
उत्पादन में कमी	6557	3901	4779	5077	3871	
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल (रुपयें)	450	555	648	550	700	
कम उत्पादन के कारण हानि (रुपयें)	2950650	2165055	3096792	2792350	2709700	13714547
तूअर : मानदण्ड उ 10 क्विंटल / हैक्टेयर (4.08 क्विंटल प्रति हैक्टेयर)						
कृषिगत क्षेत्र (एकड़)	निरंक	630	1000	निरंक	302.50	
मानदण्ड के अनुसार उत्पादन (क्विंटल)	निरंक	2571	4082	निरंक	1235	
उत्पादन की वास्तविक मात्रा (क्विंटल)	निरंक	805	112	निरंक	337	
प्रति एकड़ उपज (क्विंटल)	—	1.28	0.11	—	1.11	
उत्पादन में कमी	निरंक	1766	3970	निरंक	898	
प्रति क्विंटल विक्रय मूल्य (रुपये)	निरंक	1528	1428	निरंक	3000	
कम उत्पादन के कारण हानि (रुपये)	निरंक	2698448	5669160	निरंक	2694000	11061608

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	द्रष्टव्य
धान : निर्धारित मानक 40 क्विंटल / हेक्टेयर (16:326 क्विंटल/एकड़)						
कृषिगत क्षेत्र (एकड़)	427	240	411	445	483	
मानक के अनुसार उत्पादन करने की मात्रा (क्विंटल)	6971	3918	6710	7265	7886	
उत्पादित वास्तविक मात्रा (क्विंटल)	6832	3613	4779	6707	5638	
प्रति एकड़ उत्पादन (क्विंटल)	16	15.05	11.63	15.07	11.67	
उत्पादन में कमी	139	305	1931	558	2248	
प्रति क्विंटल विक्रय मूल्य (रुपए)	253	371	394.50	474	544.50	
कम उत्पादन के कारण हानि (रुपए)	35167	113155	761780	264492	1224036	2398630

आलू की खेती

मानक : वाणिज्यिक : 35 क्विंटल/ एकड़								
सही आलू बीज : 12.245 क्विंटल / एकड								
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01		2001-02	योग (रुपए)
					वाणिज्यिक	आलू बीज		
कृषिगत क्षेत्र (एकड़)	निरंक	80	52.50	133	103	40.00	निरंक	
मानक के अनुसार उत्पादन करने की मात्रा (क्विंटल में)	निरंक	2800	1837.50	4655	3605	490.00	निरंक	
उत्पादन की वास्तविक मात्रा (क्वि.)	निरंक	2035.15	1260.00	3918.43	2565.19	278.00	निरंक	
प्रति एकड. उत्पादन (क्विंटल)	निरंक	25.44	24.00	29.46	24.90	6.95	निरंक	
उत्पादन में कमी (क्विंटल)	निरंक	764.85	577.50	736.57	1039.81	212.00	निरंक	
प्रति क्विंटल विक्रय मूल्य(रुपए)	निरंक	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	196	181.57	1381.33	निरंक	
प्रति क्विंटल उत्पादन लागत (रुपए)	निरंक	680.00	864.28	741.62	490.41	1730.21	निरंक	
कम उत्पादन के कारण हानि (रुपए)	निरंक	520098	499122	546255	509933	366805	निरंक	2442213
महायोग								**29616998**

परिशिष्ट - 13

(कंडिका 2.6च में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल में उत्पादित एवं विक्रीत जैव खाद्य के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र

वर्ष	प्रारंभिक शेष	उत्पादन	योग	विक्रय	क्षमता उपयोग की प्रतिशतता	कुल स्टॉक से विक्रय की प्रतिशतता (स्तम्भ 4 से 5 की)
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल			**स्थापित क्षमता 4000 मीटरिक टन**			
	मात्रा मीटरिक टन में					
1997-98	1204	776	1980	1467	19.4	74.1
1998-99	513	1802	2315	1282	45.1	55.4
1999-2000	1033	1900	2933	1890	47.5	64.4
2000-01	1043	1501	2544	1721	37.5	67.6
2001-02	823	1281	2104	988	32.0	47.0
ग्वालियर			**स्थापित क्षमता 4000 मीटरिक टन**			
	मात्रा मीटरिक टन में					
1997-98	383.30	1068.35	1451.65	1116.05	26.7	76.9
1998-99	335.60	1091.70	1427.30	1118.75	27.3	78.4
1999-2000	308.55	2000.00	2308.55	318.80	50.0	13.8
2000-01	1989.75	440.25	2430.00	207.70	11.0	8.5
2001-02	2223.00	--	2223.00	--	--	--

परिशिष्ट - 14

(कंडिका 2.12ख में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल में निधियों के अंतरण में विलम्ब के कारण हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	शाखा का नाम	तार हस्तान्तरण द्वारा जमा का दिनांक	राशि (रुपए)	जमा का दिनांक	विलम्ब	18% की दर पर ब्याज की हानि(रुपए)
1.	शाजापुर	9.7.1997	2,00,000	6.7.1999	2 वर्ष	72,000
2.	जबलपुर	1997-98	4,00,000	2.7.1999	15 माह	90,000
3.	ग्वालियर	26.12.1997	22,400	27.4.1998	4 माह	1,344
4.	दमोह	12.12.1997	44,750	जमा नहीं	4वर्ष 4 माह	34,905
5.	छतरपुर	3.2.1996	12,000	13.7.1998	2 वर्ष 5½ माह	5,310
6.	छतरपुर	10.2.1996	50,000	13.7.1998	2 वर्ष 5 माह	21,750
7.	छतरपुर	2.1.1998	78,000	2.2.1999	13 माह	15,210
8.	ब्यावरा	1993-94	43,155	जमा नहीं	8 वर्ष	62,143
9.	ब्यावरा	1994-95	16,175	जमा नहीं	7 वर्ष	20,381
10.	बिलासपुर	20.3.1998	2,00,000	1.5.1999	1 वर्ष 1 माह	39,000
11.	छिन्दवाड़ा	6.6.1985	22,300	जमा नहीं	17 वर्ष	5,73,138
12.	छिन्दवाड़ा	12.7.1985	1,65,000	जमा नहीं	17 वर्ष	
	योग (रुपए)		**12,53,780.00**			**935181.00**

परिशिष्ट - 15

(कंडिका 2.14 में संदर्भित)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित भोपाल में कृषि उपकरण के उत्पादन एवं विक्रय निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्र

वर्ष	प्रारंभिक शेष	उत्पादन	योग	विक्रय	अधिशेष	प्रतिनग 640 रुपए की दर पर मूल्य	राशि रुपए में
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
दुफन	**(संख्या नम्बरों में)**						
1997-98	3142 (22)	4514	7656	1184	6472	4142080	
1998-99	6472	3772	10244	1669	8575	5488000	
1999-2000	8575	3186	11761	982	10779	6898560	
2000-01	10779	3095	13874	1210	12664 (118)	8104960	8104960
मूंगफली छीलने का यंत्र				**430 रुपए प्रति नग की दर पर**			
1997-98	896 (17)	1581	2477	396	2081	894830	
1998-99	2081	2251	4332	731	3601	1548430	
1999-2000	3601	1547	5148	698	4450	1913500	
2000-01	4450	1903	6353	889	5464 (85)	2349520	2349520
हल				**280 रुपए प्रति नग की दर पर**			
1997-98	9042 (33)	9748	18790	1395	17395	4870600	
1998-99	17395	7873	25268	3308	21960	6148800	
1999-2000	21960	4324	26284	1584	24700	6916000	
2000-01	24700	3596	28296	962	27334 (168)	7653520	7653520
	योग						**रुपए 18108000**

(कोष्ठकों में दर्शाई गई राशियां स्टॉक का संबंध प्रति माह विक्रय दर्शाता है)

दुफन : बैलों द्वारा खींचा जाने वाला एक ऐसा उपकरण जिसमें दो नोंगे होते है जिनके माध्यम से एक साथ बीज की बुवाई की जाती है और उर्वरक डाले जाते है ।

मूंगफली छीलने का यंत्र : ऐसा उपकरण जिससे मूंगफली छीली जाती है व दाने निकाले जाते है।

हल : खेती की जुताई हेतु उपयोग में आने वाला बैलों से खींचा जाने वाला उपकरण।

परिशिष्ट - 16

(संदर्भ कंडिका 3क.6)

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों द्वारा मांग की गई निधियां तथा मुख्यालय में वापस उनके प्रेषण दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	क्षेत्रीय लेखा अधिकारी	अवधि	अधिशेष	प्रेषण
			(लाख रुपए में)	
1	रायपुर (छत्तीसगढ राज्य विद्युत मण्डल)	1997-98 से जनवरी 2002	1716.97	945.70
2	रतलाम	1997-98 से जनवरी 2002	829.95	704.09
3	सागर	1997-98 से दिसम्बर 2001	995.81	359.46
4	भोपाल	1997-98 से जनवरी 2002	2042.56	373.48
5	मुरैना	1998-99 से जनवरी 2002	710.00	517.65
6	उज्जैन	अप्रैल 1997 से जनवरी 2002	2699.70	1049.26
7	केन्द्रीय लेखा इकाई जबलपुर	अप्रैल 1998 से मार्च 2002	6878.28	789.69
8	धार	अप्रैल 2000 से फरवरी 2002	494.38	शून्य
9	इन्दौर	नवम्बर 2000 से फरवरी 2002	2196.17	860.34
10	बिलासपुर (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल)	अप्रैल 2000 से मार्च 2002	2194.27	472.53
11	होशंगाबाद	अप्रैल 1997 से फरवरी 2002	1149.20	839.46
12	छिन्दवाड़ा	अप्रैल 1999 से अप्रैल 2001	अनुपलब्ध	199.14
13	सारणी	दिसम्बर 1998 से जनवरी 2002	अनुपलब्ध	643.37
14	ग्वालियर	अप्रैल 1997 से जनवरी 2002	अनुपलब्ध	1393.55
	योग		**21907.29**	**9147.72**

21907.29 9147.92= 31055.21

31055.21 x 15% / 60 = 77.64 लाख

परिशिष्ट - 17

(संदर्भ : कंडिका 4क.2.4)

बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, भोपाल के खाते में आगम जमा करने में विलम्ब के कारण हुआ अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	कोषालय देयक क्रमांक एवं दिनांक	राशि (लाख रुपए में)	बैंक द्वारा जमा का दिनांक	लगायी गई अवधि (दिवस)	पांच दिवस से अधिक लगाया गया समय	12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7
	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर भोपाल					
1.	178/14.6.99	159.53	07.09.1999	84	79	4.14
2.	182/14.06.99	10.00	07.09.1999	84	79	0.26
3.	179/14.06.99	6.61	07.09.1999	84	79	0.17
4.	181/14.06.99	19.20	07.09.1999	84	79	0.50
	भारतीय स्टेट बैंक विन्ध्यांचल भवन भोपाल					
5.	332/23.08.99	495.88 495.88	04.09.1999 को वापस 06.10.1999	33	28	4.56
6.	634/18.02.2000	2000.00	19.01.2000	01	--	--
7.	647/22.01.2000	1100.00	28.01.2000	06	01	0.36
8.	648/22.01.2000	1100.00	08.02.2000	17	12	4.34
9.	682/03.02.2000	1100.00	14.02.2000	11	06	2.17
10.	753/25.02.2000	1200.00	10.03.2000	13	08	3.16
11.	831/23.03.2000	896.95	30.03.2000	07	02	0.59
12.	122/03.06.2000	1838.58	27.06.2000	20	15	9.07
13.	47/04.12.2000	3099.37	देयक वापस			
14.	91/19.12.2000	1600.00	23.12.2000	04	--	--
15.	92/19.12.2000	1499.37	16.02.2001	60	55	27.11
16.	288/27.03.2001	1940.19	31.03.2001	04	--	--
17.	299/30.03.2001	266.67	31.03.2001	01	--	--
18.	297/30.03.2001	2630.49	31.03.2001	01	--	--
19.	301/30.03.2001	15.00	31.03.2001	01	--	--
20.	303/30.03.2001	21.89	31.03.2001	01	--	0.49